

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

28.08.2024/1100/AV/AS/1

प्रश्न संख्या : 1085

डॉ० जनक राज : अध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि करुणामूलक आधार पर रोज़गार के 1415 मामले लम्बित हैं और तय आय सीमा का अंतिम बार संशोधन दिनांक 7 मार्च, 2019 को किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या आय सीमा तय की गई है और जो भी लंबित मामले हैं उनमें से कितने ऐसे मामले हैं जो इस तय आय सीमा की पात्रता को पूरा कर रहे हैं और कितने तय आय सीमा से बाहर हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार में उस व्यक्ति की पत्नी को सरकार की तरफ से एक निश्चित आय के रूप में हर महीने पैसा दिया जाता है जोकि एक वर्ष में 2.50 लाख रुपये के करीब राशि बनती है। कई बार उस राशि को आय सीमा का आधार न मान कर भी सरकार उसके परिवार की परिस्थितियों के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को रोज़गार प्रदान करती है। यह एक कंटिन्चू प्रोसैस है। इसमें पिछली सरकार ने भी प्रयास किए थे और लोगों को क्लास-iv के रूप में रोज़गार मिला। कई परिवारों में लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं जिसके कारण वे क्लास-iv में रोज़गार नहीं लेना चाहते। हमारी सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में हमारी सरकार ने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है और हमारा मानना है कि करुणामूलक शब्द में सुधार करके कैसे आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टि से इस कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है क्योंकि आय दिन करुणामूलक परिवार के लोग हमसे मिलने आते रहते हैं और अपने लिए रोज़गार प्रदान करने की बात करते रहते हैं। मेरा यह मानना है कि हमें जब कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम इसमें कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

28.08.2024/1100/AV/AS/2

डॉ० जनक राज : अध्यक्ष महोदय, करुणामूलक संघ पिछले कुछ दिन पहले 432 दिन का क्रमिक अनशन भी कर चुका है। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूँ कि इनकी तकलीफ पर गौर किया जाए क्योंकि व्यक्ति को आज जख्म हो रहा है और उपचार दस वर्षों बाद मिलेगा तो उनकी पीड़ा बढ़ती रहेगी। करुणामूलक परिवार के ऐसे अनेकों सदस्य हैं जो वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी और इनकी समस्या का समाधान कितनी तय समय सीमा के अंदर होगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि करुणामूलक परिवार के लोग वर्षों से पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को बने हुए अभी 20 महीने का समय हुआ है। हमने उनके दर्द को समझा है इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक सब कमेटी का गठन किया है। इन्होंने अभी पहली बैठक की है, मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार इन परिवारों के प्रति संवेदनशील है और इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। कोई एम०बी०ए० डिग्री प्राप्त करने के बाद क्लास-iv की नौकरी नहीं करना चाहता। उसकी माता को भी पेंशन चाहिए और सरकार में भी रोजगार चाहिए तो

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1105/टी०सी०वी०/ए०एस०-1

प्रश्न संख्या : 1085 जारी

मुख्य मंत्री ... जारी

एक ही परिवार को दो बेनिफिट नहीं दिए जा सकते हैं इसलिए उसमें भी बदलाव की जरूरत है और उस परिवार की आय निर्धारित आय सीमा से ज्यादा न बढ़े उसमें भी बदलाव की जरूरत है। इसी तरह से कई पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमारी सरकार आई है और

इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है तथा सरकार शीघ्र ही इसका समाधान करने जा रही है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, करुणामूलक आधार पर नौकरी देने में आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया है। इसके लिए हमारी पार्टी की सरकार द्वारा नियमों, आयु सीमा और आय की सीमा निर्धारित करने में भी परिवर्तन किया गया है। पहले करुणामूलक आधार पर सिर्फ उसी सरकारी कर्मचारियों के परिवार का सदस्य को नौकरी हेतु पात्र होता था जिसकी मृत्यु सरकारी सेवा करते हुए 50 वर्ष तक आयु में हो जाती थी। उसके बाद यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए पात्र नहीं होता था। लेकिन यह सब किसी आदमी के हाथ में नहीं होता है कि उसे कब इस दुनिया में आना है और कब चले जाना है। इस तरह से यह जो अजीब प्रकार की व्यवस्था थी उसको हमने हटाया था। आपकी सरकार को बने हुए 20 महीने का समय बीत गया है और यह समय थोड़ा नहीं होता है। आपकी सरकार ने इन 20 महीनों में काम रोकने और काम बन्द करने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्व की 5 साल की सरकार में हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर कितने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी गई? दूसरा, जब किसी काम को नहीं करना होता है तो कमेटी बना दी जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी?

28.08.2024/1105/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

तीसरा, जब करुणामूलक आधार पर कोई नौकरी मांगता है तो आपको उसकी परिस्थितियों की गंभीरता को समझना चाहिए। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो करुणामूलक आधार पर नौकरी मांगता है उसकी पात्रता को किसी निर्धारित समयसीमा के भीतर उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी यानी उनको नौकरी कितने महीने या दिनों के अंदर दे दी जाएगी? इसके अलावा

करुणामूलक आधार पर नौकरी की पात्र सिर्फ पत्नी ही नहीं होती है उसके लिए उस परिवार का कोई भी सदस्य पात्र हो सकता है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो पूछा है यह सब चुनाव के अंतिम समय में किए गए कार्य है और जो कार्य चुनाव के अंतिम समय में किए जाते हैं वे ध्यानपूर्वक किए गए कार्य नहीं होते हैं और वे संवेदनशीलता से भी जुड़े नहीं होते हैं, वे सिर्फ राजनीति से जुड़े होते हैं। इन्होंने पूछा है कि इनकी सरकार के समय में कितनी नौकरियां करुणामूलक आधार पर दी गई? मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में करुणामूलक आधार पर 1435 नौकरियां नहीं दी गई।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1110/एन0एस0-डी0सी0/1

प्रश्न संख्या 1085----- क्रमागत

मुख्य मंत्री ----- जारी

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे पहले रिप्लाई में नहीं सुना इसलिए आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। आप प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं। आपके समय में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां हुईं, कई परिवारों के नौजवान काफी पढ़े लिखे थे और उनको रोजगार नहीं मिला। हमारी सरकार ने एक वर्ष में संवेदनशीलता और उन परिवारों के प्रति गंभीरता के माध्यम से 180 लोगों को करुणामूलक आधार पर रोजगार दिया। विपक्ष कह रहा है कि कमेटियां बनती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये कमेटियां बनाती है और उन पर अमल करती है तथा उनको लागू करती है। मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे टेन्योर में करुणामूलक आधार पर जो रोजगार देने होंगे और जो नियम बनाएंगे तो उसके आधार पर ज्यादा लंबी सूची नहीं रहेगी। जो बेटियां/बहनें युवा विधवाएं हो गई हैं, हम अगले 9 महीने के भीतर उनको करुणामूलक आधार पर रोजगार देंगे।

श्री रणधीर शर्मा (श्री नैना देवीजी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी ने आय सीमा को लेकर जवाब दिया है। आमतौर पर जब आय सीमा देखी जाती है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को जो पेंशन लगती है उसको आय माना जाता है। जब करुणामूलक आधार पर नौकरी मिल जाती है तो वह पेंशन आधी रह जाती है। मेरा यह सुझाव है कि उस पूरी पेंशन का आय न माना जाए। वैसे तो उस परिवार की आय जो पेंशन से पहले थी उसको माना जाए। अगर फिर भी आय माननी है तो नौकरी के बाद आधी पेंशन रह जाएगी उसको आय माना जाए। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो आपने कमेटी बनाई है, क्या वह कमेटी विधायकों/जन प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी ताकि इसका कोई सार्थक हल निकल सके? यह हर सत्र व हरेक सरकार के समय में प्रश्न आता है और इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इनको नौकरी मिले और इसके लिए कोई सार्थक योजना बने तो उसके लिए मेरा सुझाव है कि यह कमेटी सभी विधायकों से सुझाव ले। धन्यवाद।

28-08-2024/1110/एन0एस0-डी0सी0/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी प्रकार के सुझाव के लिए कमेटी से अनुरोध करूंगा कि वे विपक्ष के साथियों से राय लें और अगर कोई उस कमेटी में सदस्य बनाना होगा तो उसको उस कमेटी में सदस्य बनाया जाए। हम इसके लिए खुले मन से तैयार हैं। यहां पर जो आय की बात कही गई है तो सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित याचिका का दिनांक 16.01.2019 को निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था कि करुणामूलक आधार पर रोजगार देते समय मृतक के परिवार की निर्धनता देखने के लिए पेंशन को भी परिवार की आय में सम्मिलित किया जाए। जो आपका सवाल था उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन्ज आई हैं। ये मामला हर बार चला रहता है और हरेक सरकार व चुनावों के समय भी चला रहता है। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है इसलिए सब-कमेटी बनाई गई है। यह सब-कमेटी इस प्रश्न से पहले बनी है, प्रश्न के बाद नहीं बन रही है और न ही विधान सभा में आश्वासन देकर बन रही है। मैंने इसलिए कहा कि हम इसमें तरीका निकालना चाहते हैं और उस तरीके के तहत, किन नियमों के तहत किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना आवश्यक है। जो विधवा युवा होगी और

अगर वह रोज़गार चाहेगी तो उसे पेंशन डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता। उसको रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए मेरिट लिस्ट एक या डेढ़ साल के अंदर बनेगी तो उसको करेंगे। हमारा विचार है कि

आर०के०एस० द्वारा जारी।

28.08.2024/1115/RKS/DC-1

प्रश्न संख्या: 1085.. जारी

मुख्य मंत्री... जारी

कमेटी में विपक्ष के सदस्य डालने के बाद हम 6 महीने के भीतर सबसे बातचीत करके इस मसले पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि पिछले पांच वर्ष में करुणामूलक आधार पर कितनी नौकरियां दी गई? मुझे इस प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला परंतु मैं खुद ही इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के समय लगभग 6 हजार पात्र व्यक्तियों ने करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था। आपने 180 लोगों को नौकरियां दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पांच साल के कार्यकाल में साढ़े चार हजार से ज्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आप हर बार यह कहते हैं कि हमने यह सब अपनी सरकार के अंतिम कार्यकाल में किया है। मेरा मुख्य मंत्री जी से बार-बार आग्रह है कि आप सदन को गुमराह न करें। आप संवैधानिक व्यवस्था का पालन करें। प्रश्न के 'क' भाग में दर्शाया है कि आय सीमा में दिनांक 07.03.2019 को अंतिम बार संशोधन किया है। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसके बाद हमने दिनांक 07.03.2019 को आय सीमा पर फैसला ले लिया था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने यह कार्य अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में किया है। आपको यह बात कॉरैक्ट करनी चाहिए। आप इस सदन को बार-बार मंच कहते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस सदन को माननीय सदन कहें। यह कोई मंच नहीं है

परंतु आप इस बात को स्वीकार करना न चाहें तो यह आपकी मर्जी है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का क्राइटेरिया है क्या आप उसमें कुछ संशोधन करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो आप इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे?

28.07.2024/1115/RKS/DC-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष के सभी सुझावों को मानते हैं। जिस समय इनकी सरकार बनी थी उस समय इन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में क्लास-IV वर्ग में काफी रोजगार दिया था। मैंने कहा कि अभी 1435 आवेदन इनकी सरकार के समय के पेंडिंग हैं। हमने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक कमेटी गठित की है और इसमें जो पात्र परिवारों के हित में बदलाव करने की आवश्यकता होगी उस दृष्टि से हम आगे कार्य करेंगे। अगर श्री जय राम ठाकुर जी कुछ और भी सुझाव देना चाहेंगे तो आप कमेटी के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सरकार नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों का बहुत सम्मान करती है। इसलिए हमारे पास आपकी ओर से जो भी सुझाव आएंगे हम उन पर गंभीरता से विचार करेंगे।

28.07.2024/1115/RKS/DC-3

प्रश्न संख्या : 1462

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में एक ही सड़क के लिए तीन बार राशि स्वीकृत हुई है। मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 600 सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित हैं। बहुत-सी सड़कें ऐसी हैं जिनमें एफ.सी.ए. क्लियरेंस मिल चुकी है लेकिन जो तीन बार राशि स्वीकृत हुई है वह ऐसी सड़क के लिए की गई है जिसके बनने से एक ही घर को फायदा होगा। इस सड़क में दूसरा और कोई घर कवर नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आप स्वीकृत राशि पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सर, इस पर क्या पुनर्विचार करना है। अब तो वह पैसा भी खत्म हो गया है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1120/बी.एस./एच के.-1

प्रश्न संख्या: 1462 क्रमागत...

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार का पैसा किसी पार्टी के पदाधिकारी के घर के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किया गया और उससे एक भी अन्य घर कवर नहीं हुआ है। उस घर के लिए दोनो तरफ से सड़क का निर्माण किया गया है। क्या मुख्य मंत्री महोदय चौपाल की अन्य सड़कों के लिए भी मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना से पैसा देंगे?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री बलबीर सिंह वर्मा जी अभी विपक्ष में हैं। इन्होंने पहले कांग्रेस में *** खाई फिर आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में *** खाई और अब (व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह *** शब्द क्या है? हमें इस शब्द से आपत्ति है।

Speaker : Whatever will be undesirable, will be removed from the record. The word Malai will also be removed from the record.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सड़क की बात की है। मेरी जानकारी में अभी यह बात आई है और यह पैसा खर्च हो चुका है। But we will look into this. यदि आप और भी सड़कों के नाम देंगे तो हम उन्हें भी विभाग द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष में डलवाएंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा तो खर्च कर दिया गया है। परंतु पूरे चुनाव क्षेत्र का पैसा भी उसी घर के लिए खर्च कर दिया गया है। Scheduled Caste Component Plan का पैसा भी एक ही घर के लिए डाइवर्ट करके उसी में खर्च कर दिया गया है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप

Scheduled Caste Component Plan पैसे को न खर्च कर सकते थे और न ही डाइवर्ट कर सकते थे और न ही अनुसूचित जाति में उसके घर का कोई कोड है। कैसे यह पैसा डाइवर्ट हुआ। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे?

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया

28.08.2024/1120/बी.एस./एच के.-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में हमें लिखित तौर पर दे दें कि इन्हें इस कार्य से आपत्ति है। यह आपके निर्वाचन क्षेत्र का इलाका है। Whatever can be done from the department, we will look into it.

प्रश्न संख्या: 1730

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, स्थिति तो पूरे प्रदेश की ऐसी है कि जब से सरकार बनी है विकास के कार्य जहां थे वहीं खड़े हैं। मेरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत थुनाग जो हमारा एस.डी.एम. हैड क्वार्टर है, वहां सड़क बीच बाजार से जाती है और वहां traffic congestion के कारण बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। वहां पर जाम लगता है और लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाजार को बाई-पास करके सड़क निकालने का प्रयास है क्योंकि जंजैहली और शिकारी माता का सारा इलाका धीरे-धीरे पर्यटक स्थल की ओर विकसित हो रहा है। वहां पर बहुत संख्या में लोग आते हैं और उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। मैंने यह तय किया कि उसे बाजार से बाई-पास करना चाहिए। इसलिए एक पुल के निर्माण के लिए मैंने वहां अपनी सरकार के समय व्यवस्था की है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1125/डी0टी0/एच0के0-1

प्रश्न संख्या 1730 जारी

श्री जय राम ठाकुर जारी...

पैसे का प्रावधान किया और उसका शिलान्यास 4.5.2021 को किया। इसमें 1 करोड़ 45 लाख 30 हजार रुपये का फण्ड इसमें अवेलेबल था। पुल का टेंडर हुआ, काम अवार्ड हुआ और इसका काम शुरू हुआ। लेकिन अद्यतन स्थिति के बारे में जो जानकारी इस मान्य सदन में दी गई कि RCC Double Lane पुल के निर्माण कार्य को दिनांक 29.10.2022 को आरम्भ किया गया था। अभी तक इस पुल में जजैहली की तरफ abutment का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जब से सरकार बनी है वहां एक abutment बनाकर खड़ी कर दी है और उसके बाद वहां काम बंद कर दिया गया और इसे बहुत बड़ा काम समझा जा रहा है। ये पुल का कार्य उस समय जितना हुआ था आज की तारीख में भी वहीं का वहीं है। सरकार इस पुल पर लगभग 1.50 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और इसके निर्माण में कुल लगभग 2.50 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी, क्योंकि आपने अपने उत्तर में भी यही लिखा है कि समुचित बजट का प्रावधान होने पर इस पुल के शेष कार्य को किया जायेगा, लेकिन ये पता नहीं कि ये कार्य कब होगा? जब सुक्खू जी की सरकार है तब तक तो मुझे इसके निर्माण की संभावना नहीं लग रही। क्योंकि कि पूर्व सरकार के समय चले हुए सभी निर्माण कार्य को बंद करना ठीक नहीं है मेरा विधान सभा क्षेत्र तो इसका एक उदाहरण है जहां पर आपको दिखेगा कि पुरानी सरकार जिस कार्य को जहां छोड़ गई थी वह काम वहीं का वहीं पर रूका पड़ा है। सिराज विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्य में एक भी ईंट नहीं लगी। ये बेरुखी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन प्रदेश के लिए भी है। क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय सुनिश्चित करेंगे की जल्द ही इसके लिए बजट का प्रावधान करके इस काम को पूरा किया जायेगा?

28.08.2024/1125/डी0टी0/एच0के0-2

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यही पुल नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में खासकर जो आपदा के समय पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको रिकार्ड समय में बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के कौने-कौने के भीतर किया है। This is on record. इसमें हाल ही में हमने कुल्लू और मंडी में पुल बनाने का कार्य किया है। जहां तक इस पुल की बात है मैं आपके माध्यम से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी जो A&ES है, जिसका जिक्र स्वयं भी माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है, ये 2.21 करोड़ रुपये की थी और वर्ष 2021 में ये approval दी गई थी।

अभी तक इस कार्य में ठेकेदार को 3.69 करोड़ रुपये कि राशि दिनांक 14.10.2022 तक आबंटित कर दी गई है। इसका निर्माण कार्य 29.10.2022 को आरंभ हो चुका है। पुल में जजैहली की तरफ से abutment का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और जजैहली की तरफ से approach में छः मीटर Spain Culvert के निर्माण कार्य का लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस पुल के निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2024-25 तक मु0 145.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है जिसमें से 139.00 लाख रुपये धनराशि खर्च की जा चुके हैं। इसका बयौरा भी इसमें दिया गया है। पुल के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अभी भी लगभग 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जिस भी हैड में ये कार्य चल रहा है, and it is under th State head, **उसमें हम विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष में बजटरी प्रोविजन करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और इसकी जो समय तिथि है उसके ऊपर इसे पूर्ण किया जायेगा। इसका मैं नेता प्रतिपक्ष को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं।**

मुख्य मंत्री श्री एन0जी0द्वारा जारी...

28-08-2024/1130/वाई.के.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 1730.....जारी

लोक निर्माण मंत्री के पश्चात.....

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पुल का शिलान्यास पिछली सरकार के अंतिम वर्ष के 10वें माह में हुआ था और 11वें माह में चुनाव आ गए थे। पिछली सरकार में पांच साल तक सिराज में ही स्टेट का बहुत पैसा लगा था और मण्डी जिला के अन्य विधायक रोते रहे। वहां पर सी.आर.एफ. का भी बहुत पैसा लगा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता से कहना चाहता हूं कि यह पुल स्टेट बजट से बनाया जाना है और इसमें अभी 2.50 करोड़ रुपये लगाना शेष है। मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि आपदा के बाद केन्द्र सरकार से जो हमें पी.डी.एन.ए. के तहत पैसा मिलना है उसमें हमारा

सहयोग कीजिए और हम आपके क्षेत्र में जितना बजट कम होगा उसे पूरा कर देंगे। कृपया करके दिल्ली जाकर हमारा पैसा मत रुकवाइए। धन्यवाद।

प्रश्न संख्या -1731

श्री लोकेन्दर कुमार : उपस्थित नहीं।

28-08-2024/1130/वाई.के.-एन.जी/2

प्रश्न संख्या -1732

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। मैं माननीय उद्योग मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जब यह स्वीकृत हुआ था तब मैं विधायक तो नहीं था लेकिन मैंने ट्रिब्यून और पंजाब केसरी जैसे समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में उस वक्त की सरकार ने बहुत काम-काज किया है और देश भर में मैरिट के आधार पर बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से मिला है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये पार्क मिला तब हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या मैरिट्स थीं? प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि बिजली की दर 3 रुपये प्रति किलोवाट/घंटा, पानी की दर शून्य, गोदाम शुल्क शून्य और 33 साल के लिए जो जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी उसका शुल्क भी शून्य होगा। उस समय की सरकार ने दिनांक 11-10-2022 को बल्क ड्रग पार्क की स्वीकृति प्राप्त की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय किन ट्रम एण्ड कंडीशन्ज़ पर भारत सरकार ने बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया? इसके अलावा वर्तमान सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है? क्या वर्तमान सरकार इसे लेकर आगे बढ़ना चाहती है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इनके प्रश्न का विस्तृत उत्तर लिखित रूप में दे दिया गया है। यह प्रोजेक्ट बिडिंग के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला है। इसमें कुल 13 स्टेट्स ने बिडिंग किया था। जब विश्व में कोरोना काल आया था तब भारत में दवाइयों की कमी हो गई थी क्योंकि रॉ मैटेरियल चीन से आता था और

उन्होंने अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि दवाइयों का रॉ मैटेरियल भारत में ही तैयार किया जाए। उसके बाद भारत सरकार ने तय किया कि पूरे देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे और उन्हें बिडिंग के आधार पर प्रदेशों को आबंटित किया जाएगा। उस समय की प्रदेश सरकार ने बिडिंग में भाग लेते हुए कहा कि हम बिजली सस्ती देंगे, जमीन व पानी निःशुल्क देंगे और अन्य चीजों में भी छूट देंगे।

28-08-2024/1130/वाई.के.-एन.जी/3

इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों ने भी बिडिंग में भाग लिया और जिन प्रदेशों ने बेहतर बिडिंग की उसके आधार पर ही हिमाचल प्रदेश व अन्य दो राज्यों को बल्क ड्रग पार्क दिया गया। इसकी अंतिम स्वीकृति 11-10-2022 को प्राप्त हुई थी और उसके बाद प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी जिस कारण इसमें कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं कि प्रदेश के हित में यह कैसे कार्य करेगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से अल्पकाल में तो प्रदेश को नुकसान होगा लेकिन दीर्घकाल में प्रदेश को बहुत फायदा होगा। यह ठीक है कि इसमें रेट्स कम हैं, बिजली 3 रुपये है लेकिन दीर्घकाल में इसका हमें बहुत लाभ होगा। अनुमान के अनुसार इसमें प्रति वर्ष लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होगा। इसमें 20 हजार से अधिक लोगों को नौकरियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा वहां पर जो अन्य व्यापारिक गतिविधियां होंगी उससे भी प्रदेश को लाभ ही होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में एक ए.पी.आई. यूनिट किंगविन स्थापित है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट ने हमें चार माह में ही 50 करोड़ रुपये जी.एस.टी. के रूप में दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक यूनिट ने ही हमें 50 करोड़ रुपये राजस्व दिया है तो जब बल्क ड्रग पार्क लगेगा तथा इसमें बड़े-बड़े यूनिट्स आएंगे और हमें आशा है कि 50 से अधिक ए.पी.आई. यूनिट आएंगे तब यह राजस्व बहुत अधिक होगा। यदि हम अनुमान भी लगाएं कि एक यूनिट 50 करोड़ रुपये का राजस्व देगा तो दीर्घकाल में हमें राजस्व का बहुत फायदा होने वाला है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1135/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 1732 जारी...

उद्योग मंत्रीजारी---

इसमें अभी हमने बल्क ड्रग पार्क का काम आरम्भ कर दिया है। एक्सटर्नल रोडज़ के लिए हमने पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा दे दिया है। आई.पी.एच. को पीने के पानी के लिए दिया है, बिजली के लिए हमने पैसा दिया है। हमने एम.ओ.यू. भी साइन किया है। इस पार्क के लिए जो लोग इंटरस्टिड हैं, हमने मुम्बई में 02 जनवरी, 2023 को 2165 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. साइन किए। दूसरा, वर्ष 2024 में हमारा प्रतिनिधि मण्डल एरब हैल्थ, दुबई में गया था। वहां हमने 2645 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. साइन किए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये स्टेट के हित में हैं और मुझे लगता है कि इससे हमें कारोबार मिलेगा, रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, हमारा रेवन्यू बढ़ेगा।

श्री केवल सिंह पटानिया: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो प्रथा यही रही है कि अगर पिछली सरकार किसी काम को शुरू करें तो अगली सरकार उसको, पीछे यह प्रथा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेतृत्व सम्भाला, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जबकि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सभी कुछ मुफ्त था, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों की समस्या को समझते हुए आपने कैबिनेट में फैसला लिया। पहले आपने विज़िट किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर फैसला लिया और उसके बाद आपने कैबिनेट में करोड़ों रुपये सेंक्शन भी किए और यह काम आगे बढ़ा।

यह कंडिशन क्या आपने सारी ज़िंदगी के लिए लगाई हैं क्योंकि 50 हजार करोड़ रुपये की बात यहां पर कर रहे हैं। एक तरफ 1 रुपये की लीज़ पर आप 33 साल के लिए दे रहे हैं। जब यह बल्क ड्रग पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ही टर्म एण्ड कंडिशनज़ रहेंगी? दूसरे, क्या 70:30 की रेशो में, जिस तरीके से बंदी-बरोटीवाला या काला अम्ब में, जिनके बारे में हम यहां पर बार-बार प्रश्न लगाते हैं कि 70 प्रतिशत

हिमाचलियों को क्या रोज़गार मिला है? मैं मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा था, मैं दो बातें जानना चाहता हूँ कि आपने जो यह काम-काज शुरू किया है, यह कब तक पूरा हो जाएगा? दूसरे, क्या यह सारी ज़िंदगी के लिए कंडिशन

28.08.2024/1135/केएस/वाईके/2

लगा दी गई है? , ठीक है आपने अपने एम.ओ.यू. साइन किए, कल को ओहदा लगेगा, वर्तमान स्थिति को आपने समझा और यह बन कर तैयार हो जाएगा। क्या जब यह तैयार हो जाएगा और जब उद्योगपती का काम-काज चल पड़ेगा, क्या उसके बाद टर्म एण्ड कंडिशनज़ ये ही रहेंगी? मुझे लगता है कि तब फ्री की बिजली और पानी हिमाचल प्रदेश नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या बेरोज़गारों के हित में, जो इतना बड़ा उद्योग लग रहा है उसमें 70:30 की कंडिशन लगेगी या नहीं?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह जो रियायती बिजली, जमीन या पानी है, यह 10 साल के लिए होगा। उसके बाद मार्केट रेट्स के आधार पर होगा। क्योंकि 1923 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, अभी मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया कि इसमें बजाय स्ट्रैटेजी पार्टनर लेने के 1 हजार करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार इंवेस्ट करेगी और मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि कल इन्होंने फाइल पर 50 करोड़ रुपये स्टेट शेयर के रूप में उद्योग विभाग को स्वीकृत किए हैं। रेट्स की जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, वह 10 साल के लिए रहेगा और 31 मार्च, 2026 को इस प्रोजेक्ट की भारत सरकार ने हमें डैडलाइन दी है तो 31 मार्च, 2026 को यह कम्प्लीट होगा।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो बल्क ड्रग पार्क का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के हरौली विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिया गया, उस समय उन्होंने 13 अक्टूबर, 2022 को स्वयं आकर इसका शिलान्यास भी किया। आदरणीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

28.08.2024/1140/AV/ए०जी०/1

प्रश्न संख्या : 1732 क्रमागत

श्री सतपाल सिंह सत्ती ----- जारी

नहीं तो अमूमन हर जवाब घुमा-फिराकर आता है। आपने कहा कि इसमें कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होगा और कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी भी है और क्या यह सत्य है कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कांग्रेस के ही ऑफिस बीयरर ने हाई कोर्ट में पी०आई०एल० भी दाखिल की थी? मुझे दूसरी जानकारी यह भी मिल रही है कि जैसे मोदी जी ने नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क जैसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, इसमें बीच में कोशिश हो रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट को तोड़कर या बंदरबांट करके अपने लोगों को ठेकेदारी का काम दिया जाए। कहीं इसमें भी सरकार किसी राजनैतिक दबाव के कारण कोई छेड़छाड़ तो नहीं करना चाह रही है क्योंकि इस प्रकार की भी बातें बाहर आ रही हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट का काम तेज गति से शुरू करवाएं क्योंकि आपने कहा है कि इससे हमें एक हजार करोड़ रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो सकती है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष मंत्री, माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी के प्रश्न के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बल्क ड्रग पार्क के संदर्भ में केंद्र सरकार ने हमें मैडेटरि गाइडलाइंस दी हैं। हमने एस०आई०ए० (State Implementing Agency) की फॉर्मेशन की है जिसके माध्यम से यह सारा काम होगा। पैसा एस०आई०ए० को आएगा और एग्जिक्यूशन ऑफ वर्क्स टैंडर्स के माध्यम से होगा। हम लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड इत्यादि एजेंसीज को पैसा देते हैं और ये विभाग आगे टैंडर्स कॉल करके इन कार्यों को करते हैं। इस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने भी दो-तीन बार मीटिंग्स ली हैं और निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे लाया जाया। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इस प्रोजेक्ट को पारदर्शिता के आधार पर आगे ले जाएंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन

करूंगा क्योंकि अगर स्टेट का शेयर हमें समय-समय पर मिलता रहेगा तो हम डैडलाइंस यानी दिनांक 31 मार्च, 2026 से पहले-पहले इसको पूरा करेंगे।

28.08.2024/1140/AV/ए0जी0/2

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बल्क ड्रग पार्क के लिए दो एम0ओ0यू0 साइन हो चुके हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मुम्बई और यू0ए0ई0 में जो ये दो एम0ओ0यू0 हुए हैं इसमें कितनी ए0पी0आई0ज0 या कितनी कम्पनीज आई हैं? अब क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया है इसमें स्ट्रेटेजी पार्टनर नहीं रहेगा और सरकार इसको खुद करेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले जो एम0ओ0यू0 साइन हुए थे तो क्या उसके टर्म एण्ड कंडीशन्ज में कुछ बदलाव किए जाएंगे और जिन्होंने यह एम0ओ0यू0 किए हैं क्या वे तब भी इंट्रस्टिड रहेंगे? क्या सरकार भी अपने स्तर पर कोई स्ट्रेटेजी पार्टनर लगाएगी ताकि यह बल्क ड्रग पार्क जल्दी बने?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सुधीर शर्मा जी ने एम0ओ0यू0 के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एम0ओ0यू0 कोई लीगल बाईडिंग वाले नहीं होते हैं। It is just on a document. यह मेंडेटरी नहीं है, हमने जो एम0ओ0यू0 किए हैं वह हमने मुम्बई और अरब हैल्थ में भी किए हैं। ये रेप्यूटिड कम्पनीज हैं ये कोई 10-20 करोड़ रुपये की फैक्ट्रीज नहीं लगतीं ये फैक्ट्रीज लगभग 500 हजार करोड़ रुपये की लगती हैं और इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। इसको लगाना हर किसी की बात नहीं है। हमने जो एम0ओ0यू0 साइन किए हैं all these are reputed companies. **अगर ये इंट्रस्टिड होंगी तो हम इनको लैंड अलोकेट करने के साथ-साथ दूसरी सुविधाएं भी देंगे ताकि ये यहां पर इन्वेस्ट करें।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीयल सैक्टर में थोड़ी गुंजाइश श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इंडस्ट्री पैकेज दिए जाने के बाद पैदा हुई थी। इसके अतिरिक्त जब श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी प्रदेश में इंडस्ट्री बढ़ने का स्कोप बढ़ा है। पूरे देश भर में तीन बल्क ड्रग फार्मा पार्क दिए गए और इसमें मंत्री जी ने खुद भी कहा है कि इसमें कंपीटीटिव बीडिंग हुई है।

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

प्रश्न संख्या : 1732

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, इसमें उस समय अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की थी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क भी देश में तीन खुलने थे और उनमें से हमें एक मिला। यहां जो कहा गया कि बिलजी का बिल शून्य कर दिया मैं इस बात को सुनकर हैरान हूँ क्योंकि सिर्फ पानी और गोदाम का रेट शून्य किया गया था। इसके अलावा तो हमने कांपिटेटिव किया। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि इस बल्क ड्रग फॉर्मा पार्क बनने के पश्चात् हमारे प्रदेश का टर्नओवर 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। आपने कहा कि हमने वर्ष 2023 में 2105 करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 साइन किया और दुबई जाकर भी एम0ओ0यू0 साइन किए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप कब तक इस प्रोजैक्ट को शुरू कर देंगे? क्योंकि यदि आप इसको समय पर कंप्लीट कर देंगे तो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को एक हजार करोड़ रुपये की मदद करेगी।

दूसरी बात यह प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार ने दिया है। मुझे हाल ही में मालूम पड़ा है कि वहां मुख्य मंत्री द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। क्या आपको यह आवश्यक महसूस नहीं हुई कि केन्द्र सरकार को सूचित करके उनको जानकारी देते कि हम वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास करने जा रहे हैं? ताकि केन्द्र का भी कोई प्रतिनिधि वहां आता क्योंकि यह प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार ने दिया है और विशेष परिस्थितियों में दिया है। कोविड के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जब मेडिसिन बनाने के राँ मेटिरियल की पूरे देश भर में कमी महसूस हुई तो भारत में आदरणीय मोदी जी ने इस बल्क ड्रग फॉर्मा पार्क को खोलने का फैसला लिया था।

28.08.2024/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर एग्रेसिवली कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये शेयर के रूप में दे दिए हैं और इसके लिए लैंड के टेंडर भी शीघ्र ही लगाने जा रहे हैं। हमें Government of India से terms of reference environment clearances के संदर्भ में आ गए हैं। हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पब्लिक हियरिंग के लिए लिख रहे हैं। इसके बाद लैंड डवलपमेंट का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण करने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने तो पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है लेकिन हम छोटे-छोटे यूनिट्स का शिलान्यास भी करते जा रहे हैं। हम पंजवाना में राज्य के पैसों से एक एस्टेट भी बना रहे हैं। इसके लिए केन्द्र से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने पूरे डिटेल में इसका उत्तर दिया है और पूरे प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करना है उसके बारे में भी बताया है लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी जब राजनीतिक बात को जोड़ते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमने स्वीकार किया और बड़े भारी दिल से स्वीकार किया। जिस उद्योग की ये बात करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो रहा है। इसलिए मैं, उप-मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी बैठे और हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम इस इंडस्ट्री को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली देंगे।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1150/एन0एस0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या: 1732 ----- क्रमागत

मुख्य मंत्री ----- जारी

3 रुपये प्रति यूनिट बिजली इस इंडस्ट्री को देंगे और अक्टूबर से मार्च में हिमाचल प्रदेश सरकार जब बिजली की कमी होती है, जब हाइड्रो प्रोजेक्ट का पानी कम हो जाता है तब हम 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेंगे। एक रुपया स्कवेयर फीट के हिसाब से जो भी उद्योगपति आएगा, हम उसको जगह देंगे। जो स्टीम बनती है और जिस पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये खर्च होने हैं तो उसको एक-तिहाई रेट पर देंगे। यह इनके (विपक्ष) समय का नहीं है। जो स्टोरेज और वेयर हाउसिज बनने हैं तथा वहां जो उनका मटीरियल रहेगा, वह सब फ्री रहेगा। एम.ओ.यू. का मतलब यह नहीं कि हमारा उन पर कोई हक नहीं है। जब तक इंप्लिमेंट या एग्रीमेंट नहीं होता तब तक एम.ओ.यू. एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी आगे बात क्या होगी? ऐसे ही एम.ओ.यू. विपक्ष ने बिजली में किए और हिमाचल प्रदेश के इंटरस्ट में भी किए चाहे धौलासिद्ध प्रोजेक्ट, लूहरी या सुत्री प्रोजेक्ट हो। जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया और हमें डैम व ठेके दे दिये। मेडिकल डिवाइस पार्क का प्रधान मंत्री जी ने शिलान्यास किया है। हमारी सरकार ने 20 महीनों में फैसला किया कि हम मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए उनका 30 करोड़ रुपये वापिस करने जा रहे हैं और 265 हेक्टेयर जगह हम अपने हिसाब से जो Futuristic Generic Medicines के लिए उद्योग मंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ेंगे तथा बल्क ड्रग पार्क में जो 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च करने जा रही है अगर राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपये अपने स्तर पर खर्च करना पड़ा और अगर उसमें लाभ दिख रहा होगा तो हम खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।

28-08-2024/1150/एन0एस0-ए0एस0/2

प्रश्न संख्या : 1733

श्री राकेश जम्वाल, प्राधिकृत : अध्यक्ष महोदय, जब से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार संस्थान बंद करने का सिलसिला चला हुआ है। 419 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं व राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं बंद कर दी गईं। शिक्षा मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में कहा है कि जहां 5 या 5 से कम विद्यार्थी हैं तो उन प्राथमिक पाठशालाओं को 2 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किया गया है। मंत्री जी, आपको अधिकारी ठीक से जानकारी

नहीं दे रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक प्राइमरी स्कूल वर्ष 1961 से चल रहा था, आपने प्राइमरी स्कूल, जबड़ांस इलाका निहरी को बंद कर दिया। जबड़ांस से निहरी की दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा है। इस स्कूल का सराउंडिंग एरिया लंबा-चौड़ा है। दूसरा, जो प्रश्न पूछा था कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? इसका जवाब दिया गया है कि अभिभावकों की निजी पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाने की रुचि ज्यादा हो रही है और कुछ प्राइवेट स्कूल ज्यादा खुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गुण-दोष के आधार पर फैसला होना चाहिए था। स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने का कारण यह नहीं है बल्कि उसका और कारण है। हमारे बहुत से स्कूलों में अध्यापक मौजूद नहीं हैं। ऐसे भी कई स्कूल हैं जिनमें केवल एक अध्यापक है। उन सिंगल टीचर वाले स्कूलों से भी टीचर को स्थानांतरित करके उन स्कूलों को खाली किया जा रहा है और 25 किलोमीटर दूर से टीचर को डेप्यूट करके उस टीचर को रिलीव करवाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे अनेकों प्राइमरी/मिडल स्कूल होंगे। मेरे क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सिहारन है, यह स्कूल शहर में ही है और वहीं पर दिव्यांग बच्चों का आश्रम भी है तथा वे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल को बाड़ी नामक स्थान में मर्ज कर दिया गया। जो स्कूल मर्ज हुए उनके भवन खाली हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन भवनों का आप क्या करने वाले हैं और जिस स्कूल का मैंने उदाहरण दिया है, वहां पर दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं तो आप उस स्कूल का क्या करेंगे? मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक प्राइमरी स्कूल, तियोरी में

आर0के0एस0 द्वारा जारी।

28.08.2024/1155/RKS/AS-1

प्रश्न संख्या:1733... जारी

श्री राकेश जम्वाल... जारी

जो पिछले डेढ़ साल से बिना टीचर के चल रहा था। वहां के स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों की एडमिशन दूर के स्कूलों में करवा दी। डेढ़ साल से टीचर न होने के कारण वहां पर

कोई भी बच्चा पंजीकृत नहीं था। आपने उस स्कूल को भी बंद कर दिया। च्योहरी गांव में पहुंचने के लिए हमें अढ़ाई से तीन घंटे का समय लगता है। वहां जाने के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। जबरास के स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। वहां से बच्चों को निहरी तक पहुंचाने में कोई बस की सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्थापित स्कूलों के खाली भवन हैं आप उन भवनों का क्या करने वाले हैं?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में स्ट्रेंथनिंग व कंसोलिडेशन समय की आवश्यकता है। अगर आप आज से 20 वर्ष पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रिणी रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पहले तीन राज्यों की सूची में रहा है। लेकिन वर्तमान में जितने भी सर्वे आ रहे हैं वे हम सबके लिए चिंता का विषय है। वर्ष 2003 में प्रथम क्लास से पांचवी क्लास तक लगभग 5,90,000 विद्यार्थी राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ते थे लेकिन आज इन विद्यार्थियों की संख्या घटकर 2,99,000 रह गई है। यानी वर्तमान में 50 प्रतिशत की कटौती हो चुकी है। अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें तो उस वक्त विद्यार्थियों की एनरोलमेंट 3,81,000 के करीब थी। लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 2,05,000 रह चुकी है। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उस समय यह संख्या 1,84,000 के करीब थी। लेकिन अब यह एनरोलमेंट 1,36,000 के करीब रह चुकी है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो जो हिमाचल प्रदेश ने पूरे भारत में शिक्षा के जगत में नाम कमाया था उसे धूमिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे अधिकतर मुख्य मंत्री, विधायक व प्रशासनिक अधिकारी सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। नेशनल असैस्मेंट सर्वे के अनुसार हम शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। 'असर' की रिपोर्ट के अनुसार आठवीं का बच्चा दूसरी क्लास के पाठ्यक्रम को पढ़ने में असमर्थ है। प्रोग्रेसिव ग्रोथ इंडैक्स के माध्यम से हमें शिक्षा व्यवस्था की

28.08.2024/1155/RKS/AS-2

जानकारी उपलब्ध होती है। इस जानकारी के अनुसार आज हम शिक्षा के क्षेत्र में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। एक समय था जब हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेंशन की आवश्यकता

थी। लेकिन आज हमें इस व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। शिक्षा देना तो हर सरकार का परम कर्तव्य है लेकिन इस विभाग द्वारा लाखों की संख्या में रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। हम हर वर्ष अनकों स्कूल और कॉलेजिज खोल रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ष 2012-2017 में हमारी सरकार ने लगभग 50 कॉलेज खोले थे। पिछली सरकार ने भी चुनाव के समय 400 से अधिक संस्थान खोले थे। चुनाव के समय स्कूल व संस्थान खोलने की होड़ सभी सरकारों की होती है लेकिन ऐसा करने से कोई भी सरकार आज तक रिपीट नहीं हो पाई। विपक्ष के बहुत से साथियों ने इस सभागार के बाहर इस निर्णय का समर्थन किया है। लगभग 300 ऐसी प्राथमिक पाठशाला हैं जहां पर बच्चों की संख्या 5 से कम है। आपको अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर बच्चे कम और अध्यापक ज्यादा हैं। युक्तिकरण भी समय की आवश्यकता है। मुझे भी छः चुनाव लड़ने का अनुभव हो चुका है। मुझे अनिल शर्मा जी की बात याद आती है। वर्ष 2022 में इन्होंने इसी विधान सभा में कहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई भी संस्थान नहीं खुला है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1200/बी.एस./डी.सी-1

प्रश्न संख्या: 1733 क्रमांगत...

शिक्षा मंत्री जारी...

मुझे आदरणीय अनिल शर्मा जी की बात याद आती है, इन्होंने वर्ष 2022 में विधान सभा में कहा था कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कोई भी संस्थान पिछली सरकार के दौरान नहीं खुला फिर भी ये रिकार्ड तोड़ वोटों के साथ चुनाव जीत करके आए हैं। अतः सयम है कि हम अपनी शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करें। यहां पर आदरणीय राकेश जम्वाल जी ने संस्थानों की दूरी से संबंधित बात कही है। मैं इसका अवश्य एगजामिन करूंगा। लेकिन मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के, आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले भी जानी जाती थी और पुनः यह उस जगह पर पहुंचे, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

प्रश्नकाल समाप्त

अध्यक्ष: कृपया सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। ...(interruption)
Please take your seats. मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे माननीय सदस्य अपनी शंकाओं का समाधान चाह रहे हैं। हमारे पास नियम बने हैं, कृपया आप नियम-61 के अन्तर्गत इस प्रश्न के संबंध में चर्चा लाएं। Any Hon'ble Member can raise this issue and I will allow it for discussion. There will be half an hour discussion on this Question. अब 12.00 बज चुके हैं और प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

28.08.2024/1200/बी.एस./डी.सी-2

व्यवस्था का प्रश्न

आदणीय बिक्रम सिंह जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रश्न लगे होते हैं यह बड़े लम्बे होते हैं और कंप्यूटर से उन चीजों को समझना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर प्रश्न के उत्तर की कॉपी मांगने का आग्रह किया जाता है, मैंने एक घंटा पहले आग्रह किया था। परंतु मुझे अभी तक वह प्रश्न के उत्तर की कॉपी नहीं मिल पाई है। हम अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछेंगे?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस बारे में और सुधार कर रहा हूँ। अब यह सारा सिस्टम outdated हो चुका है। It has to be changed. It was required to be changed in previous five years but nobody contributed to it. हमारा सिस्टम ही अपडेटिड हो चुका है। इसे फिर से rejuvenate करने की आवश्यकता है। This is good suggestion from your side. We are taking up this issue with the Government of India.

28.08.2024/1200/बी.एस./डी.सी-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, कानूनगो, वर्ग-ग (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ0एफ0ई0-ए (बी) 2-9/2022, दिनांक 14.03.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2024 को प्रकाशित; और
- (ii) सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, 2021-22।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मन्त्री, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:-

- i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ये जो विलम्ब के कारण हैं ये मैंने देख लिए हैं और जो रिपोर्ट्स आपने ले की हैं ये वर्ष 2010-11 की हैं और अब इन्हें वर्ष 2024 में सदन में रखा जा रहा है और ये विश्वविद्यालय से संबंधित है। विश्वविद्यालयों से हमें बहुत उम्मीदें हैं जब ये रिपोर्ट्स इतनी लेट ले होंगी तो फिर इनमें क्या सुधार होंगे। इसलिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में सभी रिपोर्ट्स समय पर रखी जाएंगी। I will not allow the delay in future.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने सही बात रखी है ये पिछले 14 वर्ष का रिकार्ड है। भविष्य में जो भी बात आपने कही है उस पर ध्यान रखेंगे।

28.08.2024/1200/बी.एस./डी.सी-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

(i) समिति का 21वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "दिव्यांग व्यक्तियों/ बच्चों के स्व:रोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 22वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा

पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

- (iii) समिति का 23वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

28.08.2024/1200/बी.एस./डी.सी-5

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मानव विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- (i) समिति का 19वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
- (ii) समिति का 20वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का 12वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति का 21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली की गतिविधियों से सम्बन्धित है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1205/डी0टी0/डी0सी0-1

अध्यक्ष: माननीय जय राम ठाकुर जी आप व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जब हमने इस मान्य सदन से वॉक-आउट किया था, तो वॉक-आउट के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा गया कि नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा वॉक-आउट किया गया, इस तरह कहना ये सदन की अवमानना है। हमने नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस सदन में प्रस्ताव नियम- 67 के अंतर्गत नहीं दिया था। हमने कानून-व्यवस्था पर प्रस्ताव दिया था। मैंने अपनी बात कहते हुए बार-बार इस बात को भी कहा था कि कानून कार्रवाई करने के लिए है और ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह आरोपी है या नहीं है, कि वह किसी सड़क पर या चौराहे पर किसी भी व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय आप तो लॉयर हैं आप ही कहें कि क्या कानून इस बात की इजाजत देता है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली मॉबलिंग की घटना हुई है क्योंकि एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार दिया गया है। जो मीडिया में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उपमुख्य मंत्री जी के वक्तव्य का जिक्र आया मैं उसको लेकर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ हमारी कमिटी है और इसके लिए जो भी लड़ाई सरकार लड़ेगी उसमें हम सहयोग करेंगे और हम वैसे भी नशे के खिलाफ हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा विषय कानून-व्यवस्था से संबंधित था लेकिन इस विषय को इस मान्य सदन में गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार पदों में बैठे माननीय मुख्य मंत्री व उपमुख्य मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे सदन की कार्रवाई से हटाना चाहिए।

28.08.2024/1205/डी0टी0/डी0सी0-2

अध्यक्ष: यहां माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कानून-व्यवस्था के विषय मामला उठाया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला आज की विधान सभा की कार्य सूची में लिस्टड है। इस मान्य सदन में जब आप (माननीय नेता प्रतिपक्ष) कानून-व्यवस्था के संबंध में बोलेंगे तो ये सारी बातें कह सकते हैं। Therefore, I don't think there is anything which require to be done at this stage and we will look into this as and when discussion on Law & Order will take place. अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह मेरी अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री केवल सिंह पठानिया जी से की अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखें। जिसमें भाषण कम हो और ध्यानाकर्षण ज्यादा हो।

28.08.2024/1205/डी0टी0/डी0सी0-3

नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक):अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से शाहपुर के हारचक्कियां और लंज में चिकित्सकों की कमी के कारण दो व्यक्तियों की सर्पदंश से आकस्मिक मृत्यु हुई है मैं इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हारचक्कियां व ग्राम पंचायत मनेई में एक महीना पहले दस साल का एक बच्चा जोकि राजकीय उच्चतम माध्यमिक पाठशाला, हारचक्कियां में पढ़ता था और राजकीय प्राथमिक पाठशाला, लतयाना का

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

28-08-2024/1210/एच.के.-एन.जी/1

श्री केवल सिंह पठानिया.....जारी

एक अध्यापक श्री संजय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन दो व्यक्तियों की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मैं यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर बरसात के समय में सांप के काटने से मृत्यु होने के बहुत सारे मामले सामने आते हैं।

(श्री अनिल शर्मा, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के लिए जो एंटी-1 टीका होता है उसका प्रावधान केवल टांडा मेडिकल कॉलेज में ही है। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री होते थे तब एंबुलेंस सेवा-108 में भी एंटी-1 का टीका उपलब्ध होता था। किसी भी गांव में एंबुलेंस सेवा-108 बिना देरी के पहुंचती है और उसमें यह टीका उपलब्ध होने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो आधे घण्टे के भीतर उसे यह टीका लगाना बहुत जरूरी है। मैंने जिस मामले को यहां पर उठाया है उसमें जब हारचक्कियां व मलेई से एंबुलेंस को फोन किया गया तब उसमें यह टीका न होने के कारण बच्चे ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उस अध्यापक को टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जब वह अध्यापक टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचा तब उसको वेंटिलेटर भी नहीं मिल पाया। कोविड के दौरान जो वेंटिलेटर आय थे वे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस तरह का मामला कोई नोटिफाइड बीमारी ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास सांप के काटने से प्रभावित मामलों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये आंकड़े न एम.एस के पास हैं और न ही सी.एम.ओ. के पास हैं कि सांप के काटने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है।

28-08-2024/1210/एच.के.-एन.जी/2

मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एंबुलेंस सेवा-108 में एंटी-1 टीकों को उपलब्ध करवाया जाए। जब मुझे उस अध्यापक के केस का पता चला तब मैंने इस टीके के लिए रात को शिमला में भी फोन किया क्योंकि वह अध्यापक रात को 11.30 बजे अस्पताल पहुंचा था। मैं बताना चाहता हूँ कि 32 मील से लेकर रानीताल तक बहुत बड़ा स्ट्रैच है। उसमें लगभग 47 ग्राम पंचायतें आती हैं। इस स्ट्रैच के दौरान सी.एच.सी. कुठेड़, लंज्ज व रानीताल और पी.एच.सी. लतयाणा भी पड़ती है। इसी स्ट्रैच में देहरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पटेड़, धार दंगड़, मशरूर आदि भी पड़ती हैं और कहीं पर भी इस टीके का स्टॉक नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ कि सांप उस गरीब व्यक्ति को काटता है जो अपनी दिनचर्या में सुबह उठकर अपने खेत व गाय के बाड़ों में जाता है जिसे हम पहाड़ी में घराल कहते हैं। अमीर आदमी को सांप नहीं काटता क्योंकि वह तो बढ़िया घर में रहता है और उसमें अटैच बाथरूम होता है। सांप उसे काटेगा जो सुबह उठकर अपनी दराटी लेकर या अपने गाय के शैड में जाकर अपनी गाय, भैंस व बकरियों को चारा डालने व अन्य कामों के लिए जाता है। मैं चाहता हूँ कि उस गरीब व्यक्ति के लिए 24x7 स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए और सी.एच.सी., पी.एच.सी. और एच.एस.सीज़ के अंदर ही उस गरीब को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में तो 90 प्रतिशत गांवों का इलाका है।

मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से चाहता हूँ कि सांप के काटने पर विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए और वह कमेटी विधान सभा के पटल पर जवाब रखे कि प्रदेश में सांप काटने के कितने मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एंटी-1 टीका एंबुलेंस सेवा-108, सी.एच.सी. व पी.एच.सीज़ में भी उपलब्ध करवाएं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सांप तो कांगड़ा,

चम्बा या ऊना में काटता है और उसके उपचार के लिए दवाई तमिलनाडू में तैयार की जाती है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1215/केएस/एचके/1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी---(उप मुख्य सचेतक):

क्या तमिलनाडू की टॉपोग्राफी, क्या तमिलनाडू की ज्योग्राफी, और मैं जानता हूँ खासकर वन विभाग के कर्मचारियों ने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। वह स्टडी यहां पड़ी है और स्वास्थ्य विभाग को देखनी चाहिए। वन विभाग की स्टडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे जहरीला कोबरा जिला चम्बा के चुराह विधान सभा क्षेत्र में पाया जाता है। माननीय मंत्री जी को कोबरों और खड़पों से लड़ने का बहुत लम्बा एक्सपीरियंस है। बहुत से खड़पे और कोबरे इन्होंने देखे हैं और ये वर्ष 1985 से ले कर लगातार इस हाउस में रहे हैं। सभापति महोदय, तमिलनाडू से इसका इलाज होता है। मैं चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो स्टडी की है, उस स्टडी को स्वास्थ्य विभाग देखें और कोऑर्डिनेशन में बहुत से आई.एफ.एस. अधिकारियों ने यह स्टडी की है कि कौन-कौन से सांप कहां-कहां पाए जाते हैं और कितने जहरीले होते हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि यह स्नेक पार्क, मैं कहता हूँ कि गाड़ी चाहिए मुझे समरहिल या शिमला में और टिकट मैं ले रहा हूँ चेन्नई की। यह नहीं है, यह रिकमेंड किया हुआ है। गोपालपुर में जो हमारा चिड़ियाघर है, वहां पर आप स्नेक पार्क स्थापित कीजिए।

खड़पे और कोबरे में यह अंतर है कि खड़पे का डसा हुआ बच सकता है लेकिन कोबरे का डसा हुआ नहीं बच सकता। खड़पों के अटैक यहां भी हुए, पीछे विधान सभा में जो बजट सत्र में हुआ, वह खड़पे का अटैक था। अगर वह कोबरे का अटैक होता तो हो सकता है कि हमारी रद्दोबदल हो जाती। खड़पा डसते तो हम हारचक्कियां से वाया रानीताल, वाया बड़ोह होते हुए हम टांडा पहुंच सकते हैं लेकिन कोबरा डस दे तब तो बचना ही मुश्किल है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बहस खड़पों की किस्मों पर नहीं हो रही है। आपका प्वाइंट आ गया।

28.08.2024/1215/केएस/एचके/2

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक) : माननीय मंत्री जी, यह जो स्नेक पार्क है, यह मामला गरीब आदमियों का है, छोटे परिवारों का है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मैं पांच मिनट ज्यादा भी ले लूंगा तो कोई बात नहीं। आप भी ग्रामीण परिवार से आते हैं। आपके आस-पड़ोस में, भटियात और चम्बा में, मैं कह सकता हूँ कि कई प्रकार के कोबरे आए लेकिन उनका इलाज आपने भी बहुत अच्छे तरीके से किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो स्नेक पार्क है, इसका और यहां जो स्टडी की गई है, यहां के सांपों से वर्म निकाला जाए, दवाई बनाई जाए। माननीय मंत्री महोदय, गोपालपुर के अंदर जो हमारा चिड़ियाघर है, वहां एक स्नेक पार्क स्थापित किया जाए।

अगर और प्रदेशों की तुलना की जाए, वैस्ट बंगाल या केरल हो, वहां आपका नया काम है। आप पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट लेते हो उसमें कई बार नहीं आता। हारचक्की के अंदर व्यक्ति को कान में सांप काट गया और वे अस्पताल दूसरे दिन पहुंचे कि हमारे देसी इलाज भी चलता है। कोई चले के पास जाता है या कहीं और चला जाता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 12 घंटे के बाद क्लीयर नहीं आता। मैं कहता हूँ कि जो स्नेक बाइट है, जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, जो कहीं पी.एच.सी. या सी.एच.सी. से डॉक्टर रिपोर्ट देता है, रिलीफ मैनुअल में यह भी छूट दी जाए कि अगर स्नेक बाइट उसने लिख दिया है तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है

तो उसके परिवार को 4 लाख रुपया दिया जाए। कई प्रदेशों में ऐसा है कि जहां डॉक्टर स्नेक बाइट लिख देते हैं उस पर वे ए.पी.एल. करते हैं। इसके साथ-साथ जो कोविड के समय में बहुत सारे वेंटिलेटर्ज़ खरीदे गए थे, उनमें से बहुत से खराब भी हैं लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि संजय को टांडा में वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, आप कहते हैं कि सुधारीकरण हुआ है। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि टांडा मैडिकल कॉलेज के लिए आपने 450 करोड़ रुपये दिए हैं और साढ़े चार सौ नर्स दी हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से दो किडनियों का ट्रांसप्लांट पहले हुआ और डॉक्टर अमित जो कि पी.जी.आई.

में डॉक्टर था, मुख्य मंत्री महोदय, मैं जानता हूँ कि यह मामला टांडा मैडिकल कॉलेज का है। वह डॉक्टर शाहपुर विधान सभा क्षेत्र का रहने

28.08.2024/1215/केएस/एचके/3

वाला है। क्योंकि वह पी.जी.आई. में एम.डी. करना चाहता था वह बिना छुट्टी के चला गया। मुझे जब वह हिमाचल भवन में मिला तो मैंने उससे इस बारे में कहा। उसको बाहर का 50 लाख रुपये का पैकेज मिल रहा था लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरी बातों से कंविस हुआ। वहां सुख-सुविधाएं नहीं थीं। मुख्य मंत्री महोदय का सपना था कि टांडा मैडिकल कॉलेज को मैं अच्छा बनाऊं,

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

28.08.2024/1220/AV/वाई०के०/1

श्री केवल सिंह पठानिया ----- जारी

मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने भी उसके लिए 7.50 करोड़ रुपये की राशि दी है। पिछले कल भी वहां पर दो किडनियों का ट्रांसप्लांट हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और वह टीम बधाई की पात्र है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा यह दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गोपालपुर में स्नेक पार्क स्थापित किया जाए। इसमें कंप्नसेशन भी एकदम मिलना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार न किया जाए। सांप के काटने को कहीं-न-कहीं नोटिफाई किया जाए। ...(व्यवधान) हां, सांप-सपेरे, खड़पे और ढीने का रोल हर संस्कृति में होता है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूँ कि सांप और ढीने से आदमी बच सकता है लेकिन कोबरे का काटा हुआ नहीं बच सकता। यहां पर सदन के नेता को भी डंसने की कोशिश की गई थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी पर शिवजी का आशीर्वाद है और शिवजी के आशीर्वाद से हम वर्ष 2022 में भी 40 थे और अब भी 40 हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.08.2024/1220/AV/वाई०के०/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है क्योंकि इस मौसम में सांप के काटने का बहुत खतरा रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जहां लोग सुबह जल्दी उठकर काम करने लग जाते हैं और वहां लोग ज्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। वैसे तो प्रत्येक मैदानी इलाकों में सांप के काटने का खतरा बना रहता है परंतु मैं एक सैनिक होने के नाते जम्मू और नागालैंड को चिन्हित करना चाहता हूं जहां पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

Sir, with your permission first of all I would like to quote a live example of 1965 operation. In 1965, when I was in Hussainiwala post, I was in the trench and a cobra was slept with me for the whole night in that trench. I am also putting it on record. Perhaps, you all know that in the military services everybody has to get up early in the morning so as we were. Then the Commanding Officer of our Battalion, Shri Suraj Bakshi came to me and asked me that why are you so scared in the wee hours? I said, Sir, there was a huge cobra which was sleeping beside me for the whole night. He said that if that cobra didn't harm you than you are lucky. He told 2-3 persons of the battalion to take a stick and throw the cobra out of the trench. Mr. Bakshi also told that if that cobra didn't harm you that means the Lord Shiva is really kind on you. I am just giving this example nothing else.

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1225/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

अध्यक्ष महोदय, इस मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि शाहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव हारचक्कियां के निवासी नक्ष धीमान, सुपुत्र श्री पवन कौंडल, उम्र 10 वर्ष, निवासी गांव व डाकघर हारचक्कियां, जिला कांगड़ा को दिनांक 24.07.2024 को सुबह 10.50 बजे सिविल अस्पताल शाहपुर के आपातकालीन कक्ष में मृत लाया गया व ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने जांच कर उसे मृत घोषित करने के उपरान्त शव को पुलिस अधिकारियों को पोस्टमार्टम हेतु सौंप दिया। समुदायिक स्वास्थ्य

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Wednesday, 28 August, 2024

केंद्र लंज में जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक सर्पदंष का कोई भी मरीज रिपोर्ट नहीं किया गया है लेकिन जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने बात रखी है, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि although the doctors are in both the places were there.

हमारा जो पैरामेडिक्स है वह इस प्रकार है:

सर्पदंश के मामले जिला कांगडा (जनवरी से जुलाई 2024) (Including Dr RPGMC Tanda)

क्रम संख्या.	कुल मामलों की संख्या	कुल मृत्यु की संख्या
जनवरी-24	6	0
फरवरी-2024	4	0
मार्च-2024	26	0
अप्रैल-2024	39	01
मई-2024	54	0
जून-24	114	01
जुलाई-24	270	02
Total	513	04

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि it should be available in each PHCs. I can assure the Hon'ble House that we shall make all these anti-snake venom injection is available. हालांकि इस वक्त भी जिला कांगडा में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक एनटीस्नेक वेनम उपलब्ध है। वर्तमान में जिला भण्डार धर्मषाला में 473 एनटीस्नेक वेनम की वाईल उपलब्ध है। जिला में सर्पदंष की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सी0एच0ओ0 एवं फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें एनटीस्नेक वेनम के टीके को लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है। जिला में सर्पदंष की रोकथाम और प्रवन्धन के बारे में समय-समय पर आऊटरिच गतिविधियां आयोजित की जाती है। Hon'ble Speaker, Sir, I can assure the Hon'ble House, अध्यक्ष महोदय, हमारे

28.08.2024/1225/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

लोकप्रिय और यशस्वी मुख्य मंत्री जी का इस प्रकार की घटनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील रवैया रहता है। चाहे वह कमजोर वर्ग या बेसहारा हो क्योंकि इन लोगों को सुबह उठकर काम करना होता है। मेरा मानना है कि we are trying that staff of various categories will

be filled soon. मैं बताना चाहता हूँ कि 200 डॉक्टरों के पद भरने हेतु हि० प्र० राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिए गए हैं। इसी प्रकार से नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से 600 के करीब स्टाफ भी भरा जा रहा है। दूसरी बात, the Government will consider to provide anti-snake venom injection at PHCs level because 108 Ambulance will also be equipped with mandatory equipment of anti-snake venom injection. This is another thing that we will make. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरी सजेशन सेफगार्ड और प्रशिक्षण के बारे में दी है उनकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा। एक अन्य विषय इन्होंने किडनी के बारे में उठाया था। The equipment required for renal transplant surgery is being sanctioned by the Government. अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के स्टैप स्वास्थ्य केंद्रों हेतु उठाए जा रहे हैं या आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जा रही है इनका उद्देश्य यही है कि बड़े हॉस्पिटल में जो भीड़ है उसको कम किया जा सके और गांव के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वे उनको इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में मिले। यह माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ा स्टैप लिया जा रहा है।

एन०एस० द्वारा ... जारी

28-08-2024/1230/एन०एस०-ए०जी०/1

Health and Family Welfare Minister continues . . .

And you will find that health sector will be totally transformed in a couple of months. That's what I feel. Once again I must thank you. ...(Interruption) I quite agree that Cobra is a very-very dangerous species. We should try and safeguard ourselves from all these dangers. Thank you very much, Sir.

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Minister.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के तहत माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है और मंत्री जी ने बड़ा एग्जॉस्टिव जवाब दिया है। हमने 10-12 वर्ष पहले आई०सी०एम०आर० को इस बारे में लिखा था और उन्होंने इसकी स्टडी की थी कि कहां पर स्नेक बाइट की घटनाएं ज्यादा होती हैं? उसमें यह पाया गया

कि जो भी नदी या खड्डों के किनारे वाले क्षेत्र हैं उनमें सांप बहकर किनारे वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। ये घटनाएं बरसात के समय और बरसात के बाद ज्यादा होती हैं। उस समय सांपों के काटने से लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद ही हमने 108 एम्बुलेंस में एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन रखा गया था। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब आवश्यकता यह भी है कि पी0एच0सी0 लैवल पर भी एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन रखे जाने चाहिए और सी0एच0सी0 लैवल पर डॉक्टरों व नर्सिज को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। **हम कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से लोगों को बचाने का इंतजाम करेंगे। मैं निश्चित तौर पर माननीय केवल सिंह पठानिया को आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसकी व्यवस्था करेंगे।** सांप के काटने से आदमी को बचाने के लिए इसका इंजेक्शन काफी ठंडा होना चाहिए। हमारे यहां पर सांपों को देवी-देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। जब सांप काटता है तो कुछ लोग गुग्गा मंदिर में जाकर अपना इलाज करवाते हैं लेकिन उन्हें ऐसे सांप ने काटा होता है जिसके काटने से आदमी की मृत्यु नहीं होती है। **इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम इसको देखेंगे और आने वाले समय में इसकी व्यवस्था करेंगे।** माननीय सदस्य ने एक प्वाइंट उठाया है कि कोबरा/स्नेक बाइट से डैथ होगी तो उस परिवार को 4 लाख रुपये मिलने चाहिए। मैं इसके लिए राजस्व मंत्री जी से चर्चा करूंगा और इस पर विचार करेंगे। गांव के पंचायत प्रधान व सभी लोगों को पता होता है कि इस आदमी की डैथ सांप के काटने से हुई है। बिना मेडिकल के भी अगर पंचायत प्रधान व बी0डी0ओ वेरिफाई कर देगा तो हम इसको इंकलूड कर लेंगे। राजस्व मंत्री जी आप इसको स्टडी कर लेना।

28-08-2024/1230/एन0एस0-ए0जी0/2

अध्यक्ष : अब श्री सुरेन्द्र शौरी जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अंतर्गत "सराज वन मण्डल (बन्जार) सुराग शिल्ह जंगल में हरे पेड़ों के अवैध कटान पर उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।" अध्यक्ष महोदय, वहां पर सालवेज का टेंडर दो वर्ष पहले लगा था। अभी मामला ध्यान में आया कि वहां पर केवल 836 सूखे पेड़ काटने

की अनुमति थी लेकिन वहां पर लगभग 400 से ज्यादा हरे पेड़ काटे गए हैं। जब लोगों ने यह मामला मेरे ध्यान में लाया तो मैं वहां पर गया और देखा कि बहुत ज्यादा हरे पेड़ काटे गए हैं। अध्यक्ष महोदय,

आर०के०एस० द्वारा जारी।

28.08.2024/1235/RKS/AG-1

श्री सुरेन्द्र शौरी... जारी

मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वहां पर हरे पेड़ काटे गए थे। मैंने यह बात विभाग के ध्यान में लाई और यह जानना चाहा कि यह कार्य किस ठेकेदार को दिया गया था। यह मामला मेरे ध्यान में 16 अगस्त को आया और मैंने मौके पर जाकर अपने लेवल पर सारी इंकवायरी की। वहां पर ग्रामीणों के साथ हम मौके पर गए और उन पेड़ों की फोटोग्राफी की। जिस दिन मैंने मीडिया के सामने यह मुद्दा उजागर किया उसी दिन शाम को विभाग ने आनन-फानन में 10 पेड़ों के काटने की एफ.आई.आर. दर्ज कर दी। जंगलों में हो रहे इस तरह के अवैध कटान निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हमें ठोस उपाय करने चाहिए। विभाग इस मामले को दबाकर ठेकेदार को बचाना चाह रहा है। जब मैंने ठेकेदार का पता किया तो पाया कि वह कुल्लू से एक कांग्रेस का नेता है। पिछली सरकार के समय उसे आई.टी.आई. की आई.एम.सी. कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आज सत्ता का इतना प्रभाव हो गया है कि जंगलों में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जलोड़ी-जोत, गाड़ागुसैणी और सोजा क्षेत्र लगभग 600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वन विभाग द्वारा सालवेज का टेंडर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को टी.डी. लेनी होती है तो उसे ऑफिस के 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। उसको सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, पेड़ का फोटा व जिओ टैगिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब सालवेज के टेंडर लगते हैं तो इसमें न तो जियो टैगिंग होती है और न ही प्रोपर मार्किंग की जाती है। इसके लिए कोई प्रोपर एस.ओ.पी. नहीं बनी है। कुल्लू जिला में ही 25 सालवेज के टेंडर लगाए गए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश 100 से ज्यादा सालवेज के टेंडरों में काम चला हुआ है। लेकिन सालवेज के नाम पर जो हरे पेड़ काटे जा रहे हैं वह प्रकृति के साथ सरासर खिलवाड़ है। पेड़ हमारे प्रदेश की संपदा

है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें पौधरोपण करके इस प्रदेश में हरित क्रांति लाएंगे और दूसरी तरफ हम हरे पेड़ों को काटे जा रहे हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के मामले उजागर होते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले तारा देवी में ऐसा मामला आया, चंबा में इस तरह का अवैध कटान हुआ और शिमला जिला की कोटी वीट में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ। लेकिन विभाग इस पर कोई ठीक से एस.ओ.पी. नहीं बना पा रहा है। आज टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है? आज मनरेगा की लेबर की दिन में तीन

28.08.2024/1235/RKS/AG-2

बार जिओ टैगिंग की जाती है। जब लेबर साइट में 10:00 बजे पहुंचती है तो पंच और सचिव मौके पर जाकर लेबर की जियो टैगिंग करते हैं। दोपहर 12.00 बजे और फिर सायं 5.00 बजे दोबारा जिओ टैगिंग होती है। लेकिन जो प्रदेश की इतनी बड़ी संपदा है इसका वन विभाग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसमें एक-एक पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जितनी भी जगह सालवेज के टेंडर लगे हुए हैं उनकी आज ही इंस्पेक्शन की जाए। जब मेरी ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सालवेज के नाम पर हर वर्ष हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार को कोई ठोस नीति बनाने व इस सदन पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1240./बी.एस./ए.जी-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

हरे पेड़ों को कटान से कैसे बचाया जा सकता है? इस पर कोई ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। सालवेज लोट में जो त्रियामी भौगोलिक मानचित्र तैयार किया जाता है और जो अर्थ गूगल के माध्यम से के.एम.एल. तैयार की जाती है, वह प्रॉपर रूप से तैयार होनी चाहिए। विभाग का इसमें ठीक से डीविजन होना चाहिए। अब तो तकनीक यहां तक पहुंच गई है कि ड्रॉन सिस्टम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि जो पेड़ काटना

है उसके दाएं-बाएं कितने हरे-भरे पेड़ हैं। विभाग के पास इसका पूरा आंकड़ा होना चाहिए। उसके साथ जो एफ.आर.सी. कमेटियां बनी हैं और गांव की पंचायतें हैं उन्हें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। अक्सर गांव के अंदर क्या होता है कि जब जंगल में कोई व्यक्ति हरा पेड़ काटता है तो उसकी विभाग से शिकायत की जाती है। परंतु जब सालवेज के टैंडर लगते हैं तो गांव और पंचायत वाले यह सोचते हैं कि इन पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है और ये जैसा मर्जी वहां पर कर सकते हैं। इस तरह से स्थानीय लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं कि विभाग इसमें पैसा कमा रहा है और सरकार की इससे आय हो रही है। परंतु सालवेज की आड़ में यहां पर हरे पेड़ों का कटान निरंतर होता आ रहा है और इससे पहले भी यह हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जो एस.ओ.पी. बनेगी उसमें सालवेज के अलॉट के अन्दर 100-200 हैक्टर से ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। जब मैंने सराज, सुराग शिल्ह जंगल में जाने का प्रयास किया और जब मौके पर पहुंचा तो सड़क से ऊपर 5-6 घंटे की चढ़ाई थी। इस स्थिति में वहां पर जा करके जंगलों को कौन देखेगा? वहां पर एक गार्ड भी पैदल नहीं पहुंच सकता। इस पर विभाग क्या जांच करता है कि दो-चार गार्डों को सस्पेंड करता है उसके अलावा अधिकारी बच जाते हैं और फिर से मामला वहीं पर पहुंच जाता है। इसके लिए एक सख्त एस.ओ.पी. बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। एफ.आर.सी. को इसमें विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

28.08.2024/1240./बी.एस./ए.जी-2

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यहां पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो मुद्दा यहां पर उठाया है इसकी पूरी जांच हो और जांच के बाद इस पर ठोस कार्रवाई

अमल में लाई जाए। अगर इस तरह से जंगल काटे जाएंगे तो हमारे जंगल घटते जाएंगे और ग्लेशियर कम होते चले जाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा हरा-भरा क्षेत्र किसी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में विभाग सालवेज के टैंडर लगते हैं तो इसकी प्रक्रिया में जरूर परिवर्तन करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ताकि

ठेकेदार हरे पेड़ न काट सकें। अध्यक्ष महोदय, जंगलों में जो नुकसान होता है वह न हो सके। जो बालन लकड़ी होती है उसके नाम पर हरे-हरे पेड़ काटे जाते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए 100 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से और सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर पूरी जांच हो और एक नई एस.ओ.पी. सालवेज टैंडर की हो। ताकि हमारा पर्यावरण भी बचे और पेड़ भी बचें, धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

28.08.2024/1240./बी.एस./ए.जी-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो राजवन मण्डल का नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। उस संदर्भ में कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

वर्ष 2022 में 836 सूखे पेड़ों के लिए दो साल के लॉट यानी 2023-2025 के रूप में काम करने के लिए एक सालवेज लॉट संख्या 7 गई थी। ये 836 सालवेज वृक्ष 2000 मीटर से 3150 मीटर की ऊंचाई वाले सुराग शिल्ह और भिंडली के ऊंचे जंगलों में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। जिसकी कटाई, परिवर्तन और परिवहन का काम वन निगम द्वारा कुल्लू के श्री मदन सूद को दिया गया था। यह काम चल रहा था, जब माननीय विधायक, बंजार, ने 16.08.2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उक्त ठेकेदार द्वारा 400 से अधिक हरे पेड़ों को अनधिकृत रूप से गिराया गया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1245डीटी/एएस-1

मुख्य मंत्री.... जारी

जब माननीय विधायक बंजार ने दिनांक 16-08-2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उक्त ठेकेदार द्वारा 400 से अधिक हरे पेड़ों को अनधिकृत रूप से गिराया गया है, इसके बाद डी.एफ.ओ. बंजार और वन निगम के कर्मचारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत जांच की गई। वर्ष 2022 के दौरान वन विभाग द्वारा सौंपे गए कुल सालवेज पेड़ों की संख्या 836 थी जिसमें राई, तोश, खरशु, कैल, मेपल आदि विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि माननीय विधायक बंजार द्वारा किए गए दावे 400 पेड़ के विपरीत लगभग 16 तोश के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। इस बीच पुलिस स्टेशन बंजार में दिनांक 16-08-2024 को संख्या: 0113 के तहत एक एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। पुलिस विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है जो अभी भी जारी है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कथित नुकसान के लिए वन विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार के खिलाफ 99, 47, 600/- रुपये का हर्जाना बिल बनाया गया है। जब आप नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं तो हम मामले की गंभीरता को समझते हैं। अगर किसी पार्टी का कोई व्यक्ति ठेकेदार है तो आप किस-किस का बोलेंगे कि आपने गलत काम किया है। हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और इस पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अगर आपके पास 400 पेड़ कटने की और सूचना या वीडियोग्राफी है तो वह सूचना आप मुझे दे सकते हैं। निश्चित तौर पर 16 पेड़ कटे हैं जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने देखा है। अभी जिन 836 सूखे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है आप उनकी वीडियो नहीं भेजना। इनमें से 358 पेड़ नियमानुसार काटे गए हैं। 16 अवैध काटे गए पेड़ों के बारे में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। डिटेल वैरिफिकेशन की जा रही है। अगर आपके पास और कोई सूचना है तो आप हमें बता सकते हैं। हम प्रकृति और जल-वायु संरक्षण के आधार पर पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। आपने जो एस.ओ.पी. की बात की है हमने उस पर भी बदलाव किया है। जो जंगलों में पेड़ गिरकर सड़ जाते थे हमने उनका इस्तेमाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। हमने सालवेज के टेंडर के लिए डी.एफ.ओ. को ऑथोराइज कर दिया है और उन्हें पावर दे दी है कि आप जो भी पेड़ काटेंगे उसमें पहले स्थानीय पंचायत का राइट होगा। अगर पंचायत नहीं लेगी तो फोरेस्ट कोर्पोरेशन पेड़ उठाकर ले जाएगी। जब कोई सड़क बनाई जानी या चौड़ी की जानी होती थी तो फोरेस्ट कोर्पोरेशन वाले पेड़ काटने की अनुमति देते थे। हमने कहा कि अब डी.एफ.ओ. प्राइवेट काँट्रैक्टर से भी उस सड़क या सरकारी भवन

28.08.2024/1245डीटी/एएस-2

बनाने के लिए जो पेड़ कटने होंगे उसकी परमिशन दे सकते हैं। अभी वे 800 पेड़ नहीं कटे हैं। अभी 358 पेड़ ही कटे हैं और ये पेड़ नियमानुसार कटे हैं। जो 16 पेड़ अवैध कटे हैं उनकी एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। अगर आपके पास और जानकारी होगी वह आप

मुझे दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस पेड़ में जान होगी उसको नहीं काटने दिया जाएगा। धन्यवाद।

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। पिछले कल नियम-130 के अंतर्गत “प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे” इस पर आगामी चर्चा होगी।

श्री एन.जी.द्वारा.... जारी

28-08-2024/1250/डी.सी.-एन.जी/1

अध्यक्ष जारी.....जारी

नियम-130 के अंतर्गत "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

अब मैं माननीय सदस्य, श्री नन्द लाल जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तथा नए-नए प्वाइंट निकालें। Kindly try to be in time.

28-08-2024/1250/डी.सी.-एन.जी/2

श्री नन्द लाल (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत माननीय सदस्यों ने जो आपदा प्रबंधन व नुकसान के संदर्भ में विचार करने पर प्रस्ताव लाया है तो उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 व 2024 में जो हम आपदा देख रहे हैं उसे यदि हम unpleasant कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि पहले इस प्रकार से बरसात नहीं होती थी। पहले जब बरसात होती थी तो तरीके से होती थी लेकिन पिछले वर्ष जिस प्रकार से बरसात हुई और उससे भारी नुकसान हुआ वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्लाऊड ब्रस्ट को बताया जाता है। बादल फटने से नदी/नाले का कोर्स पूरा डेबरी लेकर एक ही डायरेक्शन में चलता है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी प्रकार भारी बरसात होने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने से भी नदी/नालों के पानी का फ्लो बढ़ जाता है। वर्ष 2023 में जो नुकसान हुआ वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया और उस दौरान प्रदेश में भारी तबाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं अपने रामपुर क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। मेरे रामपुर क्षेत्र के 15 बीष ऐरिया के दो-तीन स्थानों पर क्लाऊड ब्रस्ट हुआ है। वहां पर गांव खुड़ना, तरपाना, कोट और ननखड़ी के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। खासकर खड़ाहन में इतना बड़ा नुकसान हुआ और जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कि एक 4 मंजिला भवन दो दिन के बाद तीन मंजिल का रह गया और उसके बाद वह दो मंजिल हो गई तथा फिर वह बिलकुल ही मिट्टी में समा गया। यह सब बहुत ही अजीब तरीके से हुआ। इस दौरान हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील रही और तुरंत लोगों के रेसक्यू व मदद के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं, लोक निर्माण मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी तथा राजस्व मंत्री जी, सब लोग स्पॉट पर पहुंच गए। इन्होंने जो भी पोसिबल हो सका उससे वहां पर लोगों की पूर्ण मदद करने का प्रयास किया। उस समय यातायात बिलकुल बंद हो चुका था। हमारी सरकार ने जो सड़कें टूट गई थीं उन्हें जल्द-से-जल्द रिपेयर किया और जो पुल टूट गए थे वहां पर वैली ब्रिज बनाए ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो सके। इसके

28-08-2024/1250/डी.सी.-एन.जी/3

अलावा रिहैबलिटेशन के लिए जो भी किया जा सकता था वह सबसे पहले किया। वहां के लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया, उनके लिए कैम्पस स्थापित किए गए और उसमें खाने व रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उन लोगों के लिए लॉजिस्टिक स्पोर्ट भी उपलब्ध करवाया गया।

अध्यक्ष महोदय, जुलाई-2023 की आपदा में जो नुकसान हुआ वह लगभग 12 हज़ार करोड़ रुपये का था। इसमें बगीचों का बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अनुसार बगीचों का प्रति बीघा, पेड़ों के लिए प्रति पेड़ और मकान टूटने पर दी जानी वाली राशि के लिए रिलीफ मैनुअल में बदलाव करके 1.5 लाख रुपयों को बढ़ा कर 7 लाख रुपये किया गया। पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपये और आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इस प्रकार की सोच बनाई और लोगों को मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपये का प्रावधान किया। सवाल यह है कि उन्हें 7 लाख रुपये तो मिल गए हैं और वे उससे अपना मकान भी बना लेंगे लेकिन उनके पास जमीन तो है ही नहीं। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोगों के लिए जमीन का प्रावधान होना भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भूमिहीन परिवारों को गांवों में 3 बिस्वा और शहरों में 2 बिस्वा जमीन देने का प्रावधान तो है लेकिन हमारे लोग भूमिहीन नहीं कहलाते क्योंकि उनके पास थोड़ी-बहुत जमीन होती है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1255/केएस/डीसी/1

श्री नन्द लाल जारी---

मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब आप पैसे भी दे रहे हैं, लोग लैंडलैस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, उनको मकान बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है। उसके लिए

हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी एस.डी.एम. और डी.सीज़. को आदेश दे दिए हैं कि वे एक सेफ जगह आइडेंटिफाई कर लें ताकि जब शिफ्ट करने की बात आए तो उनको वहां पर शिफ्ट किया जा सके। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए क्योंकि लोग 7 लाख रुपये वहां नहीं लगाएंगे जहां पर हिलने व टूटने वाली जगह हो। इसलिए उनको जमीन देना बहुत ज़रूरी है।

इसी तरह से जो नुकसान हुआ है, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 की आपदा में 500 जानें गईं जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद अभी तक कुछेक लाइवज़ को हम यह नहीं कह सकते कि उनको डैड डिक्लेयर किया गया। डैड डिक्लेयर नहीं होगा तो उनको एक्सग्रेशिया पमेंट या दूसरे जो लाभ थे, वे नहीं मिल सकते। इसके लिए भी मेरा सरकार से आग्रह है कि किसी तरह से डिजास्टर में इसको डालते हुए, प्रोविज़न होना चाहिए कि उनको डैड डिक्लेयर किया जा सके ताकि उनको बाकी सुविधाएं मिल सके।

इसी तरह से वर्ष 2024 में जो डिजास्टर हुआ, समेज गांव का यहां पर सभी लोगों ने ज़िक्र किया, समेज एक छोटा सा गांव है। वहां पर क्लाउड ब्रस्ट के कारण , नाले-खड्डें सारी इकट्ठा हो गए और उनका मलबा उस गांव को बहा ले गया। वहां पर एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर की बिल्डिंग भी थी, स्कूल था, वह सारे बह गए और लगभग 33 लोगों की मृत्यु हो गई। हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह का वहां पर deployment was done for the rescue operation, it was marvellous. हमारे डी.सी. और एस.पी. साहब from the day one they continued to be there till the removal of the dead bodies.

उसके लिए पिछले तीन दिन तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और out of 33 dead bodies they could recover 14 dead bodies. अच्छी बात उन्होंने यह की कि उनके रिश्तेदारों को पहले ही आई.जी.एम.सी. में लाकर उनका ब्लड टैस्ट कर लिया और उसके बाद जो डैड बॉडीज़ मिली, किसी की टांग मिली और किसी का बॉडी का कोई और पार्ट मिला, डी.एन.ए. मैच करके उस डैड बॉडी को डैड डिक्लेयर किया जाए और यह भी एक अच्छी बात हुई। समेज में जो नुकसान हुआ इसमें अभी भी खासकर

28.08.2024/1255/केएस/डीसी/2

स्कूल के छोटे बच्चे, क्योंकि वहां पर एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग भी पूरे गांव के साथ ही वॉश हो गई। वह बहुत बड़ा गांव नहीं था। तो समेज का जितना भी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी हम आग्रह करना चाहेंगे। स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसको बनाया जाए। वहां से स्कूल बहुत दूर है। वहां पर स्कूल के लिए किसी बिल्डिंग को हायर किया जाए। शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वहां स्कूल की व्यवस्था की जाए।

वहां पर एक ग्रीनको कम्पनी थी। उस कम्पनी के लगभग 9 लोग वहां पर बह गए। हम ग्रीनको कम्पनी की एस्टेब्लिशमेंट से भी प्रार्थना करेंगे ताकि उनके रिश्तेदारों को उस कम्पनी में जॉब का प्रोविज़न हो सके। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि सरकार की तरफ से भी उनको जो कुछ मिलने का प्रोविज़न है, वह दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, समेज के साथ-साथ हमाने आनी क्षेत्र में बागी पुल के साथ का जो सारा एरिया है, वहां भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं लोक निर्माण मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने युद्धस्तर पर ब्रिज बनाए। बागीपुल और रामपुर का कुछ एरिया कट गया था उसमें इन्होंने पूरी कोशिश करके लोगों के आने-जाने के लिए ब्रिज का इंतज़ाम किया। क्योंकि बिना यातायात के हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को सेफ़ जगह पहुंचाना, लोगों, प्रशासन और सिव्योरिटी फोर्सिज़ के वहां जाने के लिए यातायात के साधन जरूरी है और रेस्क्यू के लिए सेंकड़ों की संख्या में वहां पर सिव्योरिटी फोर्सिज़ लगाई गई। There were hundred of security people from NDRF, SDRF, ITBP, Home Guard and local Police for rescue. इतने लोगों को वहां पहुंचाना, प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और सरकार के सभी मंत्रियों ने पर्सनली विज़िट की। माननीय मुख्य मंत्री जी और सारे मंत्री वहां पर आए। आदमी जब टूट जाता है तो उसके हौसले के लिए उस वक्त वहां जाना, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट का बहुत बड़ा मायने होता है और वही हुआ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.08.2024/1300/AV/एच0के0/1

श्री नन्द लाल-----

हमारी सरकार के लोगों ने वहां जाकर लोगों का होंसला बंधाया। वहां पर लोकल लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा और हम यहां पर उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। लोकल लोगों ने ऐसी स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और प्रशासन को जितनी मदद लोकल लोगों ने दी हम उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे रिलीफ मैनुअल में 7 लाख रुपये के संदर्भ में किए गए बदलाव के लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है जोकि आज तक नहीं हुई थी। हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर कल कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र से हमें बहुत एड मिली है। We must understand the federal structure of our State. अगर हमें केंद्र सरकार कुछ देती है तो वह कोई खैरात के रूप में नहीं दिया जाता, उसमें कोई उदारता नहीं है। It is our right and they have to do it. There is a provision. यह प्रोविजन रखा गया है कि आपदा के टाइम में केंद्र सरकार किसी भी राज्य की पूरी मदद करेगी। आपने उत्तराखण्ड का देखा होगा जहां पर केंद्र सरकार ने पूरी मदद दी है। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह हमारी सांसद है और she happens to visit that place. वे भी समेज में गईं and thought that she is coming with a package from Centre Government और यहां पर लोगों को कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी परंतु वे वहां पर एक ऐसी स्टेटमेंट देकर गईं कि केंद्र सरकार से 18000 करोड़ रुपये मिले हैं। Such a vague statement. जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। मेरा यह कहने का मतलब है कि इस प्रकार की बात करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर कहा जाता है कि केंद्र सरकार से इतना पैसा आया, अगर आया है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं राज्य सरकार की ओर से जो प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजी गई है उसके हिसाब से हमारे प्रदेश की सहायता करे। हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए हम केंद्र सरकार से उम्मीद रखते हैं। The state like Himachal cannot survive without the financial support of the Centre Government. इसलिए हमें केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा फ़ैडरल स्ट्रक्चर है। इसलिए हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने यह किया या वह किया। यहां पर कल कुछेक माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार से आई मदद को कुछ लोगों ने आपस में ही बांट दिया है, this is very bad. कोई यह भी कह रहे थे कि वहां पर

पटवारी नहीं पहुंचा। कहीं परी पटवारी के न पहुंचने का मतलब यह हमारी गलती है। अगर पटवारी नहीं आ रहा है तो उसको पकड़ो। उसको पकड़कर वहां पहुंचाना हमारा

28.08.2024/1300/AV/एच0के0/2

काम है। हमारी सरकार सारे कार्य कर रही है परंतु फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो it is our job to see कि जो काम पटवारी ने करना है he has to be taken there. अगर किसी को इस प्रकार की शिकायत है कि अपने-अपने को रेवड़ियां बांट दीं तो that can be a part to the notice of the Government. इस बारे में सरकार को बताया जाए कि इस प्रकार की बात हुई है then it will be sorted out. उसको यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें यहां पर केवल यह चर्चा करनी चाहिए कि इस प्रकार की आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। How are we dealing for that? उस आपदा को झेलने के लिए हमें अपने आपको तैयार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस आपदा की घड़ी में सरकार के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता it is a history. इस आपदा की घड़ी में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर पैसे एकत्रित किए जिसकी वजह से लोगों को वित्तीय सहायता मिल रही है और उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आपदा के लिए जो 7 लाख रुपये की राशि का मुआवजा देने की बात की है वह मैं जानता हूं कि सभी लोगों को पूरी नहीं मिली है। किसी को एक लाख रुपये की राशि मिली है और किसी को 3 लाख रुपये की मिली है परंतु जैसे-जैसे सैंक्शन आ रही है बाकी राशि भी मिल जाएगी। यहां पर यह भी कहा गया कि पिछली बरसात में तो प्रभावितों को 7 लाख रुपये की राशि दी गई थी और इस बार केवल एक लाख रुपये ही दिए जा रहे हैं। Because it is not a decision taken on exact loss. वह तो एक रिलीफ है और उसको सरकार खुद देखेगी। उसको कैसे बैलेंस करना है it is the job of the Government. मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस आपदा की घड़ी में हम कुछ-न-कुछ करे और कोई अच्छे सुझाव दें ताकि हम इस आपदा से निपट सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

28.08.2024/1405/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)।

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चा हो रही है उस पर आगे चर्चा होगी और उसमें अभी भी 27 माननीय सदस्य भाग लेना चाह रहे हैं। इसलिए यदि प्रत्येक माननीय सदस्य को 10 मिनट का समय भी दिया जाए तो तीन घंटे दस मिनट लगेंगे जबकि आज सिर्फ तीन घंटे का समय ही शेष बचा है। इसके अलावा आज लॉ एण्ड ऑर्डर का इश्यू भी लगा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10-11 मिनट में अपनी बात समाप्त करें क्योंकि आगे बहुत सारे विषय चर्चा हेतु आ चुके हैं ताकि उनको भी चर्चा हेतु लगाया जा सके। Now I will request the Hon'ble Member Shri Vinod Kumar to take part in the deliberations.

श्री विनोद कुमार (नाचन) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर, श्री चन्द्र शेखर और सुश्री अनुराधा राणा जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव लेकर आए हैं कि “प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।”

मैं भी स्वयं को इसमें शामिल करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस बार भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। जिला मण्डी के अनेकों स्थानों पर इस भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ लेकिन द्रंग विधान सभा क्षेत्र में पूरे मण्डी जिला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी तरह से जिला कुल्लू के मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी विधान सभा क्षेत्र में भी इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है।

एन0एस0 द्वारा जारी

28-08-2024/1410/एन0एस0-वाई0के0/1

श्री विनोद कुमार----- जारी

अगर मैं जिला शिमला की बात करूं तो सबसे बड़ा नुकसान रामपुर विधान सभा क्षेत्र में हुआ है। जिला ऊना में भी इस बरसात के कारण भारी नुकसान देखने को मिला है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जहां-जहां पर नुकसान की घटनाएं घटी हैं, चाहे किसी की जान का नुकसान हुआ है, चाहे किसी के घर का नुकसान हुआ है या फिर फसलों का नुकसान हुआ है; उस पर सरकार गंभीर हो करके जहां-जहां नुकसान हुआ है उन लोगों की भरपूर मदद करे।

(सभापति महोदय श्री संजय रत्न पदासीन हुए)

सभापति महोदय, यहां पर राहत पैकेज को लेकर बहुत चर्चा की जा रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष समूचे हिमाचल प्रदेश में बहुत भयंकर बरसात हुई थी। मैं इसका जिक्र भी कर रहा था कि बरसातें सब लोगों ने देखी हैं, बरसात आज से नहीं बल्कि जब से सृष्टि है तब से हो रही है लेकिन पिछले दो सालों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जब से माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार बनी है तब से भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। यहां पर राहत पैकेज को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें की गईं। सभापति महोदय, पिछले मानसून सत्र में कहा गया कि जिनके मकान फुली डैमेज हो गए उनको 7 लाख रुपये दिए जाएंगे। उसका सबने स्वागत किया था। आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली है। शिक्षा मंत्री जी, आप कोरोना के बाद इस सदन में विधायक बने और मैं आपके विभाग को लेकर हाथ जोड़ना चाहता हूं। मैंने देवीधर स्कूल के बारे में आपसे अनेकों बार बात की। वहां पर आज भी बच्चे खिड़की से आते-जाते हैं। आपके विभाग की यह व्यवस्था है। फुली डैमेज घरों के लिए कहा गया था कि 7 लाख रुपये की राशि देंगे। सबको 3-3 लाख रुपये मिले। लोगों ने देखा कि सरकार ने कह दिया कि फुली डैमेज घरों को 7 लाख रुपये मिलेंगे। यहां पर पिछले कल कहा कि जिनकी फाउंडेशन क्लीयर हो जाएगी उनको दूसरी किस्त मिलेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहता हूं। एक साल खत्म हो गई और दूसरी साल शुरू हो गई। जिसने अपना आशियाना खो दिया हो क्या वह सवा साल में

फाउंडेशन तैयार नहीं कर सकता? मैं आज इस हाउस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने

28-08-2024/1410/एन0एस0-वाई0के0/2

7 लाख रुपये देने की बात की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस 7 लाख के चक्कर में बैंकों से लोन लिया और अपनी के0सी0सी0 खाली करवा दी, लिमिटें खाली करवा दीं और लोन के केस बनवा दिए। उन्होंने किसी से उधार में ब्याज पर पैसे ले लिए। उन्होंने फाउंडेशन ही नहीं बल्कि लेंटर डाल दिए। उनके अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते जूते घिस गए लेकिन अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिल पाई। आप बताएं कि किस जगह पर दूसरी किस्त मिली है। आप एक आदमी को खड़ा करके बता दें कि आपने 7 लाख रुपये की बात की थी और आपने ये पैसे दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरा, कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में पिछली बार आपदा के कारण जिनके घरों के आगे-पीछे स्लाइडिंग हुई थी उन सबको डंगे लगाने के लिए हमने मनरेगा के तहत पैसे दे दिए हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि

आर0के0एस0 द्वारा जारी।

28.08.2024/1415/RKS/DC-1

श्री विनोद कुमार ... जारी

आप हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों को यहां बुलाइए और पूछिए कि आपने कितने प्रभावित परिवारों के घरों के आगे-पीछे रिटेनिंग वॉल लगाई है। आपने महज 25-30 प्रतिशत लोगों के घरों के आगे-पीछे ही डंगे लगाए गए हैं और इनमें भी वे लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन जो गरीब या सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति थे उनके घरों के आगे-पीछे अभी तक कोई डंगे नहीं लग पाए हैं जिस कारण उनके घर

आज भी खतरे की जद में हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। पिछली बार आपदा के समय मनरेगा के अंतर्गत जिन प्रभावित परिवारों के डंगे लगाने हेतु सैल्फ डाले गए थे उनके घरों के आगे-पीछे डंगे लगाना सरकार सुनिश्चित करें अन्यथा हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछली बार भारी बरसात के कारण कुछ गांव की सारी जमीनें और घर धंस गए थे। सरकारी अधिकारियों ने वहां जाकर पूरे क्षेत्र को अनसेफ घोषित कर दिया। अब गरीब आदमी कहां जाएगा, यह सोचने वाली बात है। आपने पहली किस्त के रूप में तीन लाख रुपये दे दिए। आपने यह भी कहा कि हम 4 बिस्वा जमीन घर बनाने के लिए भी देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को आदरणीय सुक्खू जी की सरकार की ओर से कोई पैसा या जगह नहीं दी गई है। आपने बातें तो बड़ी-बड़ी की लेकिन बातों से काम चलने वाला नहीं है। हमें इन विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए गंभीरता दिखाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। यहां पर पिछले कल कहा गया कि हमने 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश की सभी सड़कों को रिस्टोर कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढाबण से तमरोह सड़क में पिछली बार जो स्लाइडिंग हुई थी उसके कारण वह सड़क अभी भी यातायात के लिए नहीं खुल पाई है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को जल्द-से-जल्द ठीक करवाया जाए। इसी प्रकार काटल-नाटण-धरमद्वारा सड़क की हालत भी ऐसी ही है। संयाज-नांडी, संयाज-बाड़ा, नांडी-तांदी और हवाणा-पणयास सड़कों में आज भी गाड़ी चलाना संभव नहीं है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 6 पैदल चलने योग्य पुल भारी बरसात के कारण बह गए हैं। हमने इन पुलों को पुनः स्थापित करने के लिए प्लानिंग की पहली और दूसरी बैठक में बात की थी। हमने बजट सत्र में भी इन पुलों के बारे में बात की थी। आज 2 साल गुजरने वाले हैं परंतु अभी तक

28.08.2024/1415/RKS/DC-2

ये 6 पुल स्थापित नहीं हो पाए हैं। बच्चों को खड्डों से होकर आर-पार या स्कूल जाना पड़ता है। यदि कोई जान का नुकसान हो जाए तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ग्राम पंचायत सयांज में बाघा-पंग्यूर, सरवागला, ग्राम पंचायत सयांज और कासन, कनापड़ी, नांडी छपरान पंचायत, मंझागन, नांडी छपरान पंचायत, खंडयाल, नांडी छपरान पंचायत

और चौरी में कुल मिलाकर 6 पैदल चलने योग्य पुल बह गए हैं। लोगों को आर-पार जाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाकर खड्ड क्रॉस करनी पड़ती है। यह आपकी सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। आपने कहा कि हमने सारी पीने-के-पानी की योजनाएं ठीक कर दी हैं।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1420/बी.एस./ए.जी-1

श्री विनोद कुमार जारी...

मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि मेरे बड़े भाई साहब यहां पर हैं। हमारी एल.आई.एस. मझांगण-चढारा स्कीम है इसके लिए हमने ढेढ़ करोड़ रुपये खर्च किया है। पिछली बार बरसात आई अभी तक एक भी व्यक्ति को वहां पर सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारी बाघा-चरोड़ग स्कीम है इसमें लगभग पौने दो करोड़ रुपये खर्च किया है। पिछली बार बरसात आई, अभी तक उसे रिस्टोर नहीं किया गया है। इसके अलावा हमारी एल.आई.एस. चैलचौक है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। परंतु 10 लोगों को भी वहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।

सभापति : माननीय सदस्य, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार: चिरड़ीधार, बोडल, चांदू, चांबी, भराड़, खतरवाड़ी स्कीम है, इसके लिए हमने चार करोड़ रुपये खर्च किया है यहां पर भी चार लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां पर पीने के पानी को ले करके बात आई, संयाज-नांडी हमारी जल जीवन मिशन के तहत स्कीम को तैयार किया था परंतु बरसात के कारण वह सारी स्कीम बह गई, वहां पर कोई भी काम नहीं हो पाया है। भड़ेतर-कोटला-दोलधार स्कीम है, वहां पर भी पिछली बरसात में नुकसान हुआ है। परंतु अभी तक वहां पर भी कोई काम नहीं हो

पाया है। कोट-मगर और रेपल-मछयार ये ऐसी स्कीमें हैं जहां पर अभी तक कोई भी कार्य सरकार के माध्यम से नहीं किया गया।

मेरे बड़े भाई चन्द्र शेखर जी हैं, इन्होंने पिछले कल बड़े चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि दो बार आपदा आई परंतु प्रधान मंत्री जी एक बार यहां आए वह भी केवल वोट मांगने के लिए। आज मेरे भाई साहब यहां पर नहीं है। मुझे आज भी याद है कि यह जो हमारा धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र है और विधान सभा चुनाव क्षेत्र है वहां पर खतियों में पानी होता था। धार के नीचे जगह खोदी जाती थी और वहां से पानी भरा जाता था।

सभापति : माननीय सदस्य, पहले यह पूरे प्रदेश में होता था। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

28.08.2024/1420/बी.एस./ए.जी-2

श्री विनोद कुमार : माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में और उनके क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के मालिक सामने बैठे हैं, 346 करोड़ 28 लाख रुपये केवल धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से वहां पर खर्च हुआ। अगर मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो वहां पर छह सड़कों के लिए प्रधान मंत्री सड़क योजना फेज-III के तहत 50 करोड़ रुपये की राशि उनकी सड़कों को ठीक करने के लिए प्रधान मंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से दी गई है। पिछली बार की आपदा के समय 17,082 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया है। इसका आपने अभी तक धन्यवाद तक नहीं किया है। मैं ज्यादा लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। परंतु इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी जो भारी बरसात के कारण जहां-जहां भी नुकसान हुआ है, मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछली बार आपने सात लाख रुपये की बात कही थी उस में से आपने केवल तीन लाख रुपया ही दिया है, थोड़ी सी दिलासा आप लोगों को दे दें कि सात लाख रुपये ही मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सभापति महोदय आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.08.2024/1420/बी.एस./ए.जी-3

सभापति : राजस्व मंत्री जी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, कृपया आप अपनी बात रखें।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, पिछले कल इसी चर्चा में नियम-130 के अन्तर्गत जब नेता विपक्ष ने अपना वक्तव्य रखा था तो उन्होंने मकानों के बारे में बताया कि 2200 पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और मैंने कहा कि यह गलत है वे 22 हजार हैं परंतु मैं भी गलत था और वे भी गलत थे। उसकी मैं शुद्धि करना चाहता हूं। इसमें जो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं वे 3500, पक्के मकान जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं वे 5,549, कच्चे मकान 6,930, दुकानें 670, गौशालाएं 8,300 के करीब हैं और टोटल ये 24,949 बनते हैं। जो पिछले कल गलती हो गई थी उसे मैं सुधारना चाहता था।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

28.08.2024/1425/डी0टी0/ए0एस0-1

सभापति: अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य मोहन लाल ब्राक्टा।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव: सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर और अन्य सदस्यों ने रखा है, उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, वैसे तो इस विषय पर पिछले कल से चर्चा चल रही है। सभी माननीय सदस्यों, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, सभी ने बहुत सारी बातें कहीं हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। जो वर्षा का कहर है वह प्रदेश में ही नहीं देश में भी आया है। इस कहर से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी कह रहे थे कि जब से ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में बनी है इस आपदा से तभी से नुकसान हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो इन प्राकृतिक आपदाओं से गुजरात या अन्य राज्यों में नुकसान का कौन जिम्मेवार है, वह बताएं? मैं मानता हूं की विपक्ष का काम अपोज करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं की हर

बात चाहे वह अच्छी बात भी हो, उसे अपोज किया जाए। हम भी विपक्ष में रहे हैं। इसलिए जिस बात का विरोध करना सही हो उसका विरोध भी करना चाहिए लेकिन हर बात का विरोध करना ठीक नहीं होता। सरकार जो अच्छे कदम उठाती है उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। आप और आपके कुछ बड़े नेता तो यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान 2014 के बाद आजाद हुआ है। मैं आपके उन बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता। अगर यह आपदा जब से श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने हैं तब से आई है तो कोराना कॉल तो आपकी सरकार के समय में आया उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर आपका उसका जिम्मेवार किसको ठहरायेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विषय से हटकर बातें इस मान्य सदन में नहीं करनी चाहिए। हर बात में सरकार को दोष देना अच्छे विपक्ष की निशानी नहीं है। पिछले वर्ष आई आपदा से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान गई, कई घर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों और बिजली की लाइनों को बड़ा नुकसान उस आपदा से हुआ। मैं माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले साल जब प्रदेश में वर्षा का इतना कहर था उस समय अगर रात को हम कहीं सोते थे तो ये पता नहीं था की हम सुबह देख भी पायेंगे या नहीं। फिर भी हमारी सरकार ने उस प्राकृतिक आपदा का सामना किया। भाजपा की सरकार प्रदेश में 85000 करोड़ का कर्ज छोड़ कर गई। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक दशा को पटरी में लाने

28.08.2024/1425/डी0टी0/ए0एस0-2

का प्रयत्न किया है। लेकिन प्रदेश में बरसात के कहर से बहुत नुकसान हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय व लोक निर्माण मंत्री व उनके विभाग को भी और सरकार के सभी माननीय मंत्रियों को भी और कांग्रेस दल के विधायकगणों को भी जो इनके द्वारा जो आपदा के समय युद्धस्तर पर काम किया गया वह सराहनीय था। सरकार ने 48 घंटों के भीतर सभी सड़के खोलीं। मैं एक बात और इस मान्य सदन में कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जब बरसात का कहर प्रदेश में आया था उस समय सेब सीजन पीक पर था। मुझे याद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी व माननीय उद्योग मंत्री जी ने अप्पर शिमला के क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान ये रोहडू भी आए थे और वहां आकर नुकसान का जायजा लिया।

उसके बाद 8 अगस्त को हमारे लोक निर्माण मंत्री रोहडू आए और 9 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी रोहडू आए थे। माननीय लोक निर्माण मंत्री ने पूरे रोहडू का दौरा किया और

मुख्य मंत्री भी पूरे दिन रोहडू रहे। पिछले साल का जो कहर था उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 9 लोगों ने अपनी जान गवाई थी।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

28-08-2024/1430/ए.एस.-एन.जी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा.....जारी

22 मकान कम्पलीट डैमेज हुए और 220 मकान आंशिक रूप से डैमेज थे। ऐसी कोई सड़क नहीं थी जिसमें नुकसान न हुआ हो और उस समय सेब का सीजन पीक पर था। बागवानों को बहुत चिंता थी कि उनका सेब मंडियों तक कैसे पहुंचेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि सेब बागवानों की अर्थिकी का विषय तो है ही लेकिन इससे हमारा पूरा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। मजदूर से लेकर बड़े लोगों तक इससे जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब रोहडू आए थे तब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और आदेश दिए कि जितनी भी लोक निर्माण विभाग की सड़कें खराब हुई हैं वे सभी 15 अगस्त तक बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं खोल सकते तो छोटी गाड़ियों व पिकअप आदि के लिए अवश्य खोल दी जाएं ताकि बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि यह पहली बार हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अलावा मुख्य मंत्री जी ने ब्लॉक्स को भी पैसे दिए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कटवाड़ा और रोहडू, दो ब्लॉक हैं और मुख्य मंत्री जी ने दोनों को 40-40 लाख रुपये दिए। साथ ही दोनों बी.डी.ओज़ को आदेश दिए कि जिस किसी भी पंचायत से आपको फोन आएगा, चाहे किसी ने अपने पैसे से रोड बनाया हो, चाहे कोई रोड पंचायत के माध्यम से बना हो, चाहे ब्लॉक ने बनाया हो और चाहे एम.एल.ए या डी.सी. फण्ड से रोड बना हो तो सेब सीजन के लिए सब रोड खुले होने चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज तक कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि रोड बंद होने के कारण किसी का सेब मंडी तक न पहुंचा हो।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम वर्षा हुई है लेकिन अभी बरसात को मौसम चला हुआ है और भगवान करे कि अभी हमारी जो स्थिति है आगे भी वैसी ही बनी रहे।

28-08-2024/1430/ए.एस.-एन.जी/2

इस बरसात में प्रदेश के रामपुर व आनी विधान सभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और अनेक लोगों की जानें चली गईं। मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हर वक्त सरकार का विरोध करना ठीक नहीं है। इन्होंने एक बात और कह दी कि जब से श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं तब से बरसात ही हो रही है। यदि ऐसा होता तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे गुजरात व अन्य स्थानों पर भी बरसात हो रही है तो हम भी बोल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान) आपसे (श्री अनिल शर्मा जी की ओर इशारा करते हुए) हमारा ज्यादा प्यार है क्योंकि आप हमारे पहली टर्म के साथी हैं।

सभापति महोदय, इस बार भी प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है जिसमें मेरा रोहडू विधान सभा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। यह जरूर है कि पिछले वर्ष की तुलना में चाहे प्रदेश में या मेरे विधान सभा क्षेत्र में उतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन नुकसान जरूर हुआ है और बागवानों का भी नुकसान हुआ है। तूफान आने के कारण बागवानों के काफी सेब झड़ गए थे। सरकार ने अगले ही दिन एम.आई.सी. के सैन्टर्स खोल कर सेब को लिया। इसके अलावा सड़कों का भी नुकसान हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मेरा मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि हमारा सेब का सीजन पीक पर है और विभाग को उचित आदेश दें ताकि सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे प्राकृतिक होती हैं। इसमें न तो सरकार को और न ही विपक्ष को दोषी ठहराना चाहिए। यह बात अलग है कि विपक्ष के पास कोई टोपिक नहीं होगा तो वे इस प्रकार की बातें बोलेंगे ही।

सभापति : प्लीज़ वाइंड अप।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव : सभापति महोदय, ये लोग कोई अच्छी बात तो करते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सेब का सीजन पीक पर है और हमारे सभी रोड दुरुस्त होने चाहिए। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने यहां पर बहुत सारी बातें कहीं हैं

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1435/केएस/डीसी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (मुख्य संसदीय सचिव) जारी--

जिनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। सरकार ने चाहे पिछले साल की बात हो या इस साल की बात हो, बहुत अच्छा काम किया है जो कि सराहनीय है। हम माननीय मुख्य मंत्री और इनकी टीम को बधाई देना चाहते हैं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

28.08.2024/1435/केएस/डीसी/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा भाग लेंगे।

श्री अनिल शर्मा : सभापति महोदय, आज नियम 130 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष तथा बाकी सदस्यों ने यहां पर प्रस्ताव रखा है कि "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करें।"

सभापति महोदय, मुझसे पहले पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि जब हम सदन के अंदर कोई चर्चा करते हैं तो उसमें हम प्रदेश का हक आगे रखते हैं। हम चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चर्चा सार्थक होनी चाहिए। हम जब भी इस माननीय सदन के अंदर कोई चर्चा करें तो वह सार्थक हो, प्रदेश के हित में हो। आप हमें कहते हैं कि विपक्ष में हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं लेकिन जब आप विपक्ष में थे तो आपकी भाषा भी ऐसी ही थी। हम भी सत्ता पक्ष में रहे हैं और हम समझते हैं कि इस सीट का असर ही ऐसा है क्योंकि हमें लोगों के हित की बात रखनी होती है। सरकार के काम में जो कमी रह जाती है, उसको दर्शाना विपक्ष का काम होता है।

सभापति महोदय, जो पिछले साल बरसात में नुकसान हुआ है, यह कई वर्षों के बाद हुआ और यह क्यों हुआ, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। प्रदेश के अंदर हर साल बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। वह तो प्राकृतिक आपदा है परंतु कुछ आपदाएं हमने खुद पैदा की हैं। हम जो प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात करते हैं, उसको हम किस तरीके से कर पा रहे हैं? पिछले साल जो आपदा आई उसने हमें एक चीज़ तो सीखा दी है कि वाटर लैवल कहां तक जा सकता है, हमें सड़कें कहां तक बनानी हैं, पानी की स्कीमें कहां तक ले जानी हैं और हमें भविष्य में किस तरीके से काम करना है। हमें दो बिंदुओं पर काम करना है। एक तो हमने लॉग और एक शॉर्ट प्लानिंग करनी है कि आज जो नुकसान हुआ है, हमें इसकी भरपाई कैसे करनी है? एक लॉग प्लानिंग हमें प्रदेश हित में करनी चाहिए उसके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि प्रदेश के सभी विधायक को नहीं तो थोड़े से ही विधायकों को लेकर इन बिंदुओं के ऊपर एक कमेटी बनाई जाए जो इसमें चर्चा करें कि आर्थिक रूप से हमें इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है और हमें आर्थिक रूप से कैसे उभरना है, उस पर काम करें।

28.08.2024/1435/केएस/डीसी/3

आदरणीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने कल कहा, मैं मानता हूँ, इन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार से उस तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। क्या हम नहीं चाहते कि केंद्र से हमें आर्थिक रूप से मदद मिले और एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. और दूसरे वित्तीय साधन हमारे प्रदेश को मिलने चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। और यदि हम इस बात को देखते हैं कि इसमें जो तीन-चार स्टेटों को लिया है, जिसमें आपने बिहार, उत्तराखंड का ज़िक्र किया, हम चाहते थे कि हमारा प्रदेश भी इसमें शामिल हो। परंतु स्पेशल पैकेज के रूप में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को दिया है को। मैं आदरणीय मंत्री जी को भी यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो नुकसान हुआ, उसको स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश योजनाएं भेजें तो क्या हमारे अधिकारी सक्षम नहीं हैं? हम नहीं कहते कि कितना पैसा, परंतु हम इस बात को ले कर करें कि कितना पैसा हम उस स्पेशल पैकेज की जगह, यह जो इन्होंने

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

28.08.2024/1440/av/डी सी/1

श्री अनिल शर्मा-----जारी

कहा है कि इस प्रदेश को जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है हम उस नुकसान को देखते हुए नए तरीके से विकास के काम शुरू करें। हम उसकी प्रपोज़ल बनाकर केंद्र सरकार को भेजें। केंद्र सरकार हमें कुछ देती है या नहीं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार हमारे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने हेतु जो मदद देने को तैयार है क्या हम उनसे वह ले सकते हैं और इस बारे में काम करने की जरूरत है। यहां पर जैसे आसाम या दूसरे प्रदेशों को डायरेक्ट असिस्टेंस देने की बात की गई है और 'Centre Government support for the construction of the damage caused by the disaster in Himachal Pradesh' की बात की गई है, माननीय राजस्व मंत्री जी, उसके लिए हमारे सभी विभागों को सोचना पड़ेगा कि हम इस संदर्भ में ज्यादा-से-ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं। यहां पर अधिकतर विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में हुए नुकसान की बात करते हैं। मैं अभी थाइलैंड गया था और वह एक छोटा-सा देश है। मैं वहां का ड्रेनेज सिस्टम देख रहा था। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि हमें बरसात के बाद सर्दियों में भी अपनी सड़कें दुरुस्त करनी पड़ती है। परंतु क्यों, प्रश्न यह है? क्या हमारा प्रदेश उन छोटे-छोटे देशों से सीख नहीं ले सकता? आपने कहा कि सड़कें टूटती हैं तो इसके क्या कारण हैं कि हम हर साल सड़कों को रिस्टोर करते हैं। मैं यहां पर लोक निर्माण विभाग की बात करना चाहता हूं। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी, हम ठेकेदारों को काम देते हैं और वे उस काम को उन लोगों को आगे सबलैट करते हैं जिनके पास मशीनें होती हैं। अभी पीछे मेरे घर के साथ ही सड़क का निर्माण हो रहा था। मैंने वहां देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए डंगे के ऊपर ही पी0सी0सी0 वॉल लगाई जा रही थी। मैंने पूछा कि यह डंगा किसने लगाया है तो बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने लगाया है। मैंने कहा कि फिर इसके ऊपर पी0सी0सी0 वॉल मत लगाओ परंतु मेरे बोलने के बावजूद वहां पर पी0सी0सी0 वॉल खड़ी कर दी गई। लेकिन दो दिन के बाद वह पूरे-का-पूरा सिस्टम गिर गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज किस क्वालिटी से काम हो रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बन रही सड़कों में मशीनें इतनी गहरी ड्रेन बना देती है कि पानी आगे नहीं जाता बल्कि

वहीं पर खड़ा रहता है। आपको पता है कि इस तरह से तो उस सड़क का ही नुकसान होगा। मेरा तो यह मानना है कि ठेकेदार किसी के नहीं होते। मैंने

28.08.2024/1440/av/डी सी/2

राजनीति के अंदर देखा भी है और महसूस भी किया है। मेरे पिताजी जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो सारे ठेकेदार दूसरी तरफ चले गए थे। उस टाइम में तो डर गया था कि हम तो चुनाव हार जाएंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थीं। यह काम उनके हाथ में नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हम इस बात को देखें कि क्या हमारे ठेकेदार क्वालिफाईड हैं या क्या वे काम करने में सक्षम हैं? मैं कोटली के अंतर्गत हो रहे नेशनल हाईवे की बात करना चाहता हूं जिसको गावर कंपनी ने आगे सबलैट कर दिया है। मैंने जब इस बारे में पता किया तो बताया गया कि गावर कंपनी को पैसा आ रहा है परंतु जिनको वह काम आगे सबलैट किया हुआ है उनको वह पैसा नहीं मिल रहा है। उस सड़क की ऐसी हालत कर दी है कि उसको देखकर डर लगता है। वह चाहे फोर लेन का स्ट्रक्चर हो, हम उसकी क्वालिटी के बारे में प्रदेश के हित को सामने रखकर नहीं सोच रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि हमें इस बारे में देखना पड़ेगा। यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। हमारे शहर के अंदर बनें ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मण्डी में टारना शहर के अंदर लोगों ने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा हुआ है और वह आज सिंक कर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? माननीय राजस्व मंत्री जी, हमारे कुछ ऐसे गांव व मकान हैं जो धंस गए हैं। यहां पर जिक्र हो रहा था कि उनके लिए कहीं और जगह जमीन दी जाए। परंतु उनके नाम जब तक वहां पर जमीन है

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री अनिल शर्मा.. जारी

क्योंकि उनके नाम पर वह जमीन है और जब तक उनके नाम पर जमीन है तब तक उनको और जगह जमीन नहीं दी जा सकती है। इसके बारे में विभाग का कहना है कि इसको अनसेफ डिक्लेयर किया जाए लेकिन उसको कौन अनसेफ डिक्लेयर करेगा? इस बरसात में भी उन लोगों को बाहर ही रहना पड़ा। आज गांव के इलाकों में रात को सोने से डर लगता है क्योंकि पहाड़ों में क्लाउड ब्रस्ट का कोई पता नहीं होता है कि वह कब और कहां हो जाए। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी द्रंग में हमारे साथ गए, वहां पानी वहां आया जा नाला नहीं था। इस बात की चिंता हम सभी विधायकों को करनी चाहिए कि किस तरह से इन क्लाउड ब्रस्ट और भारी बारिश से लोगों को बचाया जा सकता है। जहां तक सड़कों की बात है, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी भी वहां आए और इन्होंने भी माना कि सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। आप वहां पर वैली ब्रिज की फाउंडेशन रखकर आए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आपने भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और आपने 14 अगस्त को उस ब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। कल मुख्य मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि आपको पुल के लिए 2 करोड़ रुपये दे दिए। मैंने उनसे कहा कि माननीय मंत्री जी उसकी आधारशिला रखकर आए थे। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा है तो मण्डी भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। बागी पुल कुछ दिनों के अंदर लग गया लेकिन हमारे यहां सवा साल के बाद फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी ने कल रखा, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। यहां सदन में उद्योग मंत्री जी भी बैठे हैं। जिया में मेरा बागीचा है, मुझे वहां से ठेकेदार का फोन आया कि आपकी यहां बहुत ज्यादा जगह खाली पड़ी है। हम इसमें मटिरियल डम्प करेंगे लेकिन जब आपने उसका पैसा नहीं दिया है तो आप वहां पर मटिरियल क्यों डम्प करेंगे? माननीय उद्योग मंत्री इस बारे में भी विचार करें। आपने कहा कि इसको विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए था। मैं 10 दिन पहले बागीचे में गया और वहां अभी भी ट्रक, पोकलेन और ट्रैक्टर रेत और बजरी उठा रहे हैं। माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री सुन्दर सिंह जी क्या आपने उनको ठेका दे दिया है कि मटिरियल वहां से उठाते रहें। हम इसलिए कुछ नहीं

28.08.2024/1445/टी0सी0वी0/एच0के0-2

कहते थे कि इससे सरकार को पैसा आ रहा है लेकिन आपको तो उससे पैसा भी नहीं मिला। आप तो उसको उठाने का पैसा देते रहे। आपकी सरकार ने यह कैसी व्यवस्था चला रखी है। अभी जब कुछ दिन पहले बाढ़ आई तो पंडोह डैम जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, वह सारा स्लीपरों से भर गया। वह कहां की सम्पदा थी, वह स्लीपर कहां से आए थे, क्या सरकार इस बारे में सोई रही? दो दिन के बाद न्यूज आती है कि वहां पर जो हजारों के हिसाब से स्लीपर डैम में पड़े हुए थे वे गायब हो गए। वे सारे स्लीपर कहां चले गए? जब तक वहां फॉरेस्ट के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे तब तक पंडोह डैम के स्लीपर गायब हो गए थे। इससे जाहिर होता है कि ग्रे-फॉलिंग हो रही है और यह किस तरीके से हो रही है, आपको इसे देखना चाहिए। यह ठीक है कि माइनिंग और फॉरेस्ट माफिया आज नहीं पहले भी था। यह प्रदेश जब से बना है तब से ये सारी चीजें रही हैं लेकिन हम इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इस त्रासदी के अंदर मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि हम इस बात को लेकर चले कि

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1450/एन0एस0-एच0के0/1

श्री अनिल शर्मा -----जारी

हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए क्योंकि 5 वर्ष सत्ता में आप और 5 वर्ष बाद हम आते हैं, चाहे आप रिपीट होने के लिए जोर लगा लो क्योंकि हमने रिपीट होने के लिए जोर लगा कर देख लिया है। लोग हमें क्यों रिपीट नहीं करते, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मण्डी शहर में आज जल शक्ति विभाग का डिवीजन/सब-डिवीजन बनाने को जगह नहीं मिल रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। वहां पर मैंने लोक निर्माण विभाग से भी इस बारे में बात की तो पता चला कि वह तो किसी की प्राइवेट लैंड है और लोक निर्माण विभाग ने उस लैंड को एक्वायर किया है। वहां पर जगह सिंक हो रही है। इसके लिए मैंने सुझाव दिया है कि मण्डी में बहुत बड़े बस अड्डे का निर्माण हुआ है और उसमें लगभग 7 मंजिलें और बन सकती हैं। आपके पास

उसकी 11 करोड़ रुपये की अप्रूवल आई हुई है। उप-मुख्य मंत्री जी, आपके पास ये दोनों विभाग हैं और मैं चाहता हूँ कि उस बस अड्डे के ऊपर अगर डिवीजन का दफ्तर बनाएं तो यह सेफ रहेगा और लोगों को नजदीक पड़ेगा तथा उस जगह की यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जब पिछली सरकार में यह इंफ्रास्ट्रक्चर बना था तो हम भी परेशान थे कि यह क्यों बना दिया गया। मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए अपने विभाग को जरूर आदेश देंगे और जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां पर बन जाएगा तथा वहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी बन सकती है।

सभापति महोदय, मेरा सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जैसा यहां पर सुझाव दिया गया कि हिमाचल के निर्माण में हम किस तरीके से दोबारा से काम कर सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। यहां पर बंदरबांट के बारे में भी कहा गया है। यहां पर कई घटनाएं हुई हैं। सरकार ने पार्शियल डैमेज के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी। मुख्य मंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे और वहां पर इन्होंने इसके लिए घोषणा भी की है। जिसके घर में सिल्ट आई उसको भी 1 लाख रुपये मिल गए और जिसका ज्यादा नुकसान हुआ उसको भी 1 लाख रुपये मिले। इन बातों को लेकर कुछ चीजें ऊपर-नीचे हो सकती हैं लेकिन यह सॉल्व करने योग्य हैं। राजस्व मंत्री जी आप जानते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मकान फोरेस्ट लैंड में बने हैं और

28-08-2024/1450/एन0एस0-एच0के0/2

जो मकान आपदा में चले गए उन्होंने मकान बनाने के लिए सारी जमा पूंजी लगाई थी। सरकार ने वन भूमि में बने मकानों का पैसा नहीं देना था। आज हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि फोरेस्ट लैंड में मकान न बनाएं। सरकार को इस तरह की कोई-न-कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी नहीं तो लोगों की जमा पूंजी बेकार जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सुझाव दिया है उस पर सरकार गौर करेगी।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

28-08-2024/1450/एन0एस0-एच0के0/3

सभापति : श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) : सभापति महोदय, यहां पर माननीय अनिल शर्मा जी ने जिया क्षेत्र के बारे में कहा। मैं इनको थोड़ा-सा कॉरेक्ट करना चाहूंगा कि जिया में डिजास्टर एक्ट के तहत पिछले साल ऑक्शन हुई थी और उसमें लगभग 2.50 करोड़ रुपये की 8 साइट्स ऑक्शन हुई हैं तथा इनका पैसा भी जमा हुआ था। ऑक्शन की प्रक्रिया लगभग 10 दिनों तक चली लेकिन उसके बाद हाइवे वालों ने कुछ इश्यूज रायसन के रोज किए थे। उसकी वजह से सारी प्रक्रिया रुक गई थी। बाद में इसके एम-फार्म भी निकले हैं और जितना पैसा जमा होना था वह सरकार के पास जमा हो गया था लेकिन बाद में विद्धा हो गया था। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आप जिया गांव के लोगों से पूछो। इस साल की स्थिति यह है कि जिया में नेशनल हाइवे का जो पुल है, उसके नीचे और संगम स्थल पर ड्रेजिंग नहीं हुई होती तो आज जिया गांव का आधा हिस्सा बह गया होता जिस प्रकार से मलाणा-॥ डैम फटने के बाद बाढ़ आई है क्योंकि वहां पर उस पुल के नीचे ड्रेजिंग हुई थी। आज वहां पर उतना ही मलबा आ चुका है।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

28.08.2024/1455/RKS/वाईके-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) जारी

मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह डिजास्टर एक्ट के तहत ऑक्शन हुई थी। वर्तमान में लोकल ट्रैक्टर्ज वाले वहां क्या कर रहे हैं, यह अलग बात है। डिजास्टर एक्ट के तहत डैबरिज को रिमूव किया गया है। अगर आज जिया बचा है तो वहां गांव वालों ने धरने-प्रदर्शन किए कि वहां पर ड्रेजिंग की जाए। वहां पर प्रशासन की ओर से सही काम किया गया है। जो ऑक्शन प्रक्रिया को रोका गया है उस पर सरकार भविष्य में विचार करेगी।

सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, श्री अनिल शर्मा जी ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। कुल्लू वाली साइट में पिछले वर्ष भी काफी नुकसान हुआ था और इस वर्ष भी वहां काफी खतरा बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर तीन साइट्स को ऑक्शन किया था जिसकी बोली 4 करोड़ रुपये थी। जिसने बोली ली थी उसने 1 करोड़ रुपये जमा करवाये हैं। एम. फॉर्म इश्यू हुए और वहां से पत्थर उठाने का काम शुरू हुआ लेकिन एक हफ्ते बाद वन विभाग ने इस कार्य को रोक दिया। क्योंकि डिजास्टर एक्ट के तहत हम नदी-नालों से पत्थर हटा तो सकते हैं लेकिन इन पत्थरों को परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते। ओल्ड हिमाचल प्रदेश में मंडी, शिमला, कुल्लू और सिरमौर के क्षेत्र आत हैं। यहां नालों में भी फोरेस्ट एक्ट लगता है। **जो आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पत्थर नहीं है हम उसको इग्जामिन करवाएंगे कि वहां पत्थर है या नहीं।** कोडल फॉर्मैलिटीज करने के बाद जिस ठेकेदार ने 4 करोड़ रुपये की 'बोली' बोली है हम उससे 4 करोड़ रुपये वसूल करेंगे। हम डिजास्ट एक्ट से तो इसे हटा देंगे लेकिन जब तक हम फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं लेंगे तब तक फोरेस्ट डिपार्टमेंट हमें वहां से इवैक्यूएट करने की परमिशन नहीं देगा। कुल्लू-मनाली के बारे में श्री नितिन गडकरी जी ने खुद यह बात कही है। पतलीकूहल के पास ब्यास नदी का लैवल रोड के साथ आ गया है। जब बारिश आएगी तो ऑटोमैटिकली पानी का बहाव लैंड में जाएगा जो समय-समय पर आपकी लैंड को डैमेज करेगा। आज हमारे सभी नदी-नाले पत्थरों से भर गए हैं। नदी-नालों में हर साल साढ़े 7 करोड़ टन पत्थर आ रहा है जिससे वाटर लैवल ऊपर उठ रहा है। हम वैध रूप से वैरियस लीजिज और

28.08.2024/1455/RKS/वाईके-2

ऑक्शन के माध्यम से 75 लाख टन पत्थर निकाल पाते हैं। इस तरह जो नदी-नालों में पत्थर आ रहा है हम उसका 10 प्रतिशत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ब्यास नदी या नालों के ऊपर जो पुल स्थापित किए गए थे उनका लैवल नदी के तट से 30-30 फुट ऊपर हुआ करता था। लेकिन आज नदी का लैवल ऊठ जाने के बाद इन पुलों और नदी के बीच में बहुत कम स्पेस रह गया है। हमें इनकी इवैक्यूएशन के लिए एक पॉलिसी लानी होगी जिसके लिए हमें केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता है। सरकार ने फोरेस्ट कॉर्पोरेशन को इवैक्यूएशन के लिए कहा है लेकिन जब तक हमें केंद्र सरकार से परमिशन

नहीं मिलती तब तक हम वहां से एक पत्थर भी नहीं निकाल सकते। पहले श्री मुकेश अग्निहोत्री व श्री बिक्रम सिंह जी उद्योग मंत्री थे। हमने प्रदेश में लगभग 332 नदी-नालों की ऑक्शन की है जो लगभग 103 करोड़ रुपये में ऑक्शन हुए हैं। श्री सुख राम चौधरी जी जानते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति केंद्र से परमिशन लेकर आया है जिसमें हमें 5 करोड़ रुपये के करीब आय होनी है। हमें पॉलिसी को रिव्यू करके नदी-नालों की लॉग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी ताकि हमें जो नुकसान हो रहा है उससे बचाव किया जा सके। आपने जो बातें कही हैं we will examine and ensure it कि जो मटिरियल साइड में है उसे न ले जाया जाए।

सभापति : अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री राम कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1500/बी.एस./वाई के-1

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी भाग लेंगे।

श्री राम कुमार (मुख्य संसदीय सचिव): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अन्तर्गत जिसमें आपदा से संबंधित चर्चा माननीय सदस्यों द्वारा पिछले कल से की जा रही है। पिछली बार यह सदी की सबसे लम्बी बरसात हुई। जिसे देख कर लगता था कि शायद काफी समय इससे निपटने में लग जाएगा। परंतु मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने बहुत ही कम समय में इस आपदा से निपटने के लिए रुचि दिखाई। यदि मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो मेरे दून विधान सभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 20 पंचायतें पहाड़ी एरिया में पड़ती हैं। जिनमें लगभग सभी सड़कें जो मेरे पूज्य पिता जी स्वर्गीय चौधरी लज्जा राम जी ने बनाई थीं। उनमें से 90 प्रतिशत सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उनको रिस्टोर करने के लिए हमने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और डी.सी. साहब के माध्यम से लगभग 80 लाख की राशि प्रति पंचायत लगभग 5-6 लाख रुपये मिली और दो-तीन महीने के अंदर ही हमने सभी ग्रामीण सड़कों को रिस्टोर कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारी मुख्य सड़के हैं उनको रिस्टोर करने के लिए कसौली और नालागढ़ को पैसा दिया गया जिनमें लगभग 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है और अभी 25 प्रतिशत कार्य होना बाकी है।

इसलिए मैं उन सड़कों के नाम यहां पढ़ना चाहूंगा। इनमें मुख्य रोड हमारे जैसे बरोटीवाला-पट्टा-बनेलगी रोड, भुड-भटौली-घरेड़ रोड, पट्टा-जोड़जी रोड, बांध-जामियां-कसौली रोड, मधाला-घुनाई रोड, साई-वासनी रोड, सरूणी- जामण दा डोरा रोड, श्यामाघाट-घटकल रोड, कुठाहड़-सपाटू रोड, परघोला-श्याशी रोड। इन रोड्ज में अभी भी कुछ काम होना बाकी है। जब हमने एक्सिअन, कसौली से बात की तो पूर्व में जो एक्सिअन थे उनके समय में बिना प्राक्कलन के जो काम हुए और बहुत बड़ी देनदारी उसमें खड़ी हुई है। मैंने एक पत्र भी मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी को लिखा था कि इस मामले की जांच की जाए। ये जो फेक बिल बने हैं इनकी जांच होनी चाहिए। अजकल मेरी बात एक्सिअन साहब से हुई तो लगभग 18 करोड़ रुपये की देनदारी कसौली डिवीजन की पड़ी हैं। अभी तक दून विधान सभा चुनाव क्षेत्र के रोड 25 प्रतिशत रिस्टोर होना बाकी हैं, वे काम नहीं हुए हैं। इनके लिए मैं लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन रोड्ज के लिए राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि इन सड़कों को पुनः सुचारु रूप से बहाल किया जा सके। अभी बरसात

28.08.2024/1500/बी.एस./वाई के-2

कम हुई। यदि इस वर्ष भी वैसी भारी बरसात हुई होती तो ये रोड बंद हो जाने थे। मेरे ऐरियाज में लगभग 300 लोग बेघर हुए हैं। इनमें मुख्यतः हमारा भवासनी और साई पंचायत के तीन-चार गांव हैं सिल, सुनानी, खाली और पट्टा पंचायत के बराघू और नाली पंचायत का सालगा गांव हैं। ये सभी ऊपर की पंचातें हैं जिनमें प्रत्ये पंचायत में दो-चार घर गिरे हैं। मेरी जो बद्दी तहसील है उसमें 141 लोग ऐसे हैं जिनके आंशिक रूप से घर स्वीकृत हुए थे परंतु बाद में उन्हें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों में ले लिया गया। मैं चाहूंगा कि जो मकान बाद में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मकानों को भी फुली डेमेज में ले लिया जाए। ताकि इन लोगों के साथ भी न्याय हो सके। इन लोगों का बाकी का पैसा, जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि तीन लाख रुपये की राशि ही इन्हें मिली है बाकी पैसा मिलना बाकी है। जो हमारा सिलसुनानी और अप्पर एरिया का क्षेत्र हैं, वहां पर पूरी जमीन फट गई थी। लोगों के गांव-के-गांव तबाह हो गए। माननीय राजस्व मंत्री जी भी वहां पर जा करके आए थे। वह जमीन धंसने के बाद उनका रिहैब्लिटेड करने के लिए जगह नहीं थी। सरकार ने

जो जगह उन्हे देनी थी वह फाइल रेडी हो चुकी है। परंतु वन विभाग से उसमें एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन है कि उसे प्रशासनिक तरीके से जैसे हमारे कब्जा धारी किसान थे या चकौता धारी किसान थे, हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने 20 हजार किसानों को जमीने दी हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1505/AG/DT-1

श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव जारी....

तो उसकी तर्ज पर उनको फॉरेस्ट एन0ओ0सी0 से बाहर कर के एफ0आर0ए0 में ट्रीट किया जाए और उनको एन0ओ0सी0 जारी की जाए ताकि उनको घर बनाने के लिए जो 3 लाख रुपए मिले हैं वह उनके काम आए और उनके घर बन सके। अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई लोग कैंपस में रह रहे हैं। हमारे वहां राधा स्वामी सत्संग भवन है। यह भवन काफी बड़ा है कुछ प्रभावित वहां रह रहे हैं और कुछ लोग आस-पास के एरियाज में रह रहे हैं। हमने कुछ समय टिनी शैड पहले रथाई तौर पर बनाए थे कुछ लोग उसमें रह रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन लोगों को जमीन अलॉटमेंट का काम तय समय में पूर्ण किया जाए ताकि उनके घर दोबारा बन सके।

अब मैं बात कसौली डिवीजन की बात करूंगा। इसमें लगभग 270 केसिज ऐसे थे जो मेरे चुनाव क्षेत्र के रिपोर्ट हुए थे। जिसमें से अभी तक केवल 119 लोगों को ही तीन लाख रुपए की राशि मिली है। और 99 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। मैंने आज सुबह माननीय जगत सिंह नेगी जी के चैंबर में जाकर उनसे बात की तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि आज उपायुक्त महोदय को पैसा आज चला गया है। अगर अभी भी यह पैसा पार्सली गया है तो मैं चाहूंगा एस0डी0एम0 कसौली द्वारा जो डिमांड भेजी गई है उसके आधार पर सभी प्रभावित लोगों को पैसा शीघ्रताशीघ्र रिलीज किया जाए ताकि उनके घर बन सके।

तीसरा, मुद्दा भी हमारे कुछ साथियों ने यहां पर उठाया कि पिछली आपदा के समय जिन लोगों के लिए ढंगा सैंक्शन हुए थे, उसमें कुछ औपचारिकताएं थीं। मनरेगा के तहत हमने

यह पैसा दिया। एक-एक पंचायत में लगभग 80-80 लाख रुपये के ढंगे सैंक्शन हुए। लेकिन वह लग नहीं पाए बहुत समय हो गया है। मैं चाहूंगा कि उनको दोबारा से रिवाइव करने के आदेश सरकार दे ताकि वह स्वीकृत राशि प्रभावित लोगों को मिल सके।

तीसरा हमारे जो पिंजौर-स्वारघाट-बढ़ी नेशनल हाइवे बन रहा है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। इसकी जो 35 मीटर की रिक्वायरड विड्थ है वहां पर सर्विस रोडज नहीं दिए गए हैं। भारी बरसात के कारण जो अप्पर एरियाज का पानी आता और जैसी नेशनल हाइवे में उन्होंने फिलिंग की है उसके कारण सारा पानी वहां पर रूक जाता है। वहां घंटों तक ट्रफिक जाम रहता है। पानी के ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय बढ़ी से लेकर नालागढ़ तक एक फ्लाइ-ओवर पर
28.08.2024/1505/AG/DT-2

लेकर जाएं ताकि वहां पर कुछ किलोमीटर के बाद ही जो विभिन्न गांव को रोडज निकल रहीं हैं, चाहे वह इण्डस्ट्री का रोड है ऐसे सारे रोड जैसे ही ये हाइवे बनेगा उनकी अप्रोच बंद हो जायेगी उनको अप्रोज देने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने से हमें कोई फायदा नहीं है उससे उलटा हमें नुकसान होने का डर है। मैं माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस मामले में आप जरूरी कदम उठाएं। कल मेरे क्षेत्र के बागबानियां से एक विडियों मुझे भेजी गई वहां पर जो पुराना पुल है उसके नीचे बहने वाली नाले ऊपर से पानी लांघ कर गया और पुल को इससे नुकसान हुआ। पिछली बरसात में हमारे क्षेत्र में कई पुल क्षतिग्रस्त हुए। क्योंकि वहां पर माईनिंग बंद होने के कारण नदी भर गई। वह विडियों मेरे पास है मैं इसे माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय को भेज दूंगा। माननीय लोक निर्माण मंत्री नेशनल हाइवे के ठेकेदारों को प्रोपर निर्देश देने की कृपा करें ताकि हमारी इस क्षेत्र को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सपाटु क्षेत्र में भी आई है, यह एक कंटोनमेंट एरिया है। जो इस क्षेत्र की मुख्य सड़क है वह कंटोनमेंट एरिया से होकर जाती है। वहां पर लगभग चार-पांच लाख क्षमता वाला पानी को एक टैंक था जो फट गया। उस टैंक के फटने के कारण हमारे क्षेत्र के आरला और फालटू गांव को खतरा हो गया। और जो नाला 20 मीटर डाउन था उसमें सिल्ट भर गई और हमारी पुलियां बंद हो गई। मैं खुद भी मौके पर गया था और उपायुक्त महोदय भी मौके में गए थे। उस कंटोनमेंट एरिया से मिलिट्री वाले आम

वाहनो को अलाउ नहीं कर रहे। वहां पर सिर्फ कार की आवाजाही ही अलाउ की जा रही है। जो रोड आरला से होकर जा रही है उसमें सिमेंट की गाडियां और ट्रक चल रहे हैं और उससे वह रोड बिल्कुल बैठ गया है। उस रोड की दशा खराब है। मैं लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वह आरला रोड के लिए अधिशाषी अभियन्ता, कसौली को निर्देश दें कि इस रोड को शीघ्र और प्रोपर ढंग से बनाया जाए। उपायुक्त महोदय के माध्यम से कंटोनमेंट एरिया के जो भी मिलिट्री के अधिकारी है उनसे बात करके बंद रोड को भी खोलने के निर्देश दिए जाएं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

28-08-2024/1510/ए.जी.-एन.जी/1

श्री राम कुमार.....जारी

ताकि आम लोगों की आवाजाही और बच्चों के स्कूल की बसों को शुरू किया जा सके क्योंकि वे बंद पड़ी हुई हैं। उस समय कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा इश्यू हुआ। मेरे क्षेत्र के चार गांव तो पूर्ण रूप से धवस्त हो गए और वहां पर एक भी घर नहीं बचा था। उन लोगों की जमीनें ढाक बन गईं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तय हुआ था कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं उन्हें 3 बिस्वा जमीन देने की बात कही थी। इसके अलावा यह भी तय हुआ था कि उन लोगों को जमीन के बदले उसी मौजा या साथ लगते क्षेत्र में सरकारी भूमि अलॉट करेंगे। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाई है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए। पिछली बरसात के समय में जिन लोगों की जमीनें धवस्थ हुई हैं या ढाक बन गई हैं और कृषि योग्य नहीं बची हैं तो उनको जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान करने की पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके।

सभापति महोदय, हमारी कुछ बड़ी नदियां हैं जिनका चैनेलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसमें एक नदी चण्डी से निकलती है और पट्टा होते हुए बाल्ड खड्ड में मिलती है। इसके अलावा एक नदी कोटला साइड से आती है। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती

राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने उस ऐरिया में विजिट भी किया था और वहां का ऐस्टिमेंट भी बन गया है। लेकिन उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इन नदियों का चैनेलाइजेशन करने की बहुत जरूरत है क्योंकि उसके साथ लगते घर व जमीनों को बहुत खतरा पैदा हो चुका है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त/-

28-08-2024/1510/ए.जी.-एन.जी/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा (श्री नैना देवीजी) : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने विषय उठाया है कि "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे" और आपने मुझे इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नुकसान उतना ज्यादा नहीं है जितना पिछले वर्ष हुआ था परंतु अभी भी बरसात चली हुई है इसलिए और नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अभी तक भी जो नुकसान हुआ है वह भी कम नहीं है। इस वर्ष लगभग 70 लोगों के मरने की खबर है, 51 लोग लापता हुए हैं और 60 घर बह गए हैं। इस प्रकार से यह नुकसान भी कोई कम नुकसान नहीं है। इस विषय पर यहां पर चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का ब्यौरा दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये उनका दायित्व है और उन्हें यह ब्यौरा यहां पर देना भी चाहिए। सभी की एक बात कॉमन है कि पिछले साल आपदा आई, इतना नुकसान हुआ और उसके बाद जो पैकेज घोषित किया गया, वह पैकेज मात्र कागज़ों तक

सीमित है। पिछले कल से यह विषय चल रहा है और इसमें माननीय मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्री जी ने भी हस्तक्षेप किया। इन्होंने कहा कि हमने सभी को मुआवजा दे दिया है। मैंने कहा कि उन सभी का नाम भी बताएं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच लोग भूमिहीन हुए थे और उनमें से किसी को भी जमीन नहीं मिली, किसी को भी 7 लाख रुपये नहीं मिला केवल 3 लाख रुपये ही मिले, किसी को भी मकान का किराया नहीं मिला, सरकार ने तो पैकेज में राशन व गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की थी और मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रभावित लोगों को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिली है।

28-08-2024/1510/ए.जी.-एन.जी/3

मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, जोकि इस प्रकार हैं :- श्री श्याम लाल, श्री राजू, श्री राम लाल और श्रीमती सीमा देवी। इन लोगों को पैकेज का कोई भी लाभ नहीं मिला है। हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था लेकिन जब वहां भी प्रभावित लोगों को लाभ नहीं मिला तो जहां पर ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं वहां पर भी लाभ नहीं मिला होगा।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1515/केएस/एस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी --

इसलिए हम सिर्फ जवाब दे कर संतुष्ट न करें। धरातल पर क्या हुआ है, सरकार उसका ज़रूर आकलन करें। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछली आपदा से क्या सीखा? कोई घटना घटती है उसके बाद हमें कोई न कोई सबक सीखना पड़ता है। यह तो पिछले साल रिपोर्ट्स भी आई थी, मैंने भी सदन में कहा था तथा और भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान में लाया था कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्ज़ ज्यादा पिघल रहे हैं जिसके कारण बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होंगी और उसके कारण नुकसान ज्यादा होगा। उसका परिणाम पिछले साल आया था और इस साल भी आ रहा है परंतु हमने एक साल में क्या प्रयास किए? क्या कोई एक्सपर्ट्स की मीटिंग की? क्या सरकार ने

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स, सांइटिस्ट्स की कॉफ्रेंस या मीटिंग की कि ये बादल आखिरकार क्यों फटते हैं? इसका क्या कुछ समाधान हो सकता है और अगर हम इसको रोक नहीं सकते तो क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? आज बारिश का पूर्वानुमान लगाया जाता है तो बादल फटने का भी लगाया जा सकता होगा। मैं नहीं कहता कि उसका समाधान निकल जाए परंतु अगर सरकार एक साल में कुछ प्रयास करती तो हम भी कहते कि सरकार ने कुछ किया है। आज हम यह कहने के लिए मज़बूर हैं कि पिछले साल की आपदा में जहां 500 लोगों की जानें चली गईं, 22 हजार घर तबाह हो गए, उस आपदा से हमारी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। उसी का परिणाम है कि अभी एक ही दिन में हमारे 70 लोगों की जानें चली गईं और 51 लोग लापता हैं।

सभापति महोदय, रूटीन की बात है कि हर साल बरसात से पहले सरकार पूर्व तैयारी करती है। बरसात आती है, उसमें नुकसान होगा इसलिए पूर्व तैयारी के लिए सभी विभागों की संयुक्त रूप से बैठकें की जाती हैं। लोक निर्माण, आई.पी.एच., एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बिजली विभाग आदि सभी की ज्वाइंट मीटिंग करके कोई एक्शन प्लान बनाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है परंतु दुख का विषय है कि इस सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए बरसात से पहले कुछ नहीं किया। इसलिए जब सरकार लापरवाह होती है तो उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है।

28.08.2024/1515/केएस/एस/2

सभापति महोदय, जो यह इतना नुकसान हुआ है, उसमें कहीं न कहीं सरकार को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? आज हालात यह हैं कि एक बारिश होती है तो सड़कें टूट जाती हैं। यहां पर लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं। केंद्र से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़-3 से पैसा आ रहा है। काम चल रहा है परंतु क्वालिटी क्या है? एकही बारिश में गड्ढे पड़ जाते हैं। आप फील्ड में जा कर देखें। क्वालिटी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आरोप नहीं लगाता कि उसमें करप्शन है परंतु जब क्वालिटी नहीं रखी जाती तो उसका कारण करप्शन भी हो सकता है इसलिए सरकार इस पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश से नुकसान हो सकता है परंतु एक ही बारिश से सड़क बह जाए, उसमें गड्ढे पड़ जाए तो फिर विभाग क्या कर रहा है, इस पर

ज़रूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा पिछले साल यह भी चर्चा हुई कि आपदा को लेकर हम कुछ बातें सांझा तौर पर करेंगे। हम लोगों को भी जागरूक करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो कानून की मदद भी लेंगे कि लोग नदी नालों के नज़दीक घर न बनाएं। यह बहुत आवश्यक है। हमने भी कहा था कि हम साथ देंगे परंतु सरकार ने क्या किया? क्या कोई जन-जागरण मुहिम चलाई? क्या कोई पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों की बैठक की या क्या लोगों को मोबलाइज़ करने का काम किया? बात हुई थी साइंटिफिक माइनिंग की। आज उद्योग मंत्री जी का विषय था। पिछले साल भी विषय आया था कि अगर साइंटिफिक माइनिंग की जाएगी, जितनी आवश्यक है, उतनी माइनिंग की जाएगी तो यह नुकसान नहीं होगा। मैंने तो पिछली बार भी कहा था, आपके पास तो माइनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप उनके विचार क्यों नहीं लेते? साइंटिफिक माइनिंग हो, माइनिंग पॉलिसी बने परंतु वह पॉलिसी अपने खासमखास को लाभ देने के लिए न बने।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

28.08.2024/1520/av/ए०एस०/1

श्री रणधीर शर्मा -----जारी

बल्कि आपदा के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए बने। हमें दुःख यह है कि जब माइनिंग पॉलिसी में बदलाव हुए तो वह अपने चहेतों को लाभ देने के लिए किए गए और उसमें प्रदेश हित को सामने नहीं रखा गया जिसके कारण आपको आज भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैंने तो पिछली बार भी सुझाव दिया था कि मकान बनाने के लिए स्वायल टैस्ट की कंडीशन जरूरी करनी होगी। यहां पर कोई स्वायल टैस्ट नहीं होता कि नीचे जमीन कैसी है और ऊपर 5-5 व 6-6 मंजीला भवन खड़ा हो जाता है। आज समय की आवश्यकता के मद्देनज़र शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी स्वायल टैस्ट जरूरी करना पड़ेगा अन्यथा इसी प्रकार के नुकसान होते रहेंगे। इसलिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदेश व जनहित में विपक्ष सरकार का साथ देने को तैयार है मगर इनीशिएटिव तो सरकार को लेना पड़ेगा। परंतु दुःख का विषय यह है कि पिछले साल की बरसात में हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे आगे कम नुकसान हो। यहां से

अभी उप-मुख्य मंत्री जी चले गए हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र से रास्ता जाता है, हालांकि खड्ड पंजाब में है परंतु लोग हिमाचल के जाते हैं। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहां एक पुल बनवा देते तो आज वहां पर वे लोग न मरते। ... (व्यवधान) श्री मुकेश अग्निहोत्री जी वहां से 5 बार जीत चुके हैं। इससे पहले भी वहां कांग्रेस पार्टी ही थी और श्री राकेश कालिया जी, आप तब भाजपा में थे इसलिए आपको कंप्यूजन हो रही है। वह पुल नहीं बन सका। मैं यहां पर एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मंझारी नामक पंचायत है। वहां ऊपर खड्ड से पानी आता है और उस पंचायत की सारी फसल तबाह हो जाती है। कभी अगर बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाए तो उनके घरों को भी नुकसान पहुंचता है। मैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट का वाइस चेयरमैन था तो मैंने अगस्त, 2022 में उसका प्राक्कलन तैयार करवाकर उसके लिए लगभग 50 लाख रुपये की राशि सैंक्शन करवाई थी। आज अगस्त, 2024 हो गया है मगर वह काम शुरू नहीं हो पाया। ... (व्यवधान) पिछले डेढ़ साल से सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब तो यह हुआ कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ... (घंटी) सभापति महोदय, आप इतनी जल्दी में रहते हैं तभी मंत्री नहीं बनते। आप

28.08.2024/1520/av/ए0एस0/2

थोड़ा संयम रखो क्योंकि जल्दबाजी हमेशा काम नहीं करती और जल्दबाजी में दुर्घटना होने का डर रहता है। इसलिए आपके साथ बार-बार हो रही है।

सभापति : आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति जी, यह एक नहीं बल्कि सभी विधान सभा क्षेत्रों के साथ हो रहा है। आपकी सरकार पिछले डेढ़ साल से सभी चुनाव क्षेत्रों के साथ अन्याय कर रही है। इसमें चाहे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग या संस्थानों को बंद करने की बात हो परंतु यह सरकार आपदा में भी यह देख रही है कि यह भाजपा का विधायक है। आपकी सरकार तो स्वीकृत राशि को भी खर्च नहीं कर रही है। अगर सरकार का का ऐसा ही रवैया रहा तो भगवान ही मालिक है। ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं परंतु सरकार इस ओर ध्यान दें।

मैं दूसरी बात केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में करना चाहता हूँ। हम जो बोलते हैं उसको राजस्व मंत्री जी नहीं मानते। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 1782 करोड़ रुपये की राशि दी मगर ये कहते हैं कि यह हमारा हक है। हमने कहा कि ठीक है यह आपका हक है। इनको 251 करोड़ रुपये की राशि जनता ने एकत्रित करके दी जोकि कुल मिलाकर 2033 करोड़ रुपये बनते हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी, आप यह बताएं कि आप तो दो साल में 2033 करोड़ रुपये की राशि भी खर्च नहीं कर पाए। मेरी जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 तक आपदा की 142 करोड़ रुपये की राशि अव्यय रह गई। आपकी सरकार की यह हालत है। आप केंद्र से 9000 करोड़ रुपये की राशि मांग रहे हैं परंतु खर्च आपसे 2033 करोड़ रुपये भी नहीं हो रहे। वर्तमान सरकार इस बात को स्पष्ट करें, यहां पर राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। मैं यहां पर ओपनली एलीगेशन लगा रहा हूँ कि आपदा के अंतर्गत 142 करोड़ रुपये की राशि अव्यय रही। वर्तमान सरकार को यह विचार करना होगा कि आप आपदा के प्रति कितने गंभीर हैं। आज यहां पर माननीय सदस्य

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री रणधीर शर्मा ... जारी

श्री चन्द्र शेखर जी बोल रहे थे कि राजनीतिक आपदा आई, सुख्खू जी ने बखूबी निभाई, हम तो 40 के 40 रह गए। मुकेश जी भी बोलते हैं कि हम 40 के 40 रह गए। आप तो 40 के 40 रहे लेकिन हम 25 से 28 हो गए। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। जहां तक राजनीतिक आपदा की बात है, इसके बारे में क्या कहें, मैं तो कहता हूँ यह सरकार ही अपने आप में आपदा है और इस आपदा को लाने वाले इन्द्र देवता श्री रोहित ठाकुर जी हैं जो आजकल पूरी तरह से प्रचंड हो गए हैं। ये 5-5 बच्चों वाले स्कूल भी बंद कर रहे हैं। पिछले साल कहा कि जिन स्कूलों में 5 बच्चे हैं उनको बंद नहीं करेंगे और इससे कम वाले स्कूलों को बन्द करेंगे लेकिन इस बार 5 बच्चों वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया। आप कह रहे हैं कि आपदा नहीं है। स्कूल के बच्चों को दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में दो खड्डे होंगी और उसको क्रॉस करके 6-7 साल का बच्चा पैदल स्कूल जाएगा। यदि

कोई अनहोनी घटना घट गई तो क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको इसका सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहिए था? क्या आपने यह सर्वेक्षण करवाया कि जिन स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं उनके बीच कोई खड्ड या नदी-नाला तो नहीं पड़ता है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस तरह का को सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। (...घण्टी...)

सभापति : प्लीज वाइंडअप करें। आप डिजास्टर पर चर्चा करें। इस विषय पर चर्चा बाद में लाएंगे।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, बात तो करने दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बाग-चमयारा स्कूल 5 बच्चों का था आपने उसको बंद कर दिया। मैंने पहले भी उसके बारे में कहा था कि वहां पर कोई सड़क नहीं है। इसलिए यह सरकार आपदा ही तो है। मुख्य मंत्री जी फरमान जारी करते हैं कि अब बिजली व पानी के बिल आएं और हिमकेयर योजना बंद होगी। आपकी आपदा से तो हिमाचल का हर नागरिक प्रभावित है। इसलिए इस राजनीतिक आपदा से भगवान बचाए। मैं जानता हूँ कि भगवान द्वारा लाई हुई आपदा को हम नहीं रोक सकते लेकिन उससे नुकसान कम हो उसकी कोशिश तो कर सकते हैं। परंतु जो यह राजनीतिक आपदा ला रहे हैं, ये जो सरकारी आपदा आ रही हैं, इस सरकारी आपदा को मुख्य मंत्री जी को रोकना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता सुखी-सुखी 2-3 साल का समय

28.08.2024/1525/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

काट सके। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर सरकार लांग टर्म प्लानिंग करें। इसके लिए नेशनल, इंटर नेशनल के एक्स्पर्ट्स बुलाए और उनके साथ मीटिंग करें। यह गंभीर विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करें। इसके साथ ही जनहित में यदि कुछ कड़े फैसले लेने पड़े तो अवश्य लें। नदी-नालों की साइड में जो लोग घर बना रहे हैं, उनको रोका जाए। घर बनाने के लिए स्वायत्त टैस्टिंग आवश्यक करें। टी0सी0पी0 के नियमों को पूरी तरह से लागू किया जाए। इसी तरह से अवैध कटान को भी रोका जाए क्योंकि पेड़ काटने से लहासे गिरेंगे और स्लाइड होंगे। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार कठोर कदम उठाएं और आगे बढ़े। विपक्ष इस दृष्टि से सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं कुछ फिगरज कॉरेक्ट करना चाहूंगा। कुल्लू में जो ड्रेजिंग हुई है, वहां 14 साइट्स की ड्रेजिंग हुई है और इन 14 साइट्स में कुल ऑक्शन 2,47,84,611/- रुपये की हुई है जिसमें 25 प्रतिशत पैसा जमा करवाया गया है।

दूसरा, अभी श्री रणधीर शर्मा जी नई माइनिंग पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत लम्बे अर्से के बाद हमने एक नई पॉलिसी बनाई है और वह राज्य के हित में है ताकि प्रदेश का राजस्व बढ़े। यह पॉलिसी माइनिंग से संबधित लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हों। आप कह रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई है। आप बताएं, आप उस पर चर्चा करें। आप माइनिंग पॉलिसी की चर्चा सदन में लाएं और अगर आपको ऐसा लगता है कि

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1530/एन0एस0-डी0सी0/1

उद्योग मंत्री ----- जारी

कहीं ऐसा हुआ है, यह इंडिविजुअल को देखते हुए नहीं है। जो पॉलिसी बनाई है उसमें सबको राहत मिली है। माइनिंग के बहुत सारे लोग कहते थे कि हम क्रशर के लिए जे0सी0बी0 को यूज करते हैं और हमारी जे0सी0बी0 को लीगलाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पैसे देने को तैयार हैं तो हमने उसको लीगलाइज किया। वे एक जे0सी0बी0 के 50,000 रुपये देंगे। स्टेट को लगभग 17-18 करोड़ रुपये जे0सी0बी0 से रेवेन्यू आएगा। हमने हिमाचल प्रदेश में लीजिज दी हुई हैं। अब माइनिंग रूल यह कहता है कि आप एक मीटर ही खोद सकते हो लेकिन लोग उससे ज्यादा खोदते हैं। माइनिंग के एम-फॉर्म है, अगर 1 लाख टन की एनुअल केपेस्टिटी है। हमने 1 मीटर की बजाए 2 मीटर कर दिया। जहां 1 लाख टन की अवलेबिलिटी थी वहां 2 लाख टन कर दी गई। यहां पर सब विधायक अवलेबिलिटी ऑफ एम-फॉर्म की चर्चा करते हैं कि एम-फॉर्म नहीं है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने माइनिंग पॉलिसी लाई है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि

गड़बड़ी हुई है तो हम उसका सुधार करेंगे। सरकार की माइनिंग पॉलिसी में कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की मदद की जाए।

सभापति : अब राजस्व मंत्री जी अपनी बात कहेंगे। श्री रणधीर शर्मा जी आप राजस्व मंत्री के बाद बोल लें।

श्री रणधीर शर्मा : मंत्री जी, आप सभी माननीय सदस्यों को माइनिंग पॉलिसी की प्रति उपलब्ध करवाएं और इस पॉलिसी को लागू भी करें।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, माननीय रणधीर शर्मा जी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित नहीं हैं, ये राजनैतिक आपदा से पीड़ित हैं। इन्होंने जो राजनैतिक आपदा लाने की कोशिश की है, ये उसमें बुरी तरह से असफल हो गए। अब ये प्राकृतिक आपदा को कोसने की बजाए राजनैतिक आपदा को कोस रहे हैं जिसमें ये खुद फेल हुए हैं।

28-08-2024/1530/एन0एस0-डी0सी0/2

सभापति : अब श्री कुलदीप सिंह राठौर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कुलदीप सिंह राठौर (टियोग) : मैं मौजूदा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपदा में जिन परिवारों के सदस्य मृत्यु के ग्रास बने हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और उन परिवारों को इस असीम दुःख को सहन करने की भगवान शक्ति दे, ऐसी कामना करता हूं। यहां पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। हम देख रहे हैं कि हर साल कोई-न-कोई आपदा प्रदेश में आ रही है। ऐसा लगता है कि इस देवभूमि को किसी की नज़र लग गई है। लगातार दूसरे वर्ष आपदा आई और काफी नुकसान हुआ। पिछले वर्ष और इस वर्ष जो आपदा आई उसमें थोड़ा फर्क है। सलेक्टिड जगह पर बादल फटे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले वर्ष का सभी को मालूम है कि प्रदेश में क्या हालात बने? मैं सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी रेस्टोरेशन का काम सीमित साधनों के बावजूद भी हुआ। मैं बागवानी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं और जब यह आपदा आई तो सेब सीजन चल रहा था। मेरे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें ध्वस्त हो गई थीं लेकिन सरकार के दृढ़ निश्चय से

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

28.08.2024/1535/RKS/एचके-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर...जारी

तमाम सड़के रिस्टोर हुई हैं। बागवानों को चिंता थी कि उनका सेब मार्किट तक पहुंचेगा या नहीं लेकिन हमारे बागवानों का पूरा सेब मार्किट तक पहुंचा है। यह सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हमें जिस मदद की केंद्र से दरकार थी वह मदद हमें नहीं मिल पाई है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि हमें केंद्र से 1782 करोड़ रुपये की मदद मिली है। ये अलग-अलग आंकड़े हैं। दिल्ली से जो भाजपा का प्रभारी आता है वह कोई और ही आंकड़े देता है। हमारे प्रदेश के भाजपा प्रत्याशियों के और ही आंकड़े हैं। जो मदद हुई है उसमें आप श्वेत-पत्र क्यों नहीं लाते। जब आप श्वेत-पत्र लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि हमें केंद्र से कितनी मदद मिली है। हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र निहित योजनाएं चल रही है आप उस पैसे को भी इसमें जोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि इस विषय में श्वेत-पत्र जारी किया जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बरसात में काफी सड़कें टूटी हैं। आपने कहा कि पहली ही बारिश में सारी सड़कें ढह गईं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सड़कें आपके समय में बनी थी वहीं सड़की पहली बारिश में टूटी हैं। क्योंकि हमारी सरकार को बने हुए अभी डेढ़ साल का ही समय हुआ है और हमें यह देखना होगा कि गुणवत्ता से कैसे समझौता हुआ है। आपने यह अच्छी बात कही है और मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। जो सड़कें बनाई गई हैं वहां पानी की कोई निकासी नहीं है। जब बारिश आएगी तो पानी सड़कों में ही जाएगा जिससे सड़कों का टूटना संभव है। इसलिए इस विषय में हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कई जगह कल्वर्ट बंद पड़े हैं जिससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। हमारे समय में भी सड़कें बन रही हैं। हमारे युवा मंत्री यहां बैठे हैं। मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप उच्च गुणवत्ता की ओर ध्यान दें। अभी केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश को कुछ मिलने वाला है। लेकिन हमें बहुत निराशा हुई

जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने हिमाचल को टाल दिया। उन्होंने हिमाचल का जिक्र जरूर किया लेकिन हिमाचल की मदद कैसे होगी उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। जब आप असम, सिक्किम और उत्तराखंड में दिल खोल कर मदद कर सकते हैं तो फिर हिमाचल के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? आप हिमाचल के साथ इसलिए अन्याय कर रहे हैं क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। मैं एक बात स्पष्ट

28.08.2024/1535/RKS/एचके-2

रूप से कहना चाहता हूं कि हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा में है। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि जब-जब इस देश में आपत्ति आई, जब-जब हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ, हमारे हिमाचल के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं लेकिन जब मदद की बात आती है तो केंद्र सरकार हिमाचल को पीछे क्यों छोड़ देती है? यह स्पष्ट होना चाहिए कि वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई? मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि आज हमारी बस्तियां नदियों के किनारे शिफ्ट हो रही हैं। हमारे पूर्वज नदी नालों से दूर अपने घर स्थापित करते थे। इसलिए यह कानून बनना चाहिए कि नदी-नालों के समीप कोई भी गांव स्थापित न किया जाए। यहां पर खनन की बात हुई। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कितना भी कदावर हो, जो अवैध खनन में संलिप्त हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो एस.जे.वी.एन.एल. का प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी सारी मिट्टी नदी में डंप की जा रही है। जब नदी अपना रास्ता लेगी तो उससे हमें काफी नुकसान होगा। हमें इस विषय पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1540/बी.एस./एच के.1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी...

मैं अपने साथी से बिल्कुल सहमत हूं जैसा इन्होंने कहा कि विशेषज्ञ की राय अवश्य होनी चाहिए कि ये बादल क्यों फट रहे हैं? प्रकृति कहीं-न-कहीं हम से बदला ले रही है, हम

प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका यह फल है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है और हर वर्ष हमारे वन विभाग को एक माकूल रकम दी जाती है कि वृक्षारोपण हो लेकिन इसमें भी घालमेल है। क्योंकि कितने पेड़ लगते हैं, किसी को यह मालूम नहीं है, कोई चैक नहीं हो रहा है। जितना पैसा दिया जाता है क्या वाकई में वृक्षारोपण हो रहा है? जो हमारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनका भी सामाजिक दायित्व बनता है कि वे पेड़ लगाएं। मुझे नहीं लगता कि वे इस दायित्व का निर्वाहन कर रहे हैं। मैं लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हम किसी भी दल से संबंध रखते हों, हमें इस बात को देखना है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें कड़े नियम-कानून बनाने होंगे और मिल कर हमें इस बात का प्रयास करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग में हमारा 4-5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा हुआ है वह कुरपन पेयजल योजना का हुआ है। ये बड़ी महत्वकांक्षी पेयजल योजना है। यह लगभग 315 करोड़ रुपये की योजना है और यह अंतिम चरण में थी। इस योजना में जो पानी लिफ्ट किया जाना है इससे 53 पंचायतें लाभान्वित होंगी। हमारा ठियोग और चार-पांच पंचायतें हमारी कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र की भी आती हैं। वहां पर पानी की कमी कई वर्षों के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी दुर्भाग्य से जो स्रोत है वह पूरे-का-पूरा बह गया है। मैं भी वहां पर गया था वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। उसमें लगभग 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं उनसे भी मेरी बात हो रही है। उनको भी मैंने कहा है कि यह परियोजना बहुत लम्बित हो रही है। हमें उम्मीद थी कि ये 5-6 महीनों में पूर्ण हो जाएगी लेकिन लगता है कि अभी इसके लिए और समय लगेगा। इसमें भी ध्यान देने के जरूरत है। हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहां-जहां भी सड़के टूटी हैं पहले भी सरकार ने प्रयास किया और

28.08.2024/1540/बी.एस./एच के.2

हमारे क्षेत्र को पूरी मदद मिलेगी। मैं सभी साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हम विषय पर बात करें। जो विषय है इससे हमें भटकना नहीं चाहिए। यदि हम विषय से भटकते हैं तो उस चर्चा का आदंन नहीं आता। यहां पर प्राकृतिक और राजनीतिक आपदा की बात यहां पर कही गई। मैं बोलता हूँ कि वह तो सबसे ज्यादा केन्द्र सरकारक की है। आप 400 सोच रहे थे परंतु आप 240 में सिमट गए उसकी भी कहीं-न-कहीं मायूसी चेहने पर नजर आती है। इन बातों को छोड़ कर मेरा यह मानना है कि अभी भी बारिश हो रही है। भगवान से मिलकर हम प्रार्थना करें कि आगे कोई नुकसान न हो। पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी केन्द्र सरकार भरपाई करे। दिल्ली में आपकी सरकार है हमारी नजर तो दिल्ली पर ही रहती है और जो केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है उसे वे पूरी करे और हिमाचल प्रदेश की दिल खोल कर मदद करे। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जो हमारा सुन्दर प्रदेश है पर्यटन की लिहाज से इसका बहुत महत्व है हम आगे बढ़ सकें। सभापति महोदय मैं बड़ा अनुशासित व्यक्ति हूँ आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले कि आप घंटी बजाएं मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूँ। मुझे आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1545/DT/YK-1

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा जी।

श्री बलवीर सिंह वर्मा (चौपाल) : माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो बरसात से हुए नुकसान के बारे में प्रस्ताव लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा चुनाव क्षेत्र भी सबसे कठिन और दूर-दराज क्षेत्र वाला चुनाव क्षेत्र है। एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। एक छोर होली से शुरू होता है और हरिपुरधार से शिलाई क्षेत्र के में बाग नामक स्थान तक लगता है। इसके लिए हरिपुरधार से भी 40 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। ये इतना दूर-दराज का क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पी0डब्ल्यू0डी0 डिवीजन भी चौपाल में ही है। हिमाचल प्रदेश में

चौपाल चुनाव क्षेत्र ही ऐसा है जिसका क्षेत्र 1500 किलोमीटर है। मैं सबसे पहले पी०डब्ल्यू०डी० विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चौपाल में अधिकतर सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गईं। चौपाल विधान सभा क्षेत्र में 109 सड़कें प्रोजेक्ट के तहत बनी और दूर-दराज के क्षेत्र की अधिकतर सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कवर हुई हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले वर्ष आई बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कें बनी थीं उनका सारा मलवा नालों में डाला गया। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में किसी गांव का नुकसान न हो, किसी की जमीन न कटें, कोई जानी नुकसान न हो, तो सबसे पहले एक ऑर्डर पास करो कि हिमाचल प्रदेश में पी०डब्ल्यू०डी० की किसी भी सड़क में क्लवर्ट न बनें। क्लवर्ट पहली बरसात में ही बंद हो जाते हैं। जून-जुलाई-अगस्त के महीने में कोई भी क्लवर्ट खुला नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये पी०डब्ल्यू०डी० की नेगलीजेंसी है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये क्लवर्ट किसी के खेत में जाता है तो उसको वह लोग बंद कर देते हैं या स्लिप आ जाने के कारण वह बंद हो जाता है। आप स्लेब क्लवर्ट का एक प्रोविजन करें, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि बहुत सारी आपदा हिमाचल प्रदेश में बंद हो जायेंगी। कोई भी पी०डब्ल्यू०डी० की सड़क में बिना स्लेब क्लवर्ट से कोई सड़क नहीं बनेगी। स्लेब क्लवर्ट होगा तो आपके कोई भी क्लवर्ट चोक नहीं होंगे और जो नाले का बहाव है वह उसी बहाव में आगे बह

28.08.2024/1545/DT/YK-2

जायेगा। यह बहुत ही आवश्यक चीज है। क्लवर्ट के बंद होने से पानी का बहाव दूसरी तरफ जाता है। इससे कई जान-माल का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं होती है उस बहाव में पानी जाता है फिर वह बहुत नुकसान करता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जिनमें बसों की आवाजाही है पर आज भी वह सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मैं माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में भी ये बात लाया हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में लिंगजार-से-क्यारी सड़क है। यह बात ठीक है कि उसमें स्लीप इतने आए की लोगों की जमीनें कट गईं। पिछले एक साल से आज भी उस रोड़ पर बसें नहीं चल पा रही है। अगर उसमें लोक निर्माण विभाग दीवार लगाता है तो वह सड़क थ्रू हो

जाएगी। यह बात भी ठीक है कि कुछ लोग को डर है कि वहां से मलवा हटा दिया जायेगा तो उनके घर नीचे आ जाएंगे। इसके लिए वहां दिवार लगाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी 7-8 सड़कें अभी भी बंद है जिसमें पहले बसें चलती थीं और आज वहां पर बसें नहीं जा रही। कारण उसमें वहां के स्थायी निवासी भी हो सकते हैं जो वहां से मलवा नहीं हटाने दे रहे होंगे। माननीय मंत्री महोदय अगर आप बजट और दीवारों का प्रावधान करेंगे तो हमारी यह सारी सड़कें अप्रूव हो जायेंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ओहल पुल डेमेज हुआ था। मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से विनती की आप इस पुल को क्यों नहीं बना रहे। क्या जब वहां कोई जानी नुकसान होगा तभी आप इस पुल को बनवायेंगे। माननीय मंत्री महोदय जैसे ही मैंने अधिकारियों को इस पुल की स्थिति के बारे में बताया वैसे ही अधिकारी दूसरे दिन वहां गये और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा फट्टा लगा दिया कि भारी वाहन के लिए ये पुल बंद है। मैं उन पंचायतों को नाम सहित गीना सकता हूं। तीन महीने से जिन लोगों को कुपवी जाना था उनको 150 किलोमीटर होकर वापसी नेरवा जाना पड़ रहा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

28-08-2024/1550/वाई.के.-एन.जी/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.....जारी

यदि उन्होंने गाड़ी या बस में जाना हो तो उन्हें 150 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है क्योंकि बस के लिए वह पुल बंद कर दिया गया है। मेरी सरकार से विनती है कि कुपवी का पूरा ब्लॉक बैकवर्ड है और कुपवी के सभी लोग औल पुल से नेरवा, नेरवा से फिड़िज पुल और उससे आगे नेशनल हाइवे पर जाते हैं। उसमें कोई भी ट्रक व बसें नहीं चल रही हैं। हमारे कुपवी में थोड़ा-बहुत सेब होता है और बागवानों को दूसरे रूट से अपना सेब भेजना पड़ रहा है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मेरी विनती है कि औल पुल के लिए विभाग को निर्देश जारी करें कि उसे जल्दी-से-जल्दी बड़े वाहनों के लिए श्रू कर दिया जाए।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आपकी रोड्स की स्पेसिफिकेशन ऊना के लिए भी वहीं हैं और चौपाल के लिए भी वहीं हैं। चौपाल में तो 6 फीट तक बर्फ गिरती है और ऊना में

एक इंच भी नहीं गिरती। पहाड़ी व स्नो बाऊंड ऐरियाज़ के लिए इस स्पेसिफिकेशन को 30 एम.एम. रखा गया है और ऊना जैसे क्षेत्रों के लिए भी यही है। मेरा आग्रह है कि जहां पर स्नो बाऊंड ऐरिया है उसकी स्पेसिफिकेशन को अलग किया जाए। उसमें चाहे ए.एम.पी. का पैसा हो, चाहे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे विधायक प्राथमिकता की सड़क हो या चाहे अन्य कोई भी प्रदेश व केन्द्र सरकार की सड़क हो, उसकी स्पेसिफिकेशन में जरूर बदलाव करें। मेरा मानना है कि हम जो मैटलिंग-टारिंग करते हैं वह 2-3 साल तो टिकनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में 6 फीट तक बर्फ गिरती है और उसे जे.सी.बी. से नहीं हटाया जा सकता। जिस कारण बर्फ हटाने के लिए डी-50 बुल्डोज़र का उपयोग करना पड़ता है। यदि बर्फ के नीचे पक्की सड़कें होंगी तो उससे हमारी मैटलिंग टिक सकेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि स्नो बाऊंड ऐरियाज़ के लिए मैटलिंग व टारिंग की स्पेसिफिकेशन की अलग से नोटिफिकेशन की जाए। सभापति महोदय, मैं उप मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 52 लिफ्ट योजनाएं हैं। ये सभी लिफ्ट्स नदी के किनारे बनाई गई हैं क्योंकि हमें नदी से ही पानी उठाना पड़ता है। विभाग और ठेकेदार की नैगलिजेंसी के कारण उसे बिलकुल नदी के किनारे बनाया जाता है जिस कारण हर बरसात में हर योजना या तो डैमेज हो जाती है या बह जाती है।

28-08-2024/1550/वाई.के.-एन.जी/2

विभाग वाले फिर अगले मार्च व जून तक उन्हें रिपेयर ही करते रहते हैं और उन्होंने यह एक प्रकार सिस्टम बना दिया है। मेरा कहना है कि इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जब कोई अधिकारी किसी लिफ्ट योजना का प्रारूप तैयार करता है तो उसे नदी के बहाव से ऊपर रखना चाहिए ताकि वह नदी में न बह जाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी भी 15-16 लिफ्ट योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। पिछली बरसात के समय से भी कुछ लिफ्ट योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मेरी विनती है कि आप उन योजनाओं को ठीक करने के लिए उचित बजट का प्रावधान अवश्य करें। पिछले बरसात में भी कुछ लिफ्ट योजनाएं डैमेज हुई थीं और इस बरसात में भी डैमेज हुई हैं। पिछली बरसात में डैमेज हुई योजनाओं को चालू करने के लिए बहुत कम पैसा दिया गया है। विभाग के अधिकारी हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास फण्ड की बहुत कमी है और जब तक फण्ड नहीं होगा तब तक हम इसे चालू नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आपदा के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ था। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कुछ परिवारों के 5-5 लोगों का 7-7 लाख रुपये का केस बनाया गया है और उनकी एक ईंट भी नहीं गिरी। मैंने अभी आपको एक पत्र दिया है और वह मेरे क्षेत्र का एस.सी. समाज से प्रधान है। उसका पूरा मकान डैमेज हो गया और उसको बोला गया कि यदि आपको अपना मकान 7 लाख रुपये के केस में डालना है तो आपको पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। माननीय राजस्व मंत्री जी आपदा में भी इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद जब एस.डी.एम. ने रिपोर्ट दी तब उसमें कहा गया है कि आपदा के समय इनका पूरा मकान गिरा है और आज तक भी उसका केस उस 7 लाख रुपये वाली लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है और उसको एक ही कंडीशन दी गई कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसके मामले की एंट्री 7 लाख रुपये वाली लिस्ट में होगी। एस.डी.एम., तहसीलदार और पटवारी ने रिपोर्ट दी हुई है कि उसका मकान फूली डैमेज हुआ है और यह मामला मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के टेबल पर दे दिया है। मेरा आग्रह है कि

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1555/केएस/एजी/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी---

या तो ऐसी जांच करवाई जाए कि जो गरीब लोग, एस.सी. के लोग जिनके पूरे मकान गिर गए थे, उनको नहीं चढ़ाया, जिनकी एक ईंट भी नहीं गिरी, उनको 7-7 लाख रुपये दिए गए क्योंकि वे नेताओं के रिलेशन के थे। मेरी विनती है कि चौपाल में डिजास्टर की जांच बैठाई जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 200 केस ऐसे आएंगे जिनकी फ्रॉड एंट्री हुई है। माननीय मंत्री महोदय, इस बार भी चौपाल में नुकसान हुआ है। लोगों के काफी मकान गिरे हैं और उनकी जमीन का भी काफी नुकसान हुआ है। मेरी विनती है कि हमारा एक नौराबौरा गांव है, वह कूपवी में एक पंचायत है और उसकी दूरी एक छोर से दूसरे छोर तक 500 मीटर है। वह पूरा गांव ही स्लशी हो रहा है। शिमला से कोई टीम उस गांव में भेजी जाए। यह ठीक है कि वहां लोक निर्माण विभाग ने रोड के साथ चार सौ, पांच सौ मीटर लम्बी वॉल उसको रोकने के लिए लगाई है परंतु वह वॉल भी बाहर को निकल

रही है। वहां पर कभी बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा इसलिए मेरी लोक निर्माण मंत्री जी से विनती है कि तहसील कुपवी में नौराबौरा गांव में यहां से कोई एक्सपर्ट्स की टीम भेजकर देखा जाए कि उस गांव को हम कैसे सेफ कर सकते हैं। ऐसा न हो कि पूरे गांव का ही कोई जानी नुकसान हो जाए।

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ वाइंड अप।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, चौपाल में बिजली विभाग का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए चौपाल में 66 के.वी. सब स्टेशन का प्रावधान किया। अगर वह न होता तो जिस तरह से पिछली बार बरसात आई थी, उससे पूरा चौपाल दो-तीन साल के लिए बिजली से वंचित हो जाता परंतु उस 66 के.वी. की वजह से हमारे पूरे चौपाल में एक दिन भी बिजली नहीं गई। 100 करोड़ रुपये के लगभग इन्होंने उसके लिए खर्च किए जिसके लिए पूरे चौपाल की जनता आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। परंतु मंत्री महोदय, उससे आगे जो हमारी लाइनें थीं, चौपाल में कागज़ों में तो खम्भे रिमूव कर दिए परंतु स्पॉट पर अभी भी लकड़ी के खम्भे हैं। मेरी विनती है कि कुछ घर, कुछ गांव अभी भी हमारे ऐसे हैं जहां लकड़ी के

28.08.2024/1555/केएस/एजी/2

खम्भे हैं जो हर साल बरसात में टूट जाते हैं। लोहे के खम्भे लगा देंगे तो वहां पर हमेशा का सुख हो जाएगा और बार-बार बिजली जाने की समस्या नहीं होगी। लकड़ी के खम्भों की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है।

सभापति महोदय, एक मेरी घोंडा पी.एच.सी. है जिसका दो-तीन साल पहले उद्घाटन हुआ था। उसकी दीवार बैठ गई थी और उसको शिफ्ट किया गया। वहां सिर्फ दीवार ही लगनी है अतः मेरी विनती है कि लोक निर्माण विभाग के पास उसका 35 लाख पड़ा हुआ है। लोक निर्माण मंत्री जी, आप घोंडा गए थे और शायद आपके ध्यान में भी होगा, जहां पर आपका प्रोग्राम था, उसके आगे सिर्फ 50 या 100 मीटर की दूरी पर वह

पी.एच.सी. है। उसके लिए पैसे डिपोजिट है। सिर्फ उसमें दीवार के लिए टैंडर लगने हैं। मेरी विनती है कि वह टैंडर लगवाकर वापिस वह पी.एच.सी. उसमें जाए।

चौपाल में हमारे आई.टी.आई. है। माननीय मंत्री जी भी वहां गए थे और इन्होंने थोड़ा-बहुत उसके लिए पैसा भी दिया है परंतु उस पैसे से वह काम कम्प्लीट नहीं हो रहा है। मेरी विनती है कि आई.टी.आई. चौपाल के लिए जल्दी से जल्दी फंड का प्रावधान किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक नेशनल हाईवे बना है। मंत्री जी, गुम्मा फैडरल स्कूल हमारा नेशनल हाईवे पर है। उसमें जितने भी लिंक रोड थे वे सारे कट गए। अब लोगों को वहां 6-7 किलोमीटर घूमकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। हाइट उसकी 100-100, 50-50 फुट की बन गई। मेरे विनती है कि कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि उनके लिए जो पहले लिंक रोड बने हुए थे दोबारा वो किसी न किसी फंड से बन सके ताकि लोगों को सुविधा हो।

सभापति महोदय, बोलने को बहुत कुछ था और मुझे लगा था कि आप कुछ राहत देंगे।

सभापति : अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिए कृपया समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मेरी यह भी विनती है कि चौपाल क्षेत्र के कुपवी में पूरी तहसील में न कोई तहसीलदार है और न ही कोई नायब तहसीलदार है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.08.2024/1600/av/ए0जी0/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----जारी

माननीय राजस्व मंत्री जी, ऐसे डिजास्टर में कोई भी काम करवाना हो तो कुपवी वालों को सौ किलोमीटर की दूरी तय करके चौपाल आना पड़ता है। वहां से जिसको बदला उसको वहां पर केवल आठ महीने हुए थे। उसकी गलती केवल यह थी कि वह ऐसे नेता के आगे-पीछे नहीं घूमता था जोकि आज तक किसी पंचायत का वार्ड मैनबर तक नहीं बना और न ही बनेगा। आज कुपवी में न तो तहसीलदार और न ही नायब तहसीलदार है तथा

एस0डी0एम0 साहब ट्रेनिंग में गए हुए हैं। वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर किसी-न-किसी को लगाया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री जी, आप बोलिए।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने अभी जिन पांच लोगों के नाम बताए कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ और फिर भी उनको राहत राशि प्रदान की गई। मैं चाहूंगा कि आप कृपया उनके नाम बताएं, मैं उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करूंगा। इसके अतिरिक्त आपने यह बात तो मान ली कि तीन लाख रुपये की बजाय सात लाख रुपये की राशि मिल गई है जबकि यहां पर दूसरे माननीय विधायक इस बात के लिए मुकर रहे हैं। आपने यहां पर सबकी बात को काट दिया है और यह बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा आपने यह कहा कि एक लाख रुपये की राशि मिली है जबकि उसको सात लाख रुपये की राशि मिली चाहिए। आपने मुझे यह रिपोर्ट आज दी है और मैंने यह पढ़ ली है। मैं इस बारे में कल रिपोर्ट मंगवाऊंगा। अगर रिपोर्ट सही होगी तो उसको सात लाख रुपये की राशि मिलेगी परंतु क्या सात लाख रुपये की राशि मिलने के बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे?

28.08.2024/1600/av/ए0जी0/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी भाग लेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, श्री चंद्र शेखर, सुश्री अनुराधा राणा, श्री लोकेन्द्र कुमार और श्री सुरेन्द्र शौरी जी द्वारा नियम-130 के अंतर्गत रखे गए विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पिछले वर्ष की भान्ति हमें आज फिर से इस त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। यह एक्सेप्टेबल भी है कि अब यह त्रासदी हमारे जीवन की एक हिस्सा बन गई है। हमें इसके साथ लड़ते हुए आगे की तैयारी करनी होगी और सोचना होगा कि इससे प्रदेश को बचाते हुए आगे कैसे काम करना है। इसके लिए हमें साईंटिफिक स्टडी के ऊपर काम करना

पड़ेगा। हम जब जमीनी स्तर पर देखते हैं तो हमारा नोडल ऑफिसर पटवारी होता है। मुझे याद है जिस दिन बारिश का समय हुआ था तो मैं सनवारा के पास गया और वहां पाया कि जमीन धंस रही थी। मैंने वहां के ए0डी0एम0 साहब को सूचित किया कि इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि वहां पर बिल्डिंग्स खतरे में हैं। वहां पर जब पटवारी को भेजा गया तो उन्हें लगा कि वहां ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु तीन दिन के बाद वह पूरा-का-पूरा इलाका गिर गया। हमारे वहां के कुछ साथियों ने बताया कि हम वहां गड्डों में थोड़ा-थोड़ा सीमेंट डाल रहे थे। हमारे लोग मासूम हैं और उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में ऐसा नोडल ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए जिसको इस संदर्भ में पूरी जानकारी हो। वह इंजीनियर क्लास का हो या जीयोलॉजिस्ट हो तथा उनकी इस बारे में ट्रेनिंग हो ताकि समय रहते हुए हम अपने लोगों की रक्षा कर सकें। इसके लिए हमें इस तरह के लोगों की नियुक्ति करनी होगी जोकि इस प्रकार की त्रासदी की जानकारी रखें और हमारे लोगों की सेफ्टी को एनश्योर कर सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी लीडरशिप को दिखाते हुए मैनुअल रिलीफ में जो वर्षों से डेढ़ लाख रुपये की राशि रखी गई थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने यह आज की महंगाई के दौर को ध्यान में रखते हुए किया है। हम आज इस प्रकार की वित्तीय स्थिति से गुजर रहे हैं परंतु उसके बावजूद हमारे मुख्य मंत्री जी ने इतना बड़ा दृढ़ निश्चय लिया है।

28.08.2024/1600/av/ए0जी0/3

उसमें हमारे कई लोगों को 3-3 लाख रुपये तक की राशि मिल भी चुकी है। मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें निर्धारित किए गए लोगों को वह राशि मिल जाएगी। इसके अंतर्गत 24000 लोग अनेक रूप में फायदा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब जब यह आपदा आई है तो इसके ऊपर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1605/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी ... जारी

और हमारे जो लोग हैं उनके संरक्षण के लिए यह नीति परमानेंट होनी चाहिए क्योंकि आज जो भी घर बनाना चाहता है चाहे वह वेलफेयर स्कीम के तहत बनाना चाहता है उसमें भी संशोधन की जरूरत है। उसमें अभी तक मु0 1.50 लाख रुपये का प्रावधान है। इसको कम-से-कम सात लाख रुपये का प्रावधान करने पर विचार करना पड़ेगा। हमने अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध भी किया कि वह हमारे साथ दिल्ली चलें, उनका दिल्ली जाने-आने का किराया भी हम ही वहन करेंगे लेकिन हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें हिमाचल प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों की बात रखनी है। मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारा जो हक बनता है उसके लिए आप हमारी मदद करें। मैं रि-हैबिलिटेशन में आई कमियों के बारे में बात करना चाहूंगा। गांवों में लोग साथ वाले गांव के लोगों को जमीन नहीं देते हैं और फॉरेस्ट के एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। इसके लिए हमें एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा और रि-हैबिलिटेट करने के लिए जिन लोगों को जमीनें नहीं मिल रही है उनको जमीन जल्दी-से-जल्दी और आसानी से मिले इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पहाड़ व गांव के लोग हैं उनकी मनी मैनेजमेंट में काफी कमजोरी है। मैंने यह पाया है कि सरकार द्वारा उनको जो पैसा दिया गया है उससे कुछ लोगों ने अपने लोन वापिस कर दिए हैं और किसी ने गाड़ी ले ली है। इस तरह से उस पैसे का मिस-यूटिलाइज हुआ है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक मॉड्यूलर घर बना कर इन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वह जल्दी बन जाता है और उसको एक-दो महीने में स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ इलाके इयरमार्क करने होंगे ताकि जब भी त्रासदी हो तो एक गांव में एक सेफ हाउस होना चाहिए और उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आपदा से निपटने के लिए स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्ज भी हो ताकि जब इस तरह की कोई आपदा आए तो उस समय किस तरह से बचाव किया जाए। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोटबेजा स्कूल है जिसका रास्ता

28.08.2024/1605/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

पूरा-का-पूरा ढह गया और वहां अल्टरनेट रास्ता बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टा आएगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जब चक्की मोड में पूरा-का-पूरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग टूट गया था तो कसौली विधान सभा क्षेत्र से 2-3 अल्टरनेट रोड थे। उनमें से जोरजी-मल्लाह रोड सबसे मुख्य है। हमने उस समय एक ट्रेफिक पुलिस की तरह काम किया और उस रोड से सेब को मण्डियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं उस अल्टरनेट रोड को चौड़ा करने हेतु सरकार से आग्रह करता हूं। इसके साथ ही गढखल-गुनाई एक रोड है उसमें मात्र 500 मीटर का अंतिम पड़ाव डिसप्यूट की वजह से अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। वह रोड़ फॉरेस्ट लैंड में से जाना है और उसमें मात्र 13 पेड़ कटने हैं लेकिन वहां के स्थानीय लोग एफ0सी0ए0 और एफ0आर0ए0 के तहत भी उसको बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस रोड को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह रोड बनाया जाना चाहिए ताकि अल्टनेट रोड के रूप में यह रोड बन सके। इसके साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांबली एक गांव है जहां पर एक पुल लगभग गिरने की कगार पर है। इसी तरह से चक्की मोड से भोजनगर का एक रोड है जिसको और चौड़ा करना होगा। ओझघाट से कुमारहट्टी के बीच दो पुल हैं जिन्हें बड़ा करना है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में एक विषय यहां उठाना चाहता हूं कि वहां पर कुछ इलाके हैं जिनमें जमीन धंस रही है। उसकी ग्रेविटी क्या है और वह क्यों धंस रही है। हमें इसकी जानकारी नहीं है। वहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1610/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी ----- जारी

तो मैं समझता हूं कि उन्हें एक क्लेरिटी हो कि उनकी जमीन अब स्थिर हो चुकी है। हमें साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि डरने की आवश्यकता नहीं है तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को राहत मिलेगी। इसमें प्राथा, तड़ोल गांव हैं और गमजून का इलाका है जिसमें लैंड सिंक हो रही है। मैन मेड डिजास्टर के रूप में राष्ट्रीय उच्च मार्ग परवाणू से सोलन तक

बना है और उनकी कारगुजारी की वजह से हमारा क्षेत्र इतने नुकसान की तरफ गया है। उन्होंने नालियां गांव की तरफ को कर दीं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जो पानी आ रहा है उससे गांव के अंदर इतने बड़े नाले बन गए हैं जिससे गांव खतरे की चपेट में आ गए हैं। इससे पानी की जो मुख्य वाटर बॉडी है वह मिट्टी से भर गई है क्योंकि जो मिट्टी चक्की मोड़ के पास थी वह सारी मिट्टी नदी/नालों में डाल दी गई है। जब बारिश हुई तो उससे बांध टूट गया। इसके लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार है। मिटिगेशन में हमें 2.50 करोड़ रुपये दिए हैं और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि जिन्होंने यह गलती है कि उनसे हमने हर्जाने के लिए कोई बात नहीं की है। इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए। अगर लोग मिट्टी को नदियों में डालते रहेंगे तो आने वाले समय में पानी के सोर्स खत्म हो जाएंगे।

हमें ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर भी काम करना होगा। उसके लिए स्पेसिफिक फंड डालना होगा। हमें वाटर चैनलाइजेशन के ऊपर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। मैंने मैनुअल डिजास्टर के रूप में एक और चीज़ पाई है कि पानी की लाइन्ज रोड की वैली साइड को लगाई जाती हैं उससे सारे डंगे गिर जाते हैं जिसके कारण पूरा रोड गिर जाता है। मैं समझता हूं कि हमें इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सड़कों के बीचोंबीच पाइप लाइन जाती है तो हमारे रोड वैसे ही डैमेज हो जाते हैं। बार-बार डिपार्टमेंट एक-दूसरे को पैसा डालता है और एक-दूसरे के ऊपर इलजाम लगाता रहता है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। इसके लिए डी0पी0आर0 में सड़कों के ऊपर या बीच में से जो पाइपलाइन जाती हैं वे टोटल बैन होनी चाहिए और इसकी बिल्कुल अलग तरीके से अलाइनमेंट होनी चाहिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग में जिस तरीके से काम हुआ है उससे हमारे लोगों के ऊपर हमेशा खतरा बना हुआ है। अभी

28-08-2024/1610/एन0एस0-ए0एस0/2

हाल ही में मेरे क्षेत्र में कुछ लोग जो सड़क पार कर रहे थे उनके ऊपर मिट्टी व पत्थर गिरे जिससे उनकी जान चली गई। एन0एच0ए0आई0 ने अभी तक वहां पर कोई फेंसिंग नहीं की है और न ही प्रदेश सरकार ने लोगों की सेफ्टी की बात रखी है। वे कहते हैं कि हमारी

डीपीआर में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब उनको प्रावधान करना चाहिए। जब बार-बार हमें नुकसान हो रहा है तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को इस पर विचार करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो 31 मार्च तक हमें एमएलए फंड की एलोकेशन पर्मिसिबल थी कि किसी के घर के आगे/पीछे अगर डंगा लगाना है तो एमएलए लैड के द्वारा हम उन्हें पैसा दे सकते हैं, उसके ऊपर कैप लगा दी गई है। बारिशों के समय इसे विद्रा किया जाए और इसको दोबारा से परमिट किया जाए। मुख्य मंत्री जी हमें आगे से लीड करके प्रेरणा देते हैं और हमारी सरकार लोगों के पक्ष में काम करती है और बहुत मेहनत कर रही है। हमारे विपक्ष के साथी भी मिलकर काम करें और हमें केंद्र सरकार से जो पैसे की आवश्यकता है उसमें हमारी मदद करें।

सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति ----आरकेएस द्वारा ----- जारी

28.08.2024/1615/RKS/DC-1

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री दलीप ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री दलीप ठाकुर : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के तहत प्रदेश में बरसात के कारण जो भारी नुकसान हुआ है उस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। सभी सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित नुकसान की बात यहां रखी है। मैं भी कहना चाहूंगा कि बरसात के कारण पूरे प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पिछली बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र के नुकसान का जायजा लेने के लिए लगातार दौरे किये। इस बार प्रदेश के मुख्य मंत्री भी आए लेकिन वे किसी जगह एक व्यक्ति से मिलकर चले गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था वहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं पहुंच पाए। वहां पर कोई मंत्री भी नहीं आया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बरसात के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जगह पूरी पहाड़ी नीचे आ गई और वहां जो मकान बने थे वे भी इस पहाड़ी के साथ जमींदोज हो गए। इस हादसे में किसी जान का तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन लोगों के गायें, भैंसों और बकरियां इस हादसे का शिकार बन गईं। चाहे पिछली

बरसात की बात हो या इस बार की, मेरे क्षेत्र को आज तक इस सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। पिछली बार मुझे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप हमें लिख कर दें। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख कर दिया। जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मेरी एक बहन अपंग है। उसके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। जब वह पटवारी के पास जाती है और यह कहती है कि मेरे पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है तो वह पटवारी कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपके पास जगह नहीं है लेकिन आप अपने मायके से लिखवा कर लाइए कि उनके पास कितनी जगह है, तभी हम आपको तीन बिस्वा जमीन दे सकते हैं। अगर इस प्रकार का व्यवहार हमारे अधिकारी/कर्मचारी करेंगे तो बेचारा गरीब कहां जाएगा? यहां पर माननीय राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस बंदरबांट और भ्रष्टाचार को रोकें ताकि गरीबों को राहत मिल सकें।

28.08.2024/1615/RKS/DC-2

जिन लोगों को जरूरत है वह चाहे किसी भी पार्टी या जाति का क्यों न हो, जिसका नुकसान हुआ है उसको उसके नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। आपने कहा था कि जिसका मकान टूट गया और अब उनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो हम उन्हें तीन बिस्वा जमीन देंगे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1620/बी.एस./डी.सी-1

श्री दलीप ठाकुर जारी...

कृपा करके आप उन्हें जमीन देंगे तो ही वे लोग अपना मकान बना पाएंगे और जिस प्रकार से आपने सात लाख रुपये देने की घोषणा की है, मैं उसमें भी कहना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में अभी तक किसी भी व्यक्ति को सात लाख रुपये नहीं दिया गया है। किसी को एक लाख रुपये और किसी को डेढ़ लाख रुपये और किसी को तीन लाख रुपये दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बरसात के कारण आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ सड़के बंद पड़ी हैं। मुख्य मंत्री जी ने कल भी कहा था कि आप लिख करके दीजिए। पूर्व

मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र का जिक्र कल भी किया। इन्होंने पटरीघाट पंचायत का दौरा किया था कल भी इन्होंने अपने भाषण में उसका जिक्र किया। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पटरीघाट-ज्वाली-गहरा की सड़क बंद पड़ी है। यदि आप चाहे तो आज भी अपने अधिकारियों से पूछ सकते हैं। ऐसी अनेको सड़कें हैं जैसे चन्दैरा, सडंवाल, कोलनी, टलवान, मस्याणि, कलधर, बाहणु और वलद्वाड़ा को जोड़ने वाली सड़क भी बंद पड़ी है। आपके रिस्सा से चौरी सड़क वहां स्लाइड हुआ है और वहां पर डंगा लगना है। परंतु एक साल में वहां पर डंगा नहीं लग पाया है। वह पक्का रोड होने के बावजूद भी आज तक उसमें बस नहीं चल पाई है। मैं मंत्री जी के समक्ष इन सड़कों का जिक्र करना चाहता हूँ जैसे कालोधर, पलसडा आज भी बंद पड़ी है। जिनमें आज भी बसें नहीं चल पा रही है। सरकाघाट से रोपडी, पारी, रिस्सा दवारडू सड़क चम्याणू, जुकैण, वस्तला, गोपालपुर, ठाणा, फतेहपुर, खल्याणा, अलसोगी-डंल, समैला सड़क त्रिफालघाट, भरेड़ा, चौकी, ठाणा सड़क, प्लासी उख्ला, बारस, समैला सड़क, ये सारी सड़कें आज भी दयनीय स्थिति में हैं। इनमें आज भी बसें नहीं चल पा रही हैं। इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मंत्री महोदय, आप वहां गए थे, वहां शिवा प्रोजैक्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि वहां पर अनार और अमरूद के पौधे लगे हुए हैं साथ में सीर खड्डू लगती है। जो सरकारघाट से ले करके आपके रिबैला, पॉवंटा, जाहू, भामला, घुमारवीं और कीतरपुर को निकलती है। हमारे क्षेत्र में उस सड़क से बरसात में भारी नुकसान हुए है। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनकी भूमि उस कटाव की वजह से खत्म हो गई है। भूमि में इतना कटाव हुआ कि वह नदी गांव तक पहुंच चुकी है। अब यह गांव के लिए खतरा बन गई है। मेरा मंत्री जी और

28.08.2024/1620/बी.एस./डी.सी-2

मुख्य मंत्री जी तथा उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस सीर खड्डू का तटीयकरण नहीं किया गया तो मेरे क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस बात को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और बरसात के दिनों में जो हमारी भांवर सिंचाई योजना है और मेरा निचला क्षेत्र प्लेन होने के नाते जहां गर्मियों में खेतों में भी पानी मिलता था वहां बरसात के कारण जितने भी बांध थे जितनी भी कूहलें बनी

थीं वे सब खत्म हो चुकी हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पिंगला की बात करूं, चाहे गौंटा की बात करूं, रिखौटा पंचायत की बात करूं, जहमत पंचायत की बात करूं, बलद्वड़ा पंचायत की बात करूं, कोट पंचायत की बात करूं, ऐसी बड़ी बड़ी बहाव सिंचाई योजनाएं हैं जिसमें लाखों बीघा जमीन की सिंचाई होती है वह सारी योजना बंद पड़ी है। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप कृपया ऐसी जो बहाव सिंचाई योजनाएं हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि जिन पंचायतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे पटडी घाट, गहरा, भरनाल, पिंगला, परसदा, टलवान, कलथर, जैहमत, जुकैण, चौक ब्राडता, जजैहल, सरकाघाट इन पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है। जब प्रधान मंत्री आवास योजना में मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसकी जांच करवा सकते हैं कि जिन पंचायतों के मैंने नाम लिए जब मकान मिलने की बात आई तो जिस प्रकार से बंदर बांट हुई और भाई-भातीजावाद किया गया।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.08.2024/1625/DT/HK-1

श्री दलीप ठाकुर जारी...

पंचायतों में भारी नुकसान हुआ। जिन-जिन पंचायतों के नाम मैंने अभी लिए हैं, आप उसकी जांच भी करवा सकते हैं, इन पंचायतों में सबसे ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब मकान अलॉट किए गए तो जिस प्रकार से बंदर बांट हुई और भाई-भतिजावाद किया गया, उस कारण इन पंचायतों को मकान नहीं मिले। लेकिन जहां कांग्रेस का प्रधान था उन पंचायतों को मकान अलॉट किए गए। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष के मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि केंद्र की सरकार आपदा के लिए कुछ नहीं दे रही। केंद्र सरकार ने हमारे प्रदेश की आर्थिक सहायता करते हुए एक अच्छी धनराशि आपदा प्रभावितों के लिए दी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कम-से-कम जो केंद्र से धनराशि आपको प्राप्त हुई है आप उसका धन्यवाद तो करें और आगे की जो आपकी मांग है वह भी केंद्र सरकार के समक्ष रखें, तभी हमारे प्रदेश का विकास होगा और तभी हम प्रदेश के गरीब लोगों की सहायता कर सकेंगे। इस सदन में

हमारे कुछ साथी एक-दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। कल तो ऐसा लग रहा था की सत्ता पक्ष के हमारे साथी आपदा के संबंध में सुई पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर की ओर ही घुमा रहे थे। जैसे प्रदेश में आपदा आई तो वह श्री जय राम ठाकुर जी के कारण आई और अगर केंद्र से सहायता रोकने का काम कर रहे हैं तो वह भी श्री जय राम ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ऐसा हमारे सत्ता पक्ष के साथी मानते हैं। जिस प्रकार निवर्तमान मुख्य मंत्री गरीब आदमी की सहायता करते हैं वह सराहनीय है। पिछली सरकार के समय भी इन्होंने मदद की है और आज भी ये लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी यह दिल्ली जाते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलते हैं तो यह प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा अवश्य करते हैं। हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को धन्यवाद करने की आदत नहीं है।

इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस आदत को भी डालिए और प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद कीजिए। आप अपनी बात को मजबूत ढंग से तथ्यों के आधार पर रखिए आप को पैसा भी मिलेगा और आपके क्षेत्र का विकास भी होगा इतनी बात कहकर, आनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति: अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय श्री संजय अवस्थी जी।

28.08.2024/1625/DT/HK-2

श्री संजय अवस्थी मुख्य संसदीय सचिव: सभापति महोदय, नियम-130 के तहत माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय श्री चंद्र शेखर जी, माननीय सुश्री अनुराधा राणा जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है जिसमें प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़को, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे सदन विचार करे, इस चर्चा में मैं भी भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति में जो बीते दिनों बदलाव देखने में आ रहा है जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं चुनौती बनकर मानव समाज के समक्ष खड़ी हुई हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण पिछले वर्ष भंयकर आई प्राकृतिक आपदा है जिससे पूरा प्रदेश त्रस्त हुआ। ये सिलसिला रुका नहीं और इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं

सामने आई जिसके कारण जान-माल का नुकसान हुआ। जहां इसका एक कारण ग्लोबल वार्मिंग है दूसरा कारण हमारा समाज भी है। प्रकृति से जब भी छेड़छाड़ की जाती है तो इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इन चुनौती का सामना हमें सामुहिक रूप से करना चाहिए, इसकी भी चर्चा आज इस मान्य सदन में होनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में लगभग 35 मिनट लिए और मैं इनके संबोधन के अन्तिम शब्द तक इनको सुनता रहा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गंभीर विषय है। हमारे प्रदेश में पिछले साल जो आपदा आई उससे भी अगर हमें सीख नहीं मिली तो यह हमारे लिए एक चिंतन का विषय है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी

28-08-2024/1630/एच.के.-एन.जी/1

श्री संजय अवस्थी.....जारी

अंतिम शब्द तक सुनता रहा। मैं समझता हूँ कि यह बहुत गंभीर विषय है। पिछले साल जो आपदा आई यदि उससे भी हमें सीख नहीं मिली तो यह बहुत चिंता का विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपदा से हुए जान-माल के नुकसान के बारे में तो चर्चा की लेकिन उनका नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या योगदान रहा, उन्होंने इसकी चर्चा अपने संबोधन में नहीं की और मैं उस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामुहिक रूप से सामना करना चाहिए। जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो केवल सरकार का ही दायित्व नहीं बनता बल्कि इस माननीय सदन में उपस्थित विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही दायित्व बनता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रदेश सरकार में जो माननीय मंत्री व विधायक हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ऐसी आपदा की स्थिति में हम सभी ने सामुहिक रूप से प्रयास किए। आर्थिक तंगी के बाद भी जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, वह

एक सरहानीय कदम है और इसकी प्रशंसा तो विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भी की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि आपदा राहत में उनका क्या योगदान रहा है? उन्होंने यहां पर चर्चा के दौरान अलग-अलग घटनाओं का जिक्र किया। प्रदेश में कितनी जानें गईं, यह बात भी रखी। इन्होंने पिछले वर्ष स्पेशल सेशन बुलाने की मांग भी की थी। जब पिछले वर्ष सरकार ने इस माननीय सदन में उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव लाया था तब विपक्ष के माननीय सदस्यों का क्या रोल था, यह भी जनता को पता होना चाहिए। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने उस वक्त माननीय सदन से बैकआऊट किया था।

28-08-2024/1630/एच.के.-एन.जी/2

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने उद्देश्य यह था कि हिमाचल प्रदेश के जनमानस ने जो नुकसान सहन किया है उसकी भरपाई करने के लिए जो राहत राशि और मलहम लगाने की जरूर थी, उसमें विपक्ष के लोग भी हमारे साथी बन पाएं। इस कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में हमने विपक्ष का सहयोग मांगा था लेकिन इन्होंने यहां पर पीठ दिखाई और हमारा साथ नहीं दिया। आज ये लोग किस मुंह से इस प्रश्न को यहां पर लेकर आए हैं? हमें अपनी बात रखने के लिए केवल चर्चा को ही माध्यम नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का अपने केन्द्रीय नेतृत्व से सीधा संवाद है। ये अनेक बार केन्द्रीय नेताओं व माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले हैं और मैं मांग करता हूँ कि इन्होंने उनसे प्रदेश हित में कितनी बार अपनी बात को रखा, उसके लिए ये एक श्वेत पत्र जारी करें। ये कहते हैं कि लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई। मेरी मांग है कि ये इसके बारे में भी श्वेत पत्र जारी करें ताकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो सके। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि मात्र चर्चा करने से झूठ सच नहीं बनता। ऐसा समय, जिसमें प्रदेश की जनता त्रस्त है, आम जनमानस टकटकी लगाए देख रहा है कि पिछले वर्ष की आपदा के घाव अभी भी भर नहीं पाए हैं और अब फिर से नुकसान

हो गया है। जब किसी परिवार से एक व्यक्ति भी जुदा होता है तो बहुत दुःख होता है और जब 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो तो पूरे समाज को दुःख होता है। आज इस माननीय सदन में आंकड़े बता देने से इनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी निभाने की भी इच्छाशक्ति होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष आपदा के समय में स्वयं सभी चीजों व राहत कार्यों को मोनिटर किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आर्थिक तंगी होते हुए भी अपने कुशल प्रबंधन से हिमाचल प्रदेश के हर जनमानस को मलहम रूपी सहायता प्रदान की है और इसके लिए विपक्ष के नेताओं को माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। आज भी इस प्रकार की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इसको हमने किस तरह से फेस करना है,

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.08.2024/1635/केएस/वाईके/1

श्री संजय अवस्थी (मुख्य संसदीय सचिव) जारी---

हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से भूकम्प का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम आगे सैटेलाइट इमेजरी एण्ड ए.आई. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग कर सकते हैं? हमें इसके लिए प्रयास करने होंगे। जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल करना होगा ताकि भविष्य में हमें इसका अधिक नुकसान न सहना पड़े। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। आज हमने जिस तरह की कार्यशैली अपनाई है, जिस तरह से हम शहर के रूप में कंकरीट के जंगल बना रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अभी शायद श्री रणधीर जी ने कहा कि अब गांव में भी मकान बनाने के लिए स्वाॅयल टैस्टिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है और समय आ गया है कि आज हमें गांव को भी प्लैंड-वे में विकसित करने की ज़रूरत है। आज शहरों को डी-कंजस्ट करने की ज़रूरत है ताकि दवाब न पड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के पास बादल फटने की जो

घटना हुई, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गवाई, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामुहिक रूप से प्रयास करने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है। आप प्रधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए। हम भी आपके साथ चलेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी तो कई बार जा चुके हैं लेकिन अभी डेढ़ वर्ष में, लगभग 20 महीने का समय हो गया, अभी तक हमें कोई भी राहत राशि नहीं मिली है। जिस राहत राशि की आप बात कर रहे हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए वह राशि प्रदेश को आ रही है। आपदा नहीं भी आती, तब भी यह राशि हमें आनी ही थी। आपको इस बात को समझना होगा और यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस बात को समझते हुए अपनी बात रखनी होगी, यह मैं कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, कहा गया कि जो लैंड लैस हुए, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन नहीं मिल रही है। जमीन न मिलने का कारण भी आप जानते हैं। फोरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट एक ऐसी अड़चन है जो कि केंद्र

28.08.2024/1635/केएस/वाईके/2

सरकार का सब्जैक्ट है। क्या आपने कभी इसके लिए प्रयास किए? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एफ.सी.ए. सेंटर का सब्जैक्ट है और नेता प्रतिपक्ष बताएं कि उन्होंने एफ.सी.ए. के नियमों को आसान करने के लिए क्या प्रयास किए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापित करना है, हमने अपने लोगों को भूमि का तबादला करना है तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये एफ.सी.ए. के नियमों में सेंटर से ढील दिलवाते ताकि इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सके? इनका क्या योगदान रहा? जयराम जी चर्चा करके चले गए अभी सदन में भी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए इनके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम नियम-130 के तहत इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, ये प्रस्ताव तो ले कर आए। आज अगर ये प्रस्ताव ले कर आए हैं तो आने वाले समय में मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि ये इससे आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार में जो हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री हैं, उनके समक्ष हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज

उठाएंगे और जो राहत राशि हमें अपेक्षित है, उसको ले कर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्थापित करने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा की घोषणा में तो आपने साथ नहीं दिया लेकिन हिमाचल प्रदेश की लोन लिमिट में जो कट लगा है, क्योंकि विकास कार्य रुक चुके हैं और विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए और लंबित योजनाओं को गति देने के लिए आज हमें बजट की भी ज़रूरत है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.08.2024/1640/av/वाई0के0/1

श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव-----जारी

आपके समय में 10 हजार करोड़ रुपये की राशि आई थी परंतु आज केवल प्रदेश को 3050 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हमने अपने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखने हेतु उनके लिए ओ0पी0एस0 शुरू की है। परंतु केंद्र सरकार आज उस बात के लिए हमारे आर्थिक अधिकारों को रोककर बदला ले रही है। हम यह पूछना चाहते हैं कि यह बदले की भावना कब तक चलेगी? यहां पर माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी ने सही कहा कि हम लोग संघीय ढांचे में रह रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आप हमारा साथ दें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.08.2024/1640/av/वाई0के0/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा भाग लेंगे।

Shri Prakash Rana (Jogindernagar) : Hon'ble Chairman, Sir, this discussion on the Motion moved under Rule-130 on the Damage Caused by Rain is going

on in this Hon'ble House, I thank you, for giving me opportunity to speak on this Motion.

सभापति महोदय, इस माननीय सदन में यह चर्चा पिछले कल से चली हुई है और यहां पर हमारे सभी साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी है। मैं भी यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि यहां पर अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं यहां पर दो वर्षों की बात करूंगा क्योंकि वर्ष 2023 और 2024 में प्रदेश में बरसात के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि यह आपदा पूरे प्रदेश में नहीं आई और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2023 में आई आपदा से निपटने के लिए धन भी स्वीकृत किया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि दी गई। परंतु वहां पर उस राशि का दुरुपयोग किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र जोगिन्द्रनगर में 5-जी नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया और उसके लिए लगभग 84-85 किलोमीटर रोड को खोदा गया। वहां पर पहले जितने भी ड्रेन बने हुए थे वे सारे-के-सारे खराब हो गए। वहां पर भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने काफी कार्य किए थे और वहां की सारी सड़कें सही थीं। हम मानते हैं कि 5-जी नेटवर्क भी जरूरी है और उसके लिए काम होने चाहिए। लेकिन जो 84-85 किलोमीटर तक रोड की खुदाई की गई उनमें ड्रेनेज सिस्टम को पांच-छह फीट गहरा और तीन-साढ़े तीन फीट चौड़ा किया गया।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

28.08.2024/1640/av/वाई0के0/3

वहां पर कंपनी ने जब केबल बिछा दी तो उन्होंने हमारे लोक निर्माण विभाग को उन नालियों व ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा ठीक करने के लिए पेमेंट की थी। मैं इस बारे में लगभग चार बार प्रश्न लगा चुका हूं। मैंने यह प्रश्न दिनांक 19.12.2023 को लगाया था जिसमें मैंने यह पूछा था कि जो रोड खोदे गए हैं इसके ड्रेन आज तक क्यों नहीं बनाए गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में यदि कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो वह हमारे जोगिन्द्रनगर विधान क्षेत्र में हुआ है। उस प्रश्न का जवाब मुझे मिला है जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर 84.45 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई तथा कंपनियों द्वारा लोक निर्माण विभाग को ड्रेनेज सिस्टम की मुरम्मत हेतु 9,56,80,401/- रुपये की पेमेंट की गई।

वह पेमेंट ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए दी गई थी। परंतु आज इस बात को दो वर्ष का समय हो गया है। वहां पर जो रोड खोदे गए थे वह काम नवम्बर-दिसम्बर, 2022 में चालू हुआ था।

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2024/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री प्रकाश राणा... जारी

और फरवरी, 2023 में कंपनियां केबल बिछा कर चली गई। यह नालियां 5-6 फुट गहरी थी। जब बरसात शुरू हो गई तो मैं इसके बारे में एक्सीयन से भी बात की और विभाग यह कहता रहा कि इसके टेंडर लग गया हैं और शीघ्र ही इसमें ड्रेन को बना दिया जाएगा। इसमें केबल बिछाने के लिए 85 किलोमीटर रोड को खोदा गया और जब बरसात आई तो पानी से लोगों के घर के डंगे ढह गए। जब कम्पनी ने पैसा दिया तो मैंने दोबारा प्रश्न लगाया और मुझे उसका जबाव आया कि इसके लिए मु01,80,56,229/- रुपये के टेंडर लगा दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए 77.805 किलोमीटर में टेंडर लगे यानी मु01,80,56,229/- रुपये विभाग द्वारा 77 किलोमीटर में खर्च किए गए। विभाग का कहना था कि 89 टेंडर लगाए गए और बाकी जो 6 किलोमीटर का एरिया है उसमें अगले दो महीनों में टेंडर लगा दिए जाएंगे। जब मैंने पूछा कि लगभग 9.56 करोड़ रुपया इसके लिए मिला है उसमें से लगभग 1,80 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन बाकी पैसा कहां गया? इस पर विभाग ने जबाव दिया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां सदन में बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं कि इनको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पैसा आया तो वह खर्च कहां किया गया? (...व्यवधान...)

28.08.2024/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी कर रहे हैं, मैं इसके बारे में विभाग से पता करवाउंगा क्योंकि टेलीकॉम का डिपोजिट वर्क का पैसा लोक निर्माण विभाग के हर डिवीजन में आता है। वह पैसा सरकार की सैंक्शन के

बिना किसी भी रोड या गाड़ी लेने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। आप जिस अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में हम विभाग की ओर से इंकवायरी करवाएंगे और यदि इसमें कोई भी शॉटकमिंग्ज पाई जाती है तो I assure you that strictest possible action will be taken against the erring officials, but I cannot comment जब तक मुझे इसकी फैक्ट्स की वास्तविक जानकारी न मिल जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

Shri Prakash Rana: Thank you very much. आपने जो आश्वासन मुझे दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ही इसकी इंकवायरी करेंगे। दूसरा, हमें सरकार की तरफ से 6.92 लाख रुपये का फंड मिला है। उसके बारे में मैंने पूछा कि इसके टेंडर कैसे लगाए और कहां लगाए गए? यह दुःख की बात है कि 85 किलोमीटर सड़क खोदकर यदि एक किलोमीटर भी ड्रेन नहीं बनी तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकता है। इन्होंने जो इसके टेंडर लगाए हैं मैं उसकी कापी भी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दे देता हूँ। मैंने प्रश्न पूछा था कि टेंडर कैसे लगे? इसको प्रैस नोट में दिया गया कि ये टेंडर डायरेक्ट लगाए गए। इसको लेकर वहां दो-तीन बार झगड़े बगैरह भी हुए। वहां पर एस0ई0 के साथ भी झगड़ा हुआ और यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। टेंडर भी बार-बार उन्हीं 12-15 ठेकेदारों को दिए जाते हैं

एन0एस0 द्वारा ... जारी

28-08-2024/1650/एन0एस0-ए0जी0/1

श्री प्रकाश राणा ----- जारी

और उनके नाम आप देख लेंगे। किसी को 10 कार्य और किसी को 15 कार्य बांट दिए गए हैं। 1.80 करोड़ रुपये की राशि को साफ-सफाई में ही डाल दिया गया। आज यह हाल हो गए हैं कि जो ड्रेन्ज थीं वे नाले बन गए हैं। सारी सड़कें खत्म हो गई हैं और यह 84 किलोमीटर की बात है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां का एक दौरा करें। दूसरा, मैं यह

कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो पीलिया फैला है और उसमें 4 नौजवान बच्चों की जान चली गई है। एक बेटा भड़याड़ा पंचायत की थी और उसकी उम्र 19 साल थी और एक बेटा तुलाह गांव का था जिसकी उम्र 21 साल थी और वह आई0टी0आई0 कर रहा था। तीसरा, 26 साल का लड़का जोगिन्द्रनगर का था और चौथी महिला 35 वर्ष की थी जिसका नाम चारु था, इन सबकी डैथ हो गई। यहां पर जल शक्ति विभाग से कोई नहीं बैठा है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय और दें। Let me finish.

Speaker: This is the first warning. आप नौ मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री प्रकाश राणा : जब पीलिया फैला तो 370 केसिज जोगिन्द्रनगर में रिपोर्ट हुए। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जब लोग एडमिट हुए तो वहां पर बैड नहीं मिल रहे थे। बैड भी हमें देने पड़े। जोगिन्द्रनगर बस डिपो में वाटर कूलर लगे हुए थे लेकिन विभाग ने डेढ़ साल में न उनकी साफ सफाई की और न ही फिल्टर बदले। जब पानी के सैंपल लिए तो पानी अशुद्ध पाया गया जिसके कारण पीलिया फैला और अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो चार जानें गई हैं उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अभी तक भी वाटर कूलर सही नहीं किए गए हैं। जब मैंने थोड़ी बात उठाई तब जाकर एक्सिअन को चेंज किया गया। अब वहां पर कोई एस0डी0ओ0 और एक्सिअन मौजूद नहीं है। वहां पर हजारों लोग पानी पीते हैं और वहां पर सारे वाटर कूलर बंद कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वाटर कूलर के कनेक्शन काटने से क्या काम चलेगा? अगर आपने काटने ही थे तो सारे जोगिन्द्रनगर शहर के वाटर कनेक्शन काटते। सरकार के पास फिल्टर चेंज करने के लिए भी पैसा नहीं है। जब बात उठी तो एक्सिअन चेंज कर दिया। वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं।

28-08-2024/1650/एन0एस0-ए0जी0/2

मेरे क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की इतनी स्कीमें डैमेज हैं और उनकी रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं है। आज बरसात में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आजकल मेरे क्षेत्र जोगिन्द्रनगर में डेढ़ महीने से लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं और कई घरों के ताले तोड़े गए हैं। वहां पर ऐसे हालात हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं।

Speaker: Please conclude. आप यह सब कल कानून व्यवस्था पर बोलना। Thank you very much.

Shri Prakash Rana: Okay. Thank you very much.

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

28.08.2024/1655/RKS/एस-1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों के बारे में पहली बार चर्चा करने का मौका मिला इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो नियम-130 के तहत श्री जय राम ठाकुर, श्री चंद्र शेखर और सुश्री अनुराधा राणा जी ने यहां पर जो प्रस्ताव लाया है इसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूँ। पिछले वर्ष जो त्रासदी हुई थी उससे मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की 20 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में आती हैं जिनमें बहुत से परिवार प्रभावित हुए हैं। हमारी ऐसी बहुत सी पंचायतें हैं चाहे रामशहर, बेहड़ी या जोनजी हो वहां काफी लोग प्रभावित हुए हैं। रामशहर के मझेड़ गांव में बरसात के कारण 13 घर खिसक गए थे। हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने संसाधनों से लगभग 4,500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस राशि से मेरे चुनाव क्षेत्र के 36 परिवारों को भी मुआवजा मिला है। जो मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे आज वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि प्रशासन की ओर से इन मकानों का दोबारा सर्वे करवाया जाए और इस सर्वे के आधार पर मुआवजा देने का काम किया जाए। नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में लगभग 47 पंचायतें हैं जिनमें से 20 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्रों और 27 पंचायतें मैदानी इलाकों में आती हैं। स्वारघाट से लेकर गंभर पुल तक पहाड़ी क्षेत्र है और खेड़ा से लेकर धबोटा-भगेरी तक मैदानी क्षेत्र है जो पंजाब बोर्डर के साथ लगता है। सरसा की खड्ड बंदी से मंझोली-प्लासी तक आ रही है। लूण खड्ड व टिक्करी खड्ड में और ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से स्वां चैनेलाइजेशन हुआ है यहां भी उसी प्रकार का चैनेलाइजेशन किया जाना चाहिए। हमारे

बढ़ी-बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र में भी चैनेलाइजेशन होना चाहिए। एक तरफ हमारे दून विधान सभा का हिस्सा हरियाणा के साथ लगता है और नालागढ़ विधान सभा का क्षेत्र का भाग पंजाब बोर्डर के साथ लगता है। मेरा आग्रह है कि इन खड्डों को चैनेलाइजेशन किया जाए। यहां पर जो अवैध माइनिंग हो रही है उसको भी रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाए। यहां पर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। त्रासदी के समय निजी घरों को तो काफी नुकसान हुआ ही है लेकिन इसके साथ-साथ पब्लिक प्रोपर्टी को भी काफी नुकसान हुआ है। धबोटा पुल का 90 प्रतिशत हिस्सा पंजाब राज्य के अधीन आता है और इस पुल का निर्माण भी वर्ष 2001 में पंजाब सरकार के द्वारा ही करवाया गया था।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

28.08.2024/1700/बी.एस./ए.एस.

श्री हरदीप सिंह बाबा जारी...

उस पुल का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में किया गया था और वह पुल भी हिल चुका है। आज यहां पर लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। यह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हमने एक वैकल्पिक पुल का निर्माण 7.50 करोड़ रुपये की लागत से दभोटा गांव में किया था। जो दभोटा को बोझला गांव से रत्योड़ को जोड़ता है।

अध्यक्ष : अभी जो लिस्ट बची है उसके अनुसार 15 के करीब अन्य माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेना है और अभी माननीय सदस्य, हरदीप बाबा जी बोल रहे हैं। आज के पांच बज चुके हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो सदन को कल तक स्थगित किया जा सकता है, दूसरा माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करना चाहें तो कर सकते हैं।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है इसलिए सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कल फिर से चर्चा में भाग लेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 29 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Wednesday, 28 August, 2024

शिमला-171004

दिनांक 28 अगस्त, 2024

यशपाल शर्मा

सचिव।